



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II  
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-05





भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या—05



| विषय सूची                                                                                                                 |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| विवरण                                                                                                                     | संदर्भ  |              |
|                                                                                                                           | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
| प्राक्कथन                                                                                                                 | --      | v            |
| विहंगावलोकन                                                                                                               | --      | vii-xi       |
| <b>अध्याय-I</b>                                                                                                           |         |              |
| <b>प्रस्तावना</b>                                                                                                         |         |              |
| प्रस्तावना                                                                                                                | 1.1     | 1            |
| लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र                                                                                               | 1.2     | 1            |
| लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया                                                                                  | 1.3     | 2-3          |
| पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही                                                                         | 1.4     | 3-5          |
| संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति                                                                                | 1.5     | 5            |
| राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति | 1.6     | 6            |
| लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ                                                                                      | 1.7     | 6-7          |
| निष्कर्ष                                                                                                                  | 1.8     | 7            |
| <b>अध्याय-II</b>                                                                                                          |         |              |
| <b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण</b>                                            |         |              |
| <b>सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)</b>                                                                                      |         |              |
| 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा                                             | 2.1     | 9-19         |
| <b>ऊर्जा विभाग</b>                                                                                                        |         |              |
| <b>उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड</b>                                                                    |         |              |
| 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा          | 2.2     | 19-27        |
| <b>उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड</b>                                                                    |         |              |
| ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि                                                                                            | 2.3     | 28-29        |
| <b>पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>                                                                              |         |              |
| राजस्व की कम बिलिंग                                                                                                       | 2.4     | 29-30        |
| गलत टैरिफ लागू करने के कारण राजस्व का कम प्रभारण                                                                          | 2.5     | 31-32        |
| <b>मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>                                                                                |         |              |
| राजस्व की कम वसूली                                                                                                        | 2.6     | 32-34        |
| <b>अध्याय-III</b>                                                                                                         |         |              |
| <b>विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण</b>         |         |              |
| <b>लोक निर्माण विभाग</b>                                                                                                  |         |              |
| अतिरिक्त सड़क क्रस्ट बिछाने के कारण परिहार्य व्यय                                                                         | 3.1     | 35-36        |
| बांदा बाईपास सड़क के निर्माण में व्यर्थ व्यय                                                                              | 3.2     | 36-38        |
| पर्यवेक्षण प्रभार का अधिक भुगतान                                                                                          | 3.3     | 38-39        |
| ठेकेदार को अधिक भुगतान                                                                                                    | 3.4     | 39-40        |

| विवरण                                                         | संदर्भ  |              |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                               | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
| <b>अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग</b>                      |         |              |
| वास्तुशिल्प सेवाओं पर निष्फल व्यय                             | 3.5     | 40-42        |
| प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन के अनाधिकृत निर्माण पर निष्फल व्यय | 3.6     | 43-44        |
| <b>अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग</b>                             |         |              |
| ₹ 1.95 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान                       | 3.7     | 44-45        |
| <b>सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग</b>            |         |              |
| आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट न लेने के कारण हानि             | 3.8     | 45-46        |
| <b>पर्यटन विभाग</b>                                           |         |              |
| सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते से बाहर रखा गया             | 3.9     | 46-47        |
| लक्ष्मण शहीद स्मारक के अनाधिकृत कार्य पर व्यर्थ व्यय          | 3.10    | 47-49        |

| परिशिष्टियाँ                                                                                                         | परिशिष्ट संख्या | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| विभागों और सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थाओं को दर्शाने वाला विवरण                                      | 1               | 51-53        |
| 29 अकार्यरत पीएसयू जिनके लिए परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया, को दर्शाने वाला विवरण                                   | 2.1             | 54-57        |
| परिसमापनाधीन 13 अकार्यरत पीएसयू की सूचना को दर्शाने वाला विवरण                                                       | 2.2             | 58           |
| 29 अकार्यरत पीएसयू के निवेश, संचित हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाने वाला विवरण                                         | 2.3             | 59-60        |
| लेखापरीक्षा के दौरान पीएसयू द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों की सूची को दर्शाने वाला विवरण                      | 2.4             | 61-66        |
| 29 अकार्यरत पीएसयू के अचल सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम, विविध देनदार एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण                       | 2.5             | 67-68        |
| अकार्यरत पीएसयू के लेखाओं के बकाया को दर्शाने वाला विवरण                                                             | 2.6             | 69           |
| अनुसूची-ई (अनुबंध के दक्षता मापदण्ड) के तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण                                                 | 2.7             | 70           |
| टैरिफ के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग से राजस्व की कम बिलिंग को दर्शाने वाला विवरण                                          | 2.8             | 71-72        |
| एचवी-1 श्रेणी के बजाय एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ता की बिलिंग करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण | 2.9             | 73-81        |
| सड़क की क्रस्ट में डेंस बिटुमिनस मैकडेम और बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मोटाई को दर्शाने वाला विवरण                      | 3.1             | 82           |
| सड़क की अतिरिक्त क्रस्ट की मोटाई पर परिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण                                              | 3.2             | 82           |

| परिशिष्टियाँ                                                                                                                       | परिशिष्ट संख्या | पृष्ठ संख्या |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| पर्यवेक्षण प्रभारों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण                                                                           | 3.3             | 83-86        |
| सड़क पर पानी के टैंकर की उच्च दर, पानी की लागत एवं अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित करने के कारण हुए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण | 3.4             | 87           |
| अनुमन्य दर से अधिक ओवरहेड प्रभारों के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण                                            | 3.5             | 88           |
| आयकर के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण                                                                                          | 3.6             | 89           |



यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों, सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गए हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं, अध्याय-I में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं का परिचय सम्मिलित है। अध्याय-II में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' एवं 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणामों एवं सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। अध्याय-III में विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2020-21 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2020-21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बन्धित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।





विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

**अध्याय-I** : प्रस्तावना

**अध्याय-II** : • (i) 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा  
(ii) 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा  
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

**अध्याय-III** : विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 552.45 करोड़ है।

### अध्याय-I: प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 53 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 106 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा तथा 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणाम एवं सात विभागों<sup>1</sup> एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बन्धित 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

### लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान तीन विभागों के सात प्रकरणों में ₹ 23.95 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिसे सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया गया। इसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 21.23 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी।

### अध्याय-II: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

#### 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की स्थापना (फरवरी 1974) विभिन्न मामलों में प्रशासनिक विभागों को सहायता प्रदान करने, पीएसयू को उनके नियमावली और नियम तैयार करने में सहायता करना, सुधार/पुनर्वास/पुनर्गठन पैकेज की तैयारी एवं निष्पादन में और गतिविधियों को बंद करने के निष्पादन में सहायता करने, पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करने और पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, आदि के लिए किया।

<sup>1</sup> ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग; लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग।

31 मार्च 2021 तक, उत्तर प्रदेश में 115 पीएसयू (42 अकार्यरत पीएसयू सहित 109 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे। इन अकार्यरत पीएसयू ने, जो 1924 से 2013 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के साथ निगमित हुए थे, एक वर्ष से 39 वर्षों तक की अवधि से अपना कार्यकलाप बंद कर दिया था। 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 29 पीएसयू के संचालन को बंद करने के आदेश/निर्देश सरकार या निदेशक मण्डल द्वारा जारी किये गए थे जबकि 13 पीएसयू परिसमापनाधीन थे। 31 मार्च 2021 को इन 29 पीएसयू में कुल निवेश, कुल संचित घाटा एवं निवल मूल्य क्षरण क्रमशः ₹ 1,045.93 करोड़, ₹ 1,212.65 करोड़ एवं ₹ 632.38 करोड़ था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार है:

- 29 अकार्यरत पीएसयू का संचालन एक से 31 वर्षों से बंद था। इनमें से, दो पीएसयू में एक से दस वर्ष, 10 पीएसयू में 11 से 20 वर्ष, चार पीएसयू में 21 से 25 वर्ष एवं 13 पीएसयू में 26 से 31 वर्ष के दौरान बंद होने की अवधि थी। प्रशासनिक विभागों या डीपीई द्वारा इनके समापन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 29 अकार्यरत पीएसयू में से 10 पीएसयू का निवल मूल्य ऋणात्मक था।

(प्रस्तर 2.1.8)

- अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों का प्रबंधन किसी नीति, दिशा-निर्देशों और अनुश्रवण तंत्र के अभाव में खराब था।

(प्रस्तर 2.1.9)

- मार्च 2021 तक लेखापरीक्षित अकार्यरत पीएसयू के पास अचल सम्पत्ति, देनदार और ऋण एवं अग्रिम क्रमशः ₹ 12.09 करोड़, ₹ 24.05 करोड़ एवं ₹ 32.26 करोड़ की धनराशि थी। ये सम्पत्तियाँ अप्रयुक्त पड़ी हुयी थीं एवं इन पीएसयू के संचालन के बंद होने के पश्चात् से देनदार और ऋण एवं अग्रिम बिना वसूली के पड़े हुए थे लेकिन पीएसयू प्रशासनिक विभागों, डीपीई एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में पीएसयू द्वारा उनके मौद्रिकरण/वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण उक्त धनराशि की वसूली संदिग्ध है।

(प्रस्तर 2.1.9.1 एवं 2.1.9.2)

- कम्पनी की 50.04 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के सापेक्ष ₹ 34.67 करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में न डालने एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 16.18 करोड़ का नगद भुगतान न करने के कारण, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड की ऋण के प्रति देयता उस पर ब्याज संचय के कारण ₹ 34.67 करोड़ से बढ़कर ₹ 46.71 करोड़ हो गई एवं अन्य देनदारियाँ भी मार्च 2021 तक ₹ 16.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 21.07 करोड़ हो गई।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

- प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण पीएसयू के परिसमापन की प्रक्रिया सात से 39 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं का जा सकी।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

- 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखों को एक से 39 वर्षों की अवधि से अन्तिमीकृत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.11.4)

- अकार्यरत पीएसयू के समापन में विलम्ब के कारण मार्च 2021 तक इन पीएसयू द्वारा कर्मचारियों, सुरक्षा एवं दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों पर ₹ 131.28 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.12.1)

**‘उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण’ की लेखापरीक्षा**

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) को 25 अगस्त 1980 को राज्य में नई ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार के कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था।

ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की मरम्मत एवं अनुरक्षण (आर एण्ड एम) समयबद्ध गतिविधियाँ हैं जो सामान्यतः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं और टीपीपी द्वारा विद्युत के अनुकूलतम उत्पादन के लिए इसे यथा-समय पूर्ण करना आवश्यक है। यूपीआरवीयूएनएल में, आर एण्ड एम पर 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय क्रमशः ₹ 502.95 करोड़, ₹ 549.29 करोड़ एवं ₹ 472.64 करोड़ था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्न हैं:

- टीपीपी की कैपिटल ओवरहालिंग हेतु ओईएम अनुसूची के अनुसार रोलिंग प्लान तैयार नहीं किया गया था। ओईएम द्वारा निर्धारित समय-सारणी की तुलना में कैपिटल ओवरहालिंग की योजना बनाने में दो से पाँच वर्षों का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ था। इस कारण, उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन हासित हो गया।

**(प्रस्तर 2.2.8)**

- नियोजित आवेगहाल के सापेक्ष टीपीपी के कैपिटल ओवरहालिंग में 71 प्रतिशत एवं वार्षिक ओवरहालिंग/मिनी ओवरहालिंग में 53 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी थी। ओवरहालिंग की समय-सारणी का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई एवं अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना पड़ा।

**(प्रस्तर 2.2.10)**

- चार टीपीपी में, जिनमें निर्धारित ओईएम अनुसूची के अनुसार समय पर कैपिटल ओवरहालिंग नहीं की गयी थी, इकाइयाँ यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम पीएलएफ पर चल रही थीं, जिससे 2018-19 से 2020-21 के दौरान 277.97 एमयू ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल को निजी विद्युत उत्पादकों से उपरोक्त सीमा तक ऊर्जा क्रय करनी पड़ी जिसके कारण ₹ 39.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(प्रस्तर 2.2.11)**

- परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण न करने के कारण जनरेटर ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन पर यूपीआरवीयूएनएल को ₹ 7.82 करोड़ की हानि हुई।

**(प्रस्तर 2.2.12)**

- यूपीआरवीयूएनएल, क्रय करने से पूर्व बियरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, अनपरा टीपीपी की इकाइयाँ उत्पादन हेतु बंद/ट्रिप रही जो परिहार्य थी।

**(प्रस्तर 2.2.13)**

- हरदुआगंज टीपीपी में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन की प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में इकाई को अतिरिक्त 11 दिनों के लिए बंद करना पड़ा, जिससे 2.253 मिलियन ऊर्जा के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 2.47 करोड़ के फिक्स चार्ज की हानि हुई।

**(प्रस्तर 2.2.14)**

### लेखापरीक्षा प्रस्तर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दक्षता मापदण्डों का पालन करने में विफल रहा और कोयला मंत्रालय द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के कारण उसको ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक एचवी-2 श्रेणी के उपभोक्ता पर गलत टैरिफ लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ की कम बिलिंग हुई जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वसूल किया गया।

(प्रस्तर 2.4)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, एचवी-1 श्रेणी के बजाय एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग करने के कारण, ₹ 2.77 करोड़ के राजस्व का कम प्रभारण किया।

(प्रस्तर 2.5)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि के लागू प्रभारों की कम वसूली की।

(प्रस्तर 2.6)

### अध्याय-III: विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लोक निर्माण विभाग ने लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के गलत मूल्य पर गणना करने के कारण सड़क के क्रस्ट में डेन्स बिटुमिनस मैकडैम और बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परतें बिछाकर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 3.1)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बांदा बाईपास सड़क पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया जो निर्धारित समापन अवधि से नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने एवं निष्पादित मिट्टी के कार्य को सुरक्षित न करने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.2)

लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.3)

लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क कार्य में पानी के टैंकर, पानी की लागत की उच्च दर और अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

बाधामुक्त भूमि और उचित मांग के निर्धारण के अभाव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इंडीग्रेटेड मिनी टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं पर ₹ 20.13 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 3.5)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बाधामुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना औद्योगिक भूमि पर अमौसी, लखनऊ में प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया और ₹ 27.15 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 3.6)

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के उल्लंघन में **उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण** ने सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज आय को अपनी आय माना और परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.7)

**सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस** द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट का लाभ नहीं लेने के कारण, राजकोष को ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8)

**पर्यटन निदेशालय** किराए के रूप में प्राप्त ₹ 1.10 करोड़ की राशि राज्य कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.9)

**उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद** ब्रज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विनियमित स्मारक क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.10)





# अध्याय–I

## प्रस्तावना



## अध्याय-I

### प्रस्तावना

**1.1** उत्तर प्रदेश सरकार के 23 विभागों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती है। इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **परिशिष्ट-1** में वर्णित 16 विभागों और संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है और नीचे **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है।

**तालिका 1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन विभागों और संस्थाओं की सूची**

| क्र. सं.   | विभागों का नाम                                            | संख्या                               |                                                |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                           | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) | अन्य संस्थाएँ (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि) | योग       |
| 1          | ऊर्जा विभाग                                               | 13                                   | 1                                              | 14        |
| 2          | अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग                                | -                                    | 1                                              | 1         |
| 3          | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग               | 8                                    | -                                              | 8         |
| 4          | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग                        | 14                                   | 12 <sup>1</sup>                                | 26        |
| 5          | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग | 7                                    | -                                              | 7         |
| 6          | परिवहन विभाग                                              | 1                                    | -                                              | 1         |
| 7          | हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग                             | 5                                    | -                                              | 5         |
| 8          | खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग                                | -                                    | 1                                              | 1         |
| 9          | पर्यटन विभाग                                              | 1                                    | -                                              | 1         |
| 10         | नागरिक उड्डयन विभाग                                       | -                                    | -                                              | -         |
| 11         | भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग                                  | -                                    | -                                              | -         |
| 12         | संस्कृति विभाग                                            | 1                                    | -                                              | 1         |
| 13         | धर्मार्थ कार्य विभाग                                      | -                                    | -                                              | -         |
| 14         | लोक निर्माण विभाग                                         | 2                                    | -                                              | 2         |
| 15         | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग                    | 1                                    | 2                                              | 3         |
| 16         | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग                            | -                                    | 2                                              | 2         |
| <b>योग</b> |                                                           | <b>53</b>                            | <b>19</b>                                      | <b>72</b> |

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

**1.2** वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 106 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित किया। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सात विभागों<sup>2</sup> एवं पीएसयू/संस्थाओं से सम्बन्धित 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

<sup>1</sup> इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) की चार विभागीय प्रबंधित इकाइयाँ अर्थात् राजकीय मुद्रणालय सम्मिलित है।

<sup>2</sup> ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग; लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग।

### लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

**1.3** लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

**लेखापरीक्षा ज्ञापन:** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

**निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।

**ड्राफ्ट प्रस्तर:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।

**समापन गोष्ठी:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुख/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती हैं और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

#### • निरीक्षण प्रतिवेदनों की उत्तर की स्थिति

16 विभागों से सम्बन्धित 1,129 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2021 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 8,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 38,596 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 557 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 3,168 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, जबकि 7,644 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 35,428 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

**तालिका 1.2: 31 मार्च 2021 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2021 तक जारी किये गए) की स्थिति**

| क्र. सं.   | अवधि                    | लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत) | लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत) |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2020-21                 | 133 (1.62)                                      | 1,149 (2.98)                         |
| 2          | 1 वर्ष से 3 वर्षों तक   | 1,199 (14.62)                                   | 8,064 (20.89)                        |
| 3          | 3 वर्षों से 5 वर्षों तक | 1,283 (15.65)                                   | 6,451 (16.71)                        |
| 4          | 5 वर्षों से अधिक        | 5,586 (68.11)                                   | 22,932 (59.42)                       |
| <b>योग</b> |                         | <b>8,201 (100)</b>                              | <b>38,596 (100)</b>                  |

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की एक बैठक (लेखापरीक्षा समिति बैठक) आयोजित की गई।

• लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तारों के उत्तरों की स्थिति

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 के लिए, 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 14 लेखापरीक्षा प्रस्तारों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर ड्राफ्ट प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम, 2020 के विनियम 138 को संदर्भित करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि वे विनियम, 2020 में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करें। मात्र एक लेखापरीक्षा प्रस्तर के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त हुआ है। 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' एवं 13 लेखापरीक्षा प्रस्तारों के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर अनुस्मारकों के बावजूद अभी भी प्रतीक्षित (सितम्बर 2022) हैं। हालाँकि, 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' एवं 11 प्रस्तारों के सम्बन्ध में प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हो गए हैं जिन्हें सम्मिलित कर लिया गया है।

**पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही**

**1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर लम्बित उत्तर**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 1.3 में दी गयी है।

तालिका 1.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2022 तक)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष  | राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर |     | पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई <sup>3</sup> |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                |                                                                   | पीए                                                                                                    | सीए | पीए                                                                                        | सीए |
| अ. आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पीएसयू) |                                                                   |                                                                                                        |     |                                                                                            |     |
| 2012-13                        | 01.07.2014                                                        | 2                                                                                                      | 6   | 2                                                                                          | 0   |
| 2013-14                        | 17.08.2015                                                        | 2                                                                                                      | 5   | 1                                                                                          | 2   |
| 2014-15                        | 08.03.2016                                                        | 4                                                                                                      | 4   | 4                                                                                          | 4   |
| 2015-16                        | 18.05.2017                                                        | 2                                                                                                      | 4   | 1                                                                                          | 4   |
| 2016-17                        | 19.07.2019                                                        | -                                                                                                      | 4   | -                                                                                          | 1   |

<sup>3</sup> ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; वित्त विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; लोक निर्माण विभाग; शहरी विकास विभाग; परिवहन विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; पर्यटन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बन्धित।

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर |            | पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई <sup>3</sup> |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                               |                                                                   | पीए                                                                                                    | सीए        | पीए                                                                                        | सीए       |
| 2017-18                       | 21.08.2020                                                        | -                                                                                                      | 10         | -                                                                                          | 9         |
| 2018-19                       | 19.08.2021                                                        | -                                                                                                      | 9          | -                                                                                          | 8         |
| 2019-20                       | 17.12.2021                                                        | 1 <sup>4</sup>                                                                                         | 0          | 1                                                                                          | 0         |
| <b>योग</b>                    |                                                                   | <b>11</b>                                                                                              | <b>42</b>  | <b>9</b>                                                                                   | <b>28</b> |
| <b>ब. पीएसयू</b>              |                                                                   |                                                                                                        |            |                                                                                            |           |
| 2011-12                       | 16.09.2013                                                        | 2                                                                                                      | 14         | 1                                                                                          | 1         |
| 2012-13                       | 20.06.2014                                                        | 1                                                                                                      | 19         | 0                                                                                          | 1         |
| 2013-14                       | 17.08.2015                                                        | 2                                                                                                      | 15         | 1                                                                                          | 4         |
| 2014-15                       | 08.03.2016                                                        | 6                                                                                                      | 12         | 2                                                                                          | 3         |
| 2015-16                       | 18.05.2017                                                        | 6                                                                                                      | 11         | 3                                                                                          | 0         |
| 2016-17                       | 07.02.2019                                                        | 3                                                                                                      | 7          | 2                                                                                          | 4         |
| 2017-18                       | 21.08.2020                                                        | 1                                                                                                      | 12         | 0                                                                                          | 5         |
| 2018-19                       | 19.08.2020                                                        | -                                                                                                      | 06         | 0                                                                                          | 1         |
|                               | 17.12.2021                                                        | 1 <sup>5</sup>                                                                                         | 0          | 1                                                                                          | 0         |
| <b>योग</b>                    |                                                                   | <b>22</b>                                                                                              | <b>96</b>  | <b>10</b>                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>महायोग (अ+ब)</b>           |                                                                   | <b>33</b>                                                                                              | <b>138</b> | <b>19</b>                                                                                  | <b>47</b> |

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

• लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित, 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 42 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रस्तुत किया गया। इनमें से, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 13 प्रस्तरों (पीए/सीए) को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2022 को पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति तालिका 1.4 में दी गयी है।

तालिका 1.4: पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा

| स्थिति                                          | वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए आर्थिक क्षेत्र की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या             | 53 (11 पीए <sup>6</sup> + 42 सीए)                                              |
| पीएसी द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए           | 13 (5 पीए + 8 सीए)                                                             |
| पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा                     | शून्य                                                                          |
| प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) | शून्य                                                                          |
| विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही                   | -                                                                              |

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

• सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

वर्ष 1982-83 से 2019-20 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बन्धित, 160 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,010 अनुपालन लेखापरीक्षा

<sup>4</sup> उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

<sup>5</sup> उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

<sup>6</sup> उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

प्रस्तरों को प्रस्तुत किया गया। इनमें से, कोपू ने 154 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,021 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2022 को कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति तालिका 1.5 में दी गयी है।

तालिका 1.5: कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

| स्थिति                                          | वर्ष 1982-83 से 2019-20 के लिए पीएसयू की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या             | 1,170 (160 पीए <sup>7</sup> + 1,010 सीए)                               |
| कोपू द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए            | 1,175 (154 पीए + 1,021 सीए) <sup>8</sup>                               |
| कोपू द्वारा की गयी अनुशंसा                      | 270 (29 पीए + 241 सीए)                                                 |
| प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) | शून्य                                                                  |
| विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही                   | -                                                                      |

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

### संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति

1.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ राज्य विधान मण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

#### • संस्थाओं के बकाया लेखों के अन्तिमीकरण एवं उनकी प्रस्तुति

31 मार्च 2021 तक, उत्तर प्रदेश के 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। 30 जून 2022 तक, किसी भी संस्था ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था और 2020-21 तक 85 लेखें बकाये थे। वर्ष जिनके लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: विभिन्न संस्थाओं के लेखों के बकाये का विवरण

| क्र. सं. | संस्थाओं के नाम                                   | वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं | बकाया लेखाओं की संख्या |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1        | नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण                | 2018-19 से 2020-21        | 03                     |
| 2        | यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण        | 2005-06 से 2020-21        | 16                     |
| 3        | लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण                     | 2005-06 से 2020-21        | 16                     |
| 4        | गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण                  | 2005-06 से 2020-21        | 16                     |
| 5        | सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण                  | 2005-06 से 2020-21        | 16                     |
| 6        | उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण       | 2018-19 से 2020-21        | 03                     |
| 7        | ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण             | 2020-21                   | 01                     |
| 8        | उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण | 2017-18 से 2020-21        | 04                     |
| 9        | उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड           | 2019-20 एवं 2020-21       | 02                     |
| 10       | क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण  | 2014-15 से 2020-21        | 07                     |
| 11       | उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग                  | 2020-21                   | 01                     |
| योग      |                                                   |                           | 85                     |

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

<sup>7</sup> (1) 'उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों का विक्रय' (2) उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

<sup>8</sup> कोपू द्वारा वर्ष 1976-77 से 2019-20 तक चर्चा किये गए पीए/सीए सम्मिलित हैं।

### राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.6 तीन संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे जिनको राज्य विधान मण्डल में 30 जून 2022 तक रखा जाना बाकी है, का विवरण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

| क्र. सं. | संस्थाओं के नाम                                                | वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं | विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                |                                                                                               | वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष                                        | सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि |
| 1        | उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)                   | स्थापना के बाद से विधान मण्डल में कोई एसएआर नहीं रखा गया (2003-04)                            | 2003-04                                                                             | 19 अक्टूबर 2006                    |
|          |                                                                |                                                                                               | 2004-05                                                                             | 5 अक्टूबर 2007                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2005-06                                                                             | 5 अक्टूबर 2007                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2006-07                                                                             | 3 अक्टूबर 2008                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2007-08                                                                             | 17 अगस्त 2009                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2008-09                                                                             | 15 अगस्त 2010                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2009-10                                                                             | 26 मई 2011                         |
|          |                                                                |                                                                                               | 2010-11                                                                             | 08 जून 2012                        |
|          |                                                                |                                                                                               | 2011-12                                                                             | 24 सितम्बर 2014                    |
|          |                                                                |                                                                                               | 2012-13                                                                             | 20 फरवरी 2015                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2013-14                                                                             | 22 जून 2015                        |
|          |                                                                |                                                                                               | 2014-15                                                                             | 28 दिसम्बर 2015                    |
|          |                                                                |                                                                                               | 2015-16                                                                             | 18 मई 2017                         |
|          |                                                                |                                                                                               | 2016-17                                                                             | 8 मार्च 2019                       |
|          |                                                                |                                                                                               | 2017-18                                                                             | 15 मई 2020                         |
| 2        | क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)     | शून्य                                                                                         | 2018-19                                                                             | 18 दिसम्बर 2020                    |
|          |                                                                |                                                                                               | 2010-11                                                                             | 2 मई 2019                          |
|          |                                                                |                                                                                               | 2011-12                                                                             | 1 अक्टूबर 2019                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2012-13                                                                             | 1 अक्टूबर 2019                     |
| 3        | उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीइआईडीए) | शून्य                                                                                         | 2013-14                                                                             | 6 अप्रैल 2022                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2007-08                                                                             | 3 जुलाई 20019                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2008-09                                                                             | 10 जून 2020                        |
|          |                                                                |                                                                                               | 2009-10                                                                             | 18 दिसम्बर 2020                    |
|          |                                                                |                                                                                               | 2010-11                                                                             | 10 अगस्त 2020                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2011-12                                                                             | 29 मार्च 2022                      |
|          |                                                                |                                                                                               | 2012-13                                                                             | 12 अप्रैल 2022                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2013-14                                                                             | 27 अप्रैल 2022                     |
|          |                                                                |                                                                                               | 2014-15                                                                             | 26 मई 2022                         |
|          |                                                                |                                                                                               | 2015-16                                                                             | 20 जून 2022                        |

### लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान तीन विभागों के सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 23.95 करोड़ की वसूली सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वीकार की गयी। जिसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 21.23 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी जिसका विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।



तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

| विभाग                                       | वसूलियों का विवरण                                                                                                                     | लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ |              | सम्पन्न की गयी वसूली |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                             |                                                                                                                                       | प्रकरणों की संख्या                                                    | शामिल धनराशि | प्रकरणों की संख्या   | शामिल धनराशि |
| ऊर्जा विभाग                                 | टैरिफ के गलत अनुप्रयोग के कारण राजस्व की हानि <sup>9</sup>                                                                            | 4                                                                     | 10.16        | 3                    | 6.62         |
| सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग | अनुचित योजना और खराब अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप ईएमसी परियोजना का परित्याग और यूपीएलसी की प्रतिभूति जमा की जम्मी ₹ 5.75 करोड़ | 1                                                                     | 5.75         | 1                    | 5.75         |
| लोक निर्माण विभाग                           | अनुबंध के निष्पादन से पहले मशीनरी की खरीद के लिए ठेकेदार को अग्रिम भुगतान                                                             | 1                                                                     | 6.98         | 1                    | 8.06         |
|                                             | ठेकेदार को वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान                                                                                       | 1                                                                     | 1.06         | 1                    | 0.80         |
| योग                                         |                                                                                                                                       | 7                                                                     | 23.95        | 6                    | 21.23        |

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

**निष्कर्ष**

1.8 लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, अधिकांश राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में अधिक बकाया और राज्य विधान मण्डल में एसएआर के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखे नहीं प्रस्तुत करना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

<sup>9</sup> मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दो प्रकरणों, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक प्रकरण और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक प्रकरण से सम्बन्धित।



## अध्याय-II

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण



## अध्याय-II

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गए संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

### सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)

#### 2.1 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा

##### प्रस्तावना

**2.1.1** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की जाती है। इन पीएसयू में सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में, 115 पीएसयू (42 अकार्यरत पीएसयू सहित 109 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की स्थापना (फरवरी 1974) की। डीपीई के कार्यों में, विभिन्न मामलों<sup>1</sup> में प्रशासनिक विभागों को सहायता प्रदान करना; पीएसयू को उनके नियमावली, नियम, प्रक्रिया आदि तैयार करने में सहायता करना; सुधार/पुनर्वास/पुनर्गठन पैकेज की तैयारी एवं निष्पादन में और गतिविधियों को बंद करने के निष्पादन में सहायता करना; पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करना और पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीपीई की तकनीकी शाखा यथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना (मार्च 1981) निदेशालय के रूप में कार्य करने हेतु की। बीपीई के कार्यों में, पीएसयू का आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा तथा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; डीपीई, प्रशासनिक विभागों, वित्त विभाग और पीएसयू को तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करना; लम्बित लेखों को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू के वार्षिक लेखों को अन्तिमीकृत करने की प्रगति का अनुश्रवण करना; निर्णय लेने और सुधार, पुनर्वास एवं पुनर्गठन के लिए रणनीति तैयार करने में पीएसयू की सहायता करना आदि शामिल है।

डीपीई का नेतृत्व प्रमुख सचिव/सचिव करते हैं जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के पदेन महानिदेशक भी होते हैं।

##### अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

**2.1.2** उत्तर प्रदेश में, 109 सरकारी कम्पनियों में से 42 अकार्यरत थीं। ये एक वर्ष से 39 वर्ष पूर्व की अवधि से अपना कार्यकलाप बंद कर चुकी थी। इन अकार्यरत पीएसयू को 1924 से 2013 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों (परिशिष्ट-2.1 एवं परिशिष्ट-2.2) की पूर्ति हेतु लोगों के कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। अकार्यरत पीएसयू में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

31 मार्च 2021 को 42 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

<sup>1</sup> निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति करना, पीएसयू की व्यवहार्यता रिपोर्ट/परियोजनाओं/योजनाओं/गतिविधियों का मूल्यांकन, पीएसयू के निधि जारी करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन और पीएसयू के नियमों, मैनुअल, प्रक्रियाओं आदि पर अनुमोदन/टिप्पणियाँ देना।

तालिका 2.1: अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

| क्रम संख्या | विवरण                                                                                                       | पीएसयू |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1           | सरकार/निदेशक मण्डल द्वारा संचालन बंद करने हेतु जारी आदेश/निर्देश। (परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है) | 29     |
| 2           | न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)                                                                 | 11     |
| 3           | स्वैच्छिक परिसमापन (सरकार द्वारा परिसमापक नियुक्त)                                                          | 2      |

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि, 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 29 पीएसयू के संचालन को बंद करने के आदेश सरकार या निदेशक मण्डल द्वारा जारी किये गए थे जबकि 13 पीएसयू बंद करने के आदेश के बाद परिसमापनाधीन थे। 31 मार्च 2021 को इन 29 पीएसयू में कुल निवेश, कुल संचित घाटा और निवल मूल्य क्षरण क्रमशः ₹ 1,045.93 करोड़, ₹ 1,212.65 करोड़ और ₹ 632.38 करोड़ था (परिशिष्ट-2.3)।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी:

- अकार्यरत पीएसयू की निरंतरता बनाये रखने के अंतर्निहित कारण,
- क्या अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट नीति/दिशा-निर्देश/कार्य योजना है,
- क्या सरकारी खजाने पर और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अकार्यरत पीएसयू के परिसमापन के लिए समय पर कार्यवाही की गई थी।
- अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों, डीपीई तथा बीपीई के अनुश्रवण तंत्र की प्रभावकारिता।

### लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- पीएसयू के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन;
- कम्पनी अधिनियम, 1956, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम;
- निदेशक मण्डल की कार्यसूची और बैठकों के कार्यवृत्त; प्रशासनिक आदेश, बजट आवंटन नियम और पीएसयू के वार्षिक लेखे;
- सरकार और बीपीई द्वारा जारी किये गए संकल्प/अधिसूचनाएँ/परिपत्र/आदेश; एवं
- माननीय न्यायालय/सांविधिक निकायों द्वारा जारी आदेश/निर्देश।

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.5 अकार्यरत पीएसयू की लेखापरीक्षा, परिसमापनाधीन<sup>2</sup> पीएसयू को छोड़कर, दिसम्बर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान पीएसयू के अकार्यरत होने से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए की गई थी। 12 जनवरी 2022 को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित पीएसयू के प्रबंधन के साथ एंट्री कान्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने पीएसयू/विभागों के मुख्यालयों में अभिलेखों की जाँच की। 27 जुलाई 2022 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रेंस में सरकार एवं प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

<sup>2</sup> परिसमापनाधीन 13 पीएसयू के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने प्रस्तर 2.1.11.1 में इन पीएसयू के परिसमापन में अत्यधिक देरी पर टिप्पणी की है।

## लेखापरीक्षा की परिसीमा

**2.1.6** अकार्यरत पीएसयू के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा को निम्नलिखित परिसीमाओं का सामना करना पड़ा:

- 13 पीएसयू के अभिलेख, जो या तो न्यायालय के आदेश या स्वैच्छिक समापन के तहत परिसमापन के अधीन थे, की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि ये आधिकारिक परिसमापक के कब्जे में थे एवं सरकार से कई अनुरोधों के बावजूद लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए।
- छः<sup>3</sup> कम्पनियों के अभिलेख, जो संचालन बंद करने के आदेश के बाद से अकार्यरत थे, की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि अधिकांश अभिलेख दीमक द्वारा नष्ट कर दिए गए थे या अभिलेख चोरी हो गए थे।
- आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच, अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण नहीं की जा सकी क्योंकि अभिलेखों के संरक्षक, प्रबंधन को अभिलेख सौंपे बिना ही सेवानिवृत्त हो गए थे।
- बुन्देलखण्ड विकास निगम कम्पनी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच, कई अनुरोधों के बावजूद प्रबंधन द्वारा अभिलेख नहीं दिए जाने के कारण, नहीं की जा सकी।
- पीएसयू के परिसमापन में जाने की तिथियों से सम्बन्धित आंशिक जानकारी को छोड़कर डीपीई और बीपीई से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए थे।
- अन्य अकार्यरत पीएसयू की लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित है।

## लेखापरीक्षा परिणाम

**2.1.7** 29 अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गई है।

## पीएसयू के निरंतर अकार्यरत रहने का कारण

**2.1.8** शासनादेश संख्या 863/44-2-1994 दिनांक 1 जून 1994 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कार्य कुशलता सुनिश्चित करने, सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने और जहाँ आवश्यक हो उनका निजीकरण करने के लिए नीति को मंजूरी दी। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। नीति में अग्रेतर प्रावधान किया गया है कि सामाजिक हित/जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले पीएसयू के सिवाय अन्य पीएसयू जिनकी वार्षिक हानि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके निवल मूल्य में आधे या आधे से अधिक का क्षरण हुआ हो, की समीक्षा, निजीकरण के लिए की जानी चाहिए।

पीएसयू के कुशल कामकाज के पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों की होती है। इसके अलावा, रुग्ण/अकार्यरत पीएसयू के बंद करने के लिए प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम विचार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन आधारित और कुशल बनाना जनहित में है ताकि अग्रेतर हानियों को कम करने के लिए ऐसे निर्णय समयबद्ध तरीके से लिए और लागू किए जा सकें।

<sup>3</sup> वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्वान्वल विकास निगम लिमिटेड, गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड एवं लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू का संचालन एक से 31 वर्षों से बंद था (**परिशिष्ट-2.1**)। इनमें से दो पीएसयू में एक से दस वर्ष, 10 पीएसयू में 11 से 20 वर्ष, चार पीएसयू में 21 से 25 वर्ष एवं 13 पीएसयू में 26 से 31 वर्ष के दौरान बंद होने की अवधि थी। प्रशासनिक विभागों या डीपीई द्वारा इन पीएसयू के परिसमापन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। 29 अकार्यरत पीएसयू में से, 10 पीएसयू का निवल मूल्य ऋणात्मक था, लेकिन न तो प्रशासनिक विभागों द्वारा और न ही डीपीई द्वारा इन पीएसयू के निजीकरण हेतु संभावना का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया, जैसा कि नीति में निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों तथा डीपीई की निष्क्रियता के कारण ये पीएसयू अकार्यरत बने रहे एवं ₹ 131.28 करोड़ का विविध व्यय किया जैसा कि **प्रस्तर 2.1.12.1** में चर्चा की गयी है। इन पीएसयू के अकार्यरत होने का कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था, बिगड़ती वित्तीय स्थिति, कच्चे माल की अनुपलब्धता/उच्च कीमतें, स्थापित क्षमता का कम उपयोग, पुरानी मशीनरी आदि थे। प्रशासनिक विभाग/डीपीई/बीपीई, उपरोक्त नीति के अनुपालन में किये गए प्रयासों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे।

- इसके अलावा, पूर्ववर्ती रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 सह पठित धारा 3(ओ), के अनुसार जब कोई औद्योगिक कम्पनी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन जाए तो कम्पनी का निदेशक मण्डल, कम्पनी के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले उपायों के निर्धारण के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1992 से 1996 की अवधि के दौरान केवल छः<sup>4</sup> पीएसयू एसआईसीए के प्रावधानों के अन्तर्गत बीआईएफआर में गए और 2016 में एसआईसीए को निरस्त करने के समय भी प्रकरण बीआईएफआर के समक्ष लंबित था। तदनुसार, इन पीएसयू को नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के अनुसार राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण में जाना था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। इस प्रकार सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों/डीपीई/बीपीई की ढिलाई के कारण, इन पीएसयू के परिसमापन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और उन पर ₹ 112.71 करोड़ के व्यय के साथ वे 25 से 29 वर्षों से जड़ अवस्था में बने हुए हैं।

#### अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों के प्रबंधन में अनियमितताएँ

**2.1.9** जैसा कि **प्रस्तर 2.1.1** में चर्चा की गई है, डीपीई को प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपीई ने आज तक (जुलाई 2022) अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई नीति/दिशा-निर्देश तैयार नहीं किया था। इसके अलावा, इसने अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट निर्देश/आदेश जारी नहीं किये। किसी दिशा-निर्देश/आदेशों के अभाव में, इन पीएसयू ने अपने संसाधनों का प्रबंधन अपने विवेक से किया। उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गई है।

<sup>4</sup> नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड, छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दि इंडियन टर्पेन्टाइन एंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।



### अचल सम्पत्तियों का मौद्रिकरण न किया जाना

**2.1.9.1** पीएसयू के लिए सम्पत्ति मौद्रिकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग वाली सम्पत्ति के आर्थिक मूल्यों को अवमुक्त करके राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू के पास ₹ 12.09 करोड़<sup>5</sup> की अचल सम्पत्ति थी (परिशिष्ट-2.5)। ये सम्पत्तियाँ इन पीएसयू के संचालन बंद होने के पश्चात् से अप्रयुक्त पड़ी थीं लेकिन पीएसयू, प्रशासनिक विभागों, बीपीई एवं डीपीई के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में इन सम्पत्तियों के मौद्रिकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण, इन सम्पत्तियों का मूल्य उल्लेखनीय रूप से कम हो सकता है।

### देनदारों और ऋणों एवं अग्रिमों से वसूली न किया जाना

**2.1.9.2** लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू के ₹ 56.31 करोड़<sup>6</sup> की धनराशि के देनदार और ऋण एवं अग्रिम थे (परिशिष्ट-2.5)। ये इन पीएसयू की परिसम्पत्तियाँ थीं लेकिन इन पीएसयू के संचालन के बंद होने के बाद से बिना वसूली के पड़ी थीं लेकिन पीएसयू, प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में इन पीएसयू द्वारा इस धनराशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त अवधि व्यतीत हो जाने के कारण इन देय धनराशियों की वसूली की संभावना काफी कम है।

### बिना प्रतिफल के भूमि का हस्तांतरण

**2.1.9.3** उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की जौनपुर इकाई (जून 2012 से बंद) के सिद्दीकपुर में स्थित 50.04 एकड़ भूमि को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय (26 फरवरी 2014) लिया। इसके लिए, सरकार ने कम्पनी को पहले दिए गए ₹ 34.67 करोड़ (31 मार्च 2013 तक) के ऋण को बट्टे खाते में डालने का और कम्पनी की देनदारियों के परिसमापन के लिए, कम्पनी को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ₹ 16.18 करोड़ के नकद भुगतान का निर्णय लिया। यह भूमि वर्ष 2014 में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई।

यह देखा गया कि सरकार द्वारा कम्पनी की बकाया धनराशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया एवं मार्च 2021 तक नकद भुगतान भी नहीं किया गया। इस कारण सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कम्पनी की देनदारियों का निपटारा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, सरकारी ऋण उस पर ब्याज संचय के कारण ₹ 34.67 करोड़ से बढ़कर ₹ 46.71 करोड़ हो गया, और अन्य देनदारियाँ भी मार्च 2021 तक ₹ 16.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 21.07 करोड़ हो गईं।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि सरकार के साथ कई पत्राचार के बावजूद अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

तथ्य यह है कि वर्ष 2014 में भूमि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा कम्पनी को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

### भूमि पर पड़ी चल/अचल सम्पत्तियों का निपटान न करना

**2.1.9.4** जैसा कि प्रस्तर 2.1.9.3 में चर्चा की गई है, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने 2014 में अपनी जमीन सरकारी मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित कर दी थी। हस्तांतरण के समय, कम्पनी की ₹ 7.11 करोड़<sup>7</sup> मूल्य की कुछ चल/अचल

<sup>5</sup> इन 29 पीएसयू के अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

<sup>6</sup> पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं एवं सूचना के अनुसार।

<sup>7</sup> मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी 2015 के अनुसार।

सम्पत्तियाँ भूमि पर पड़ी थीं जिनका निपटान कम्पनी द्वारा किया जाना था। कम्पनी वर्ष 2018 तक परिसम्पत्तियों का निपटान करने में विफल रही। जिसके कारण, जिलाधिकारी (डीएम) ने ₹ 3.69 करोड़ के मूल्य पर सम्पत्तियों का निपटान कर दिया एवं कम्पनी को विक्रय धनराशि का भुगतान कर दिया। इस प्रकार, परिसम्पत्तियों के समय पर निपटान करने में कम्पनी की विफलता के कारण इसे ₹ 3.42 करोड़ (₹ 7.11 करोड़ – ₹ 3.69 करोड़) की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि 31 मार्च 2014 को परिसम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य ₹ 2.70 करोड़ था और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 22 और 22ए के अनुसार, बीआईएफआर के निर्देश के बिना बीआईएफआर की कार्यवाही के दौरान कम्पनी की कोई भी सम्पत्ति या उसके भाग को किसी भी तरह से नया रूप नहीं दिया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि का हस्तान्तरण शासनादेश के अनुसार किया गया था तथा सम्पत्ति का निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया गया था।

### **उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का दाखिल ख़ारिज कराने में विफलता**

**2.1.9.5** उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1979 में, 40,838 वर्गमीटर भूमि का क्रय नारायणपुर, मिर्जापुर में किया गया था। हालाँकि, कम्पनी भूमि अभिलेखों में भूमि का दाखिल ख़ारिज स्वयं के नाम पर कराने में विफल रही। वर्ष 1995 में, कम्पनी द्वारा भूमि को विक्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु भूमि अभिलेखों में कम्पनी का नाम अंकित न होने के कारण भूमि का विक्रय नहीं कर सकी।

इस प्रकार, कम्पनी के उदासीन रवैये के कारण भूमि अभिलेखों में भूमि का स्वामित्व अवैधानिक रूप से विक्रेता के पुत्रों के पास ही बना रहा और कम्पनी भूमि का विक्रय नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि निगम द्वारा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को निगम के नाम पर भूमि का दाखिल ख़ारिज करने हेतु वर्ष 1997 में आवेदन किया जा चुका है जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि के क्रय के 40 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कम्पनी भूमि का दाखिल ख़ारिज अपने नाम पर नहीं करवा सकी तथा भूमि को विक्रय करने में विफल रही।

### **उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का हस्तांतरण**

**2.1.9.6** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम (यूपीपीयूएन) को निर्देशित (31 अगस्त 2001) किया गया कि वह 40 एकड़ भूमि यूपी. राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (यूपीएसडब्ल्यूसी) को भण्डारण कार्य हेतु निःशुल्क हस्तांतरित करे। यूपीपीयूएन ने 40.104 एकड़ भूमि यूपीएसडब्ल्यूसी को हस्तांतरित (10 जनवरी 2002) कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में यूपी. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) द्वारा यूपीएसडब्ल्यूसी से उक्त भूमि क्षेत्र के नियोजित औद्योगिक विकास हेतु ₹ 1.36 करोड़ मूल्य के बदले अधिग्रहीत कर ली गयी। अक्टूबर 2017 में, यूपीपीयूएन द्वारा यूपीएसडब्ल्यूसी को ₹ 4.63 करोड़ (भूमि का मूल्य : ₹ 1.36 + ब्याज : ₹ 3.27 करोड़) का माँग पत्र निर्गत किया गया परन्तु यूपीएसडब्ल्यूसी द्वारा न तो भूमि का मूल्य और न ही ब्याज का भुगतान किया गया। यूपीपीयूएन द्वारा प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया जिसमें यह निर्णित (दिसम्बर 2021) हुआ कि यूपीएसडब्ल्यूसी ₹ 1.36 करोड़ की धनराशि का भुगतान यूपीपीयूएन को तुरंत करें एवं ब्याज सम्बन्धी प्रकरण का अनुसरण यूपीपीयूएन द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि, यूपीपीयूएन ने मार्च 2022 में यूपीएसडब्ल्यूसी से भूमि के मूल्य की धनराशि प्राप्त कर ली थी परन्तु ब्याज सम्बन्धी धनराशि अभी भी अप्राप्त है।

### **अकार्यरत पीएसयू के ससमय समापन सम्बन्धी कार्यवाही करने में विफलता**

**2.1.10** अकार्यरत पीएसयू के समापन के कार्य को समय पर निष्पादित करने में विफलता के सम्बन्ध में पीएसयू/प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई की भूमिका की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है :

### **अकार्यरत पीएसयू के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप न देना तथा उनके समापन में परिणामी विलम्ब**

**2.1.10.1** कम्पनी अधिनियम, 2013 का अध्याय IX, अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कम्पनी द्वारा वार्षिक लेखों की तैयारी एवं रखरखाव की आवश्यकताओं का बताता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के प्रकरण में दण्डात्मक प्रावधानों को भी प्रावधानित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखों को एक से 39 वर्षों की अवधि सीमा में भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है (**परिशिष्ट-2.6**)। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना पीएसयू के समापन में देरी का एक प्रमुख कारण था क्योंकि अद्यतन लेखाओं के अभाव में, परिसम्पत्तियों और देनदारियों की वर्तमान स्थिति उनके निपटान के लिए ज्ञात नहीं थी। लेखाओं के बकाया को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू द्वारा वार्षिक लेखों को पूरा करने की प्रगति के अनुश्रवण के लिए बीपीई भी जिम्मेदार था, लेकिन वह भी लेखाओं के बकाया को कम करने में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य के पीएसयू के बकाया लेखाओं के प्रकरण को सीएजी के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों<sup>8</sup> में बार-बार इंगित किया जाता रहा है। यद्यपि, बार-बार इंगित किये जाने के बावजूद, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बीपीई पीएसयू के बकाया लेखों के परिसमापन हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड ने आपत्ति को स्वीकार (मार्च 2022) किया और बताया कि वार्षिक लेखाओं के पूर्ण न होने का कारण कम्पनी के कार्यकलापों का बंद होना, नियमित कर्मचारियों का न होना और वित्तीय संकट था। अन्य पीएसयू से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

### **निधि प्राप्त न होने के कारण लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण न हो पाना**

**2.1.10.2** तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (टीएजेवीएनएल) ने अपने प्रशासनिक विभाग से वर्ष 1983-84 से 1999-2000 की अवधि से सम्बन्धित वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की फीस के भुगतान हेतु ₹ 4.25 लाख की माँग (अप्रैल 2001) की थी। इसने उक्त धनराशि को जारी करने के लिए अप्रैल 2001 और जुलाई 2013 के मध्य 32 पत्र और अनुस्मारक भेजे परन्तु आज तक (जुलाई 2022) प्रशासनिक विभाग द्वारा टीएजेवीएनएल को कोई धनराशि निर्गत नहीं की गई। इसलिए, प्रशासनिक विभाग की अनदेखी के कारण टीएजेवीएनएल की लेखाओं की लेखापरीक्षा मार्च 2021 तक लंबित है।

### **अचल सम्पत्तियों के समय पर हस्तांतरण में विफलता**

**2.1.10.3** कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीएपीसीओ) अगस्त 1999 में अकार्यरत हो गयी थी। अपर मुख्य सचिव (एसीएस), भूमि विकास और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि उपज आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक

<sup>8</sup> 2019-20 एवं 2020-21 के वर्षों के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा 2001-02 से 2018-19 के वर्षों के आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, में।

(फरवरी 2002) में सीएपीसीओ की सम्पत्ति का मूल्य ₹ 106.32 लाख निर्धारण किया गया जबकि देनदारियाँ ₹ 117.06 लाख थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीएपीसीओ की अचल सम्पत्तियों को कम्पनी के प्रमुख लेनदार शारदा सहायक कमांड अर्थॉरिटी (एसएससीए) जिसकी लेनदारी ₹ 60.99 लाख की है, को हस्तांतरित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सीएपीसीओ और एसएससीए के बीच अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण तथा एसएससीए और अन्य के प्रति सीएपीसीओ की देनदारियों के निपटान के लिए एक अनुबंध भी निष्पादित (मई 2002) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध को निष्पादित करने के 19 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी सीएपीसीओ अनुबंध को लागू करवाने में विफल रहा। सितम्बर 2021 में, एसएससीए ने कम्पनी की परिसमापन प्रक्रिया में तेजी लाने और कम्पनी की सम्पत्ति तथा देनदारियों को एसएससीए को हस्तांतरित करने के लिए शासनादेश जारी करने के लिए प्रशासनिक विभाग से अनुरोध किया। यह कम्पनी और सरकार के स्तर पर समय पर की जाने वाली कार्यवाही की कमी को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की परिसमापन प्रक्रिया में देरी हुई।

### अनुश्रवण तंत्र में कमियाँ

**2.1.11** पीएसयू के प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई के स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली की विफलता/अविद्यमानता की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तर में की गई है:

#### प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण पीएसयू के परिसमापन में अत्यधिक विलम्ब

**2.1.11.1** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के खंड 9.4 और 9.5 में प्रावधान है कि परिसमापन प्रक्रिया को दो वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और पुनर्वास एवं परिसमापन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी चरण में प्रदान किया जाने वाला विस्तार यदा-कदा होना चाहिए तथा केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाना चाहिए जो किसी भी दशा में प्रदान की गयी निर्धारित समय सीमा को प्रभावित न करे। परिसमापन प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 13 पीएसयू बहुत लंबी अवधि से अर्थात् सात से 39 वर्षों के मध्य (**परिशिष्ट-2.2**) परिसमापनाधीन थे। प्रशासनिक विभाग/डीपीई इन पीएसयू की परिसमापन प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में विफल रहे। इसके अलावा, तीन पीएसयू, यथा उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भदोही वूलन्स लिमिटेड एवं ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड जिनमें अदालती प्रकरणों और मुकदमों को कारण बताया गया था, को छोड़कर अन्य सभी पीएसयू के परिसमापन की वर्तमान स्थिति और इतने लंबे विलंब के लिए जिम्मेदार कारणों को प्रस्तुत करने में भी ये विफल रहे।

इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण, पीएसयू के परिसमापन की प्रक्रिया सात से 39 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं की जा सकी।

#### कम्पनियों के समापन के लिए प्रभावी अनुश्रवण तंत्र की कमी

**2.1.11.2** पीएसयू के कुशल कामकाज के पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग पर है और रूग्ण/अकार्यरत पीएसयू के समापन के लिए अंतिम मत डीपीई/बीपीई के परामर्श से प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया जाना है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि यह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह रूग्ण/अकार्यरत पीएसयू के समापन, के लिए कार्यवाही करे, इन विभागों ने

कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसके कारण इन 29 पीएसयू का मार्च 2021 तक समापन नहीं किया जा सका। प्रशासनिक विभागों की विफलता के कुछ उदाहरणों की चर्चा नीचे तालिका 2.2 में की गई है।

तालिका 2.2: प्रशासनिक विभागों के अनुश्रवण की कमी को दर्शाने वाले मामले

| क्रम संख्या | पीएसयू का नाम                             | कम्पनी की गतिविधि बंद होने की तिथि | गतिविधि बंद होने के बाद से वर्षों की संख्या (लगभग) | प्रशासनिक विभाग की विफलता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड   | 28.06.2012                         | 8                                                  | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था। कम्पनी समापन के लिए राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास नहीं गई, हालाँकि, सरकार द्वारा 26.09.2017 को अनुमति दी गई थी। यह, प्रशासनिक विभाग अर्थात् हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह प्रभावी कदम उठाकर प्रक्रिया में तेजी लाए। लेकिन, उसने न तो आज तक प्रकरण की कोई स्थिति मांगी और न ही सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकरण को एनसीएलटी को संदर्भित नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण माँगा।                                                                                                                                  |
| 2           | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल निगम लिमिटेड | 14.03.2001                         | 20                                                 | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल निगम लिमिटेड (कम्पनी) को बीआईएफआर द्वारा 02.02.1995 को रूग्ण घोषित किया गया और 13.07.2005 को बंद करने का आदेश दिया गया। इस आदेश पर औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई। सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2017 के पत्र द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद कम्पनी ने एनसीएलटी में प्रकरण दर्ज नहीं किया। यह, प्रशासनिक विभाग अर्थात् हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह प्रभावी कदम उठाकर प्रक्रिया में तेजी लाए। लेकिन, उसने न तो आज तक प्रकरण की कोई स्थिति मांगी और न ही सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकरण को एनसीएलटी को संदर्भित नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण माँगा। |

इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों और प्रबंधन ने कम्पनी अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार समापन के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की जिसके कारण इन अकार्यरत पीएसयू की स्थिति उनके अकार्यरत होने से एक से 31 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसी अवस्था में बनी रही।

### पीएसयू के अनुश्रवण में सार्वजनिक उद्यम विभाग की विफलता

**2.1.11.3** सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गतिविधियों को बंद करने में सहायता प्रदान करने और पीएसयू के प्रबंधन के लिए नीति दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

हालाँकि, न तो डीपीई पीएसयू के लिए किये गए कार्यों से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रदान कर सका और न ही पीएसयू किसी भी सहायता के लिए डीपीई से संपर्क करने के ऐसे अभिलेख उपलब्ध करा सके।

### पीएसयू के अनुश्रवण में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की विफलता

**2.1.11.4** सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) एक निदेशालय के रूप में कार्य करता है और पीएसयू के आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा के साथ-साथ डीपीई के निर्धारित कार्यों में सहायता प्रदान करता है, प्रशासनिक विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करने, लेखों के बकायों को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू के वार्षिक लेखों के पूरा होने की प्रगति के अनुश्रवण आदि के कार्य में सहायता प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीपीई पीएसयू के वार्षिक लेखों को समय पर पूरा करने हेतु अनुश्रवण करने में विफल रहा क्योंकि मार्च 2021 तक 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखे एक से 39 वर्ष (परिशिष्ट-2.6) की अवधि से लंबित थे। इसके अलावा, बीपीई द्वारा प्रदान किये गए किसी भी तकनीकी मार्गदर्शन और पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की प्रगति के अनुश्रवण का विवरण अभिलेख में नहीं पाया गया।

### अकार्यरत पीएसयू के समापन में देरी के कारण वित्तीय भार

2.1.12 लेखापरीक्षा में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

#### सुरक्षा, कर्मचारियों एवं दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय

2.1.12.1 अकार्यरत पीएसयू को कर्मचारियों के भुगतान, सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय करना पड़ता है। इस तरह के व्ययों को पूरा करने के लिए ये पीएसयू अंतरिम ऋण लेते हैं या निधि का प्रबंध स्वयं के स्रोतों से करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 29 पीएसयू अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय का प्रबंधन या तो अपने स्वयं के स्रोतों/अपनी मूल कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से या उत्तर प्रदेश सरकार से लिए गए ब्याज सहित अंतरिम ऋण से कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन पीएसयू के समापन में विलम्ब के कारण मार्च 2021 तक इन पीएसयू द्वारा कर्मचारियों, सुरक्षा एवं दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों पर ₹ 131.28 करोड़ (परिशिष्ट-2.5) का परिहार्य व्यय किया गया।

#### विद्युत बिल का परिहार्य भुगतान

2.1.12.2 दि इंडियन टरपेन्टाइन एवं रोजिन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को अक्टूबर 2020 में बंद कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्पत्ति विक्रय समिति की सलाह (जनवरी 2004) के आधार पर, कम्पनी द्वारा सरकार को ₹ 1.72 करोड़ मूल्य के 92 आवासीय क्वार्टरों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव<sup>9</sup> दिया गया, हालाँकि, राज्य सरकार से प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुयी। कम्पनी ने भी दिसम्बर 2020 तक जब इसने प्रकरण को सुलझाने के लिए सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया, प्रकरण को कार्यवाही हेतु आगे नहीं बढ़ाया। 31 मार्च 2021 को, कर्मचारियों की वीआरएस की धनराशि ₹ 6.05 लाख एवं बोनस की धनराशि ₹ 9.57 लाख भुगतान हेतु अभी भी देय थी।

अग्रेतर, कम्पनी और प्रशासनिक विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के कब्जे वाले आवासीय क्वार्टरों के विद्युत प्रभार पर ₹ 15.72 करोड़<sup>10</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

### निष्कर्ष

प्रशासनिक विभागों और डीपीई ने अकार्यरत पीएसयू के समय पर समापन या निजीकरण के लिए उचित कार्यवाही नहीं की। पीएसयू की परिसमापन प्रक्रिया सात से 39 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं की जा सकी। डीपीई और बीपीई निगरानी में विफल रहे। अकार्यरत पीएसयू ने किसी नीति, दिशा-निर्देशों और अनुश्रवण तंत्र के अभाव में अपने संसाधनों का कुप्रबंधन किया। पीएसयू के समापन में देरी के कारण अकार्यरत पीएसयू को कर्मचारियों की लागत, सुरक्षा व्यय, विद्युत प्रभार एवं अन्य दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के व्ययों पर ₹ 131.28 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

<sup>9</sup> पत्र संख्या: एमडी/टी/2004-05/254 दिनांक 10.01.2005 द्वारा।

<sup>10</sup> विद्युत प्रभार के बकाये के विरुद्ध किया गया भुगतान: ₹ 12.12 करोड़ + विद्युत प्रभार के प्रति सृजित देयताएं: ₹ 3.95 करोड़ – पिछली अवधि की बकाया राशि: ₹ 0.35 करोड़।



## संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि प्रशासनिक विभागों/डीपीई/बीपीई को चाहिए कि:

1. लंबे समय से अकार्यरत स्थिति में बनी रहने वाली पीएसयू को बंद करने और उनकी सम्पत्ति के मौद्रिकरण के लिए ठोस प्रयास करें।
2. परिसमापनाधीन पीएसयू की समापन प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।
3. अकार्यरत पीएसयू के लेखों के बकायों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
4. डीपीई को अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों के प्रबंधन के लिए नीति/दिशानिर्देश बनाना तथा जारी करना चाहिये।

## ऊर्जा विभाग

### उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

#### 2.2 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा

### प्रस्तावना

**2.2.1** उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) मुख्यालय लखनऊ को, 25 अगस्त 1980 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी के रूप में, राज्य में नई ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ, निगमित किया गया था। यूपीआरवीयूएनएल के नौ<sup>11</sup> ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5,380 मेगावाट है। राज्य की कुल ऊर्जा आवश्यकता में से यूपीआरवीयूएनएल के ताप विद्युत संयंत्रों ने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 25.26 प्रतिशत, 21.43 प्रतिशत और 19.39 प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा<sup>12</sup> किया।

टीपीपी के दीर्घकालिक स्थिर स्तरों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक रखरखाव और उपकरण ओवरहालिंग समय सारणी का पालन करना महत्वपूर्ण है। समय सारणी का पालन न करने से उपकरण के अधिक कोयले, ईंधन तेल की खपत करने और बाध्यकारी आउटतेज के एक उच्चतर जोखिम की आशंका होती है। इन कारकों से विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है और उपकरणों की उपलब्धता कम हो जाती है जिससे कुल विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

**2.2.2** टीपीपी की मरम्मत और अनुरक्षण (आर एण्ड एम) समयबद्ध गतिविधियाँ हैं जो सामान्यतः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं और टीपीपी द्वारा विद्युत के अनुकूलतम उत्पादन के लिए इसे यथा-समय पूरा करना आवश्यक है। यूपीआरवीयूएनएल में, आर एण्ड एम पर 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय क्रमशः ₹ 502.95 करोड़, ₹ 549.29 करोड़ एवं ₹ 472.64 करोड़ था।

### संगठनात्मक संरचना

**2.2.3** ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और चार निदेशक शामिल हैं। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को मुख्यालय और फील्ड के मुख्य

<sup>11</sup> 2018-19 से 2020-21 के दौरान।

<sup>12</sup> 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय की गयी क्रमशः 1,15,435.51 मिलियन यूनिट (एमयू), 1,18,140.93 एमयू एवं 1,20,589.94 एमयू ऊर्जा के विरुद्ध क्रमशः 29,154 एमयू, 25,318 एमयू एवं 23,388 एमयू।

अभियंताओं/मुख्य महाप्रबंधकों और अधिशाषी अभियंताओं की सहायता से पूरा किया जाता है।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

**2.2.4** लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी, कि:

- क्या आर एण्ड एम की योजना, जैसा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के नियमावली में निर्धारित है, के तहत बनाई गई थी;
- क्या आर एण्ड एम के लिए सामग्री की आपूर्ति के अनुबंध/संविदा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गए थे;
- क्या आर एण्ड एम का कार्य यथा-समय और मितव्ययी रूप से योजनानुसार निष्पादित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा निर्धारित मानदण्ड हासिल किये गए हैं; एवं
- क्या आर एण्ड एम से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रभावी अनुश्रवण तंत्र है।

### लेखापरीक्षा मानदण्ड

**2.2.5** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का आँकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गए थे:

- ओईएम नियमावली, वार्षिक योजना, बजट, आर एण्ड एम के लिए परिचालन मापदण्ड, ठेकेदारों के साथ अनुबंध और ओवरहालिंग के बाद की आउटेज रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका, प्राक्कलनों का औचित्य एवं कार्यों का दर विश्लेषण।
- यूपीईआरसी के मानदण्ड, मशीन के बंद होने का आँकलन, विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया तंत्र और मानक संचालन प्रक्रिया/उपकरण की संचालन नियमावली।

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

**2.2.6** 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक लेखापरीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा ने लखनऊ में यूपीआरवीयूएनएल मुख्यालय और इसके नौ ताप विद्युत संयंत्रों में से चयनित सात<sup>13</sup> टीपीपी के आर एण्ड एम से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की। इन सात टीपीपी में आर एण्ड एम पर किया गया व्यय 2018-19 से 2020-21 के दौरान यूपीआरवीयूएनएल द्वारा आर एण्ड एम पर किये गए कुल व्यय का 77.13 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, टीपीपी ने 7,215 निविदाओं को अंतिम रूप दिया, जिसके विरुद्ध लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से मौद्रिक मूल्य के आधार पर 478 निविदाओं का चयन किया।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में 31 अगस्त 2021 को आयोजित एक एन्ट्री कान्फ्रेंस में शीर्ष प्रबंधन को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या करना, अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षित कर्मियों के साथ परस्पर विचार विमर्श, लेखापरीक्षा मानदण्डों के संदर्भ में डाटा का विश्लेषण और प्रबंधन के साथ विचार विमर्श के पश्चात् लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना शामिल था।

प्रबंधन और राज्य सरकार को जून 2022 में लेखापरीक्षा परिणामों को प्रेषित किया गया था। कम्पनी के उत्तरों और प्रबंधन द्वारा 8 जुलाई 2022 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों/विचारों को सम्बन्धित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से

<sup>13</sup> 'बी' ओबरा टीपीपी (2 x 500 मेगावाट), 'ए' पारीछा टीपीपी (2 x 110 मेगावाट), 'बी' पारीछा टीपीपी (2 x 210 मेगावाट), 'सी' हरदुआगंज टीपीपी (1 x 110 मेगावाट), हरदुआगंज एक्सटेंशन टीपीपी (2 x 250 मेगावाट), 'ए' अनपरा टीपीपी (3 x 210 मेगावाट) और 'बी' अनपरा टीपीपी (2 x 500 मेगावाट)।



सम्मिलित किया गया है। हालाँकि, सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

### लेखापरीक्षा परिणाम

**2.2.7** यूपीआरवीयूएनएल मुख्यालय और इसके चयनित सात टीपीपी में अभिलेखों की जाँच से प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगे की गई है।

### ओवरहालिंग की योजना

**2.2.8** ऊर्जा उत्पादन के लिए टीपीपी की उत्पादन इकाइयों की ओवरहालिंग इन इकाइयों में स्थापित विभिन्न उपकरणों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूपीआरवीयूएनएल ने ओवरहालिंग को तीन श्रेणियों यथा, कैपिटल ओवरहालिंग (सीओएच), वार्षिक ओवरहालिंग (एओएच) एवं मिनी ओवरहालिंग (एमओएच) में वर्गीकृत किया था। उपकरण का सीओएच इकाई के चलने से हर छः वर्षों में ओईएम द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें जनरेटर और बॉयलर की ओवरहालिंग के साथ टर्बाइन के उच्च दबाव (एचपी), मध्यवर्ती दबाव (आईपी) और निम्न दबाव (एलपी) की ओवरहालिंग शामिल की जाती है। यूपीआरवीयूएनएल द्वारा आवश्यकतानुसार उपकरणों<sup>14</sup> की एओएच एवं एमओएच की योजना वार्षिक रूप से बनाई जाती है। ओवरहालिंग की योजना के लिए, यूपीआरवीयूएनएल रोलिंग प्लान तैयार करता है और रोलिंग प्लान में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार ओवरहाल निष्पादित करता है।

यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक मण्डल ने अगस्त 2017 में वर्ष 2018-19 से 2021-22 हेतु संयंत्रों के ओवरहालिंग के लिए रोलिंग प्लान की स्वीकृति दी। तैयार किये गए रोलिंग प्लान (23 अगस्त 2017) में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए, आठ टीपीपी<sup>15</sup> की 18 उत्पादन इकाइयों<sup>16</sup> के 52 ओवरहाल (सीओएच: 8, एओएच: 17 एवं एमओएच: 27) के ₹ 1,046 करोड़ के बजटीय व्यय के साथ सीओएच के लिए 45 दिनों की अवधि, एओएच के लिए 30 दिनों और एमओएच के लिए 18 दिनों की अवधि की योजना बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीओएच के लिए निर्धारित ओईएम समय-सारणी के अनुसार रोलिंग प्लान तैयार नहीं किया गया था। टीपीपी के सीओएच की योजना में अत्याधिक विचलन/विलंब देखे गए थे जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3: टीपीपी के सीओएच की योजना में विचलन/विलंब

| टीपीपी का नाम      | इकाई संख्या | क्षमता (मेगावाट) | की गयी अंतिम कैपिटल ओवरहालिंग      | ओईएम समय-सारणी के अनुसार ओवरहालिंग का नियत समय | रोलिंग प्लान के अनुसार प्रस्तावित ओवरहालिंग | रोलिंग प्लान में विलंबित योजना (वर्षों में) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| अनपरा 'ए'          | 1           | 210              | अप्रैल-2008                        | अप्रैल -2014                                   | 2018-19                                     | 4                                           |
|                    | 2           | 210              | नवम्बर-2012                        | नवम्बर -2018                                   | 2021-22                                     | 3                                           |
|                    | 3           | 210              | मार्च-2008                         | मार्च-2014                                     | 2019-20                                     | 5                                           |
| अनपरा 'बी'         | 4           | 500              | दिसम्बर-2009                       | दिसम्बर -2015                                  | 2019-20                                     | 4                                           |
|                    | 5           | 500              | मई-2008                            | मई-2014                                        | 2018-19                                     | 4                                           |
| हरदुआगंज 'विस्तार' | 8           | 250              | फरवरी-2012 में सीओडी <sup>17</sup> | फरवरी -2018                                    | 2019-20                                     | 2                                           |
| पारीछा 'बी'        | 4           | 210              | मार्च-2012                         | मार्च-2018                                     | 2020-21                                     | 3                                           |

स्रोत: यूपीआरवीयूएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

<sup>14</sup> निम्न दाब (एलपी) स्टेज टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलर, कन्वेयर बेल्ट, फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली, कोल मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम, राख पाइपलाइन संरचना, आदि।

<sup>15</sup> रोलिंग प्लान में सीओएच/एओएच/एमओएच के लिए एक टीपीपी (पारीछा: 2 x 110 मेगावाट) की योजना नहीं बनायी गयी थी।

<sup>16</sup> 2018-19: 17 ओवरहाल, 2019-20: 17 ओवरहाल और 2020-21: 18 ओवरहाल।

<sup>17</sup> वाणिज्यिक संचालन तिथि।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ओईएम द्वारा निर्धारित समय-सारणी की तुलना में दो से पाँच वर्षों का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ था। इसके कारण, उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन ह्रासित हो गया, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तारों से देखा जा सकता है।

एकिज़्ट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने ओवरहालिंग में विलंब को स्वीकार किया और कहा कि ओवरहालिंग एवं अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार करना प्रगति पर है।

### अनुबंध/संविदा के निष्पादन में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने अनुबंध/संविदा के निष्पादन में कमियाँ देखीं जो कि नीचे वर्णित हैं:

#### ठेकेदार को अनुचित लाभ

**2.2.9** निविदा<sup>18</sup> के वाणिज्यिक नियम और शर्तों के अनुच्छेद 2 के अनुसार तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 180 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए बिड स्वीकृति हेतु वैध रहेगी।

पारीछा टीपीपी ने 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए ₹ 34.57 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के मूल्य पर मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स को कार्य प्रदान (25 जून 2018) किया।

उपरोक्त कार्य को जारी रखने के लिए नई निविदा 30 मई 2020 को आमंत्रित की गई थी, जिसमें बिड जमा करने की निर्दिष्ट तिथि 16 जुलाई 2020 थी जिसे कोविड लॉकडाउन के कारण 7 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था। चार फर्मों ने बिड में भाग लिया जिनमें से दो फर्मों 13 अगस्त 2020 को बिड दस्तावेज के भाग-I को खोलने के बाद योग्य पायी गयी। दो फर्मों को कार्य अनुभव प्रस्तुत न करने, पूर्व वर्षों में जीएसटी के भुगतान में चूक आदि के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। अयोग्य घोषित एक फर्म मैसर्स एनर्गो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व वर्षों में जीएसटी के भुगतान में चूक के प्रकरण की समीक्षा की गई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी और यह निर्णय लिया गया (23 नवम्बर 2020) कि उक्त प्रकरण पर बिड भाग-II को खोलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद, इन तीनों के बिड के भाग-II को 16 दिसम्बर 2020 को खोला गया और मैसर्स एनर्गो को एल-1 निविदादाता घोषित किया गया। मैसर्स एनर्गो को 28 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2023 तक दो वर्ष की अवधि के लिए, ₹ 25.87 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के मूल्य पर कार्य प्रदान (22 फरवरी 2021) किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि उपरोक्त निविदा के बिड के भाग-II की वैधता अवधि 8 फरवरी 2021 (बिड के भाग-I खुलने अर्थात् 13 अगस्त 2020 से 180 दिन) तक थी, लेकिन कम्पनी ने 15 जनवरी 2021 को समझौता वार्ता को अंतिम रूप देने और कॉर्पोरेट निविदा समिति द्वारा उस पर 16 फरवरी 2021 को स्वीकृति के पश्चात् निविदा को एल-1 निविदादाता को 22 फरवरी 2021 को प्रदान किया।

इस प्रकार, प्रबंधन ने 14 दिनों के विलम्ब से कार्य प्रदान किया। नए ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने तक कार्य पुराने ठेकेदार<sup>19</sup> अर्थात् मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स द्वारा ₹ 1.44 करोड़ प्रति माह की लागत से निष्पादित किया जाता रहा जो कि नए अनुबंध ₹ 1.08 करोड़ प्रति माह की दर से काफी अधिक था। इस प्रकार, कार्य को विलम्ब से

<sup>18</sup> 2 x 210 मेगावाट के सम्पूर्ण कोल हैंडलिंग प्लांट का चौबीसो घंटे पूरा संचालन और अनुरक्षण कार्य, 2 x 210 मेगावाट के कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) का निर्बाध कोयला फीडिंग + 2 x 250 मेगावाट (इकाई संख्या 3, 4, 5 और 6), 2 x 110 मेगावाट सीएचपी का अनलोडिंग कार्य जिसमें मैनुअल अनलोडिंग और प्रबंधन, संचालन और शंटिंग कार्य आदि और 2 x 210 मेगावाट कोल अनलोडिंग प्लांट का चौबीसो घंटे सम्पूर्ण यांत्रिक और विद्युतीय रखरखाव कार्य शामिल है।

<sup>19</sup> अनुबंध की समाप्ति तिथि 30 जून 2020 थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।

प्रदान किये जाने के कारण, यूपीआरवीयूएनएल ने मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स को ₹ 0.17 करोड़ धनराशि का अनुचित लाभ दिया जो कि बचाया जा सकता था।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, प्रबंधन ने कार्य को प्रदान करने में देरी को स्वीकार किया और कहा कि नए कार्य को प्रदान करने में लागत की बचत है। अग्रेतर, समिति द्वारा अनुबंध को विभिन्न स्तरों पर अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा तय करने के लिए एसओपी तैयार की जाएगी।

### ओवरहालिंग का क्रियान्वयन

**2.2.10** टीपीपी के मुख्य उपकरण जैसे टर्बाइन, बॉयलर और जनरेटर ओईएम (बीएचईएल, तोशिबा, आदि) द्वारा स्थापित किये गए थे और इन ओईएम द्वारा छः वर्ष में एक बार इनकी ओवरहालिंग की जानी थी। टीपीपी के अन्य उपकरणों को वार्षिक आधार पर या आवश्यकता के आधार पर निविदा के माध्यम से ओवरहाल किया जा रहा था। निर्धारित समय सारणी के अनुसार, सीओएच, एओएच और एमओएच को क्रमशः 45 दिन, 30 दिन एवं 18 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। निर्धारित समय के भीतर ओवरहाल का पूरा होना महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च ओवरहालिंग चक्र या निर्धारित ओवरहालिंग समय में देरी से संयंत्र की उपलब्धता कम हो जाती है और उत्पादन की हानि होती है। रणनीतिक और अग्रिम योजना, संसाधनों का समय पर जुटाना, सावधानीपूर्वक अनुश्रवण एवं चौबीसों घंटे समर्पित प्रयास ओवरहाल समय को कम करता है।

जैसा कि प्रस्तर 2.2.8 में चर्चा की गई है, यूपीआरवीयूएनएल ने रोलिंग प्लान में आठ टीपीपी की 18 उत्पादन इकाइयों के 52 ओवरहाल की योजना बनाई। हालाँकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान ओवरहाल के क्रियान्वयन के समय, ओवरहालिंग पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रतिबंधों के कारण नियोजित ओवरहाल को घटाकर मात्र 33 कर दिया।

लेखापरीक्षा ने कम लक्ष्यों के बाद भी ओवरहाल के क्रियान्वयन में कमी को देखा (जनवरी 2022) जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4: ओवरहाल के क्रियान्वयन में कमी

| वर्ष    | नियोजित इकाइयों की संख्या |            | ओवरहाल की गई इकाइयों की संख्या |            | कमी   |                 |
|---------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------|-----------------|
|         | सीओएच                     | एओएच/एमओएच | सीओएच                          | एओएच/एमओएच | सीओएच | एओएच/एमओएच      |
| 2018-19 | 5                         | 12         | 1                              | 2          | 4     | 7 <sup>20</sup> |
| 2019-20 | 3                         | 5          | 1                              | 3          | 2     | 2               |
| 2020-21 | 6                         | 2          | 2                              | 1          | 4     | 1               |
| योग     | 14                        | 19         | 4                              | 6          | 10    | 10              |

स्रोत: यूपीआरवीयूएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सीओएच में 10 ओवरहाल (71 प्रतिशत) और एओएच/एमओएच में 10 ओवरहाल (53 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी थी जो यूपीआरवीयूएनएल द्वारा ओवरहाल के तुच्छ क्रियान्वयन को दर्शाता है।

अग्रेतर, चयनित सात टीपीपी की 17 उत्पादन इकाइयों में 2018-19 से 2020-21 तक 23 ओवरहाल जिनमें से 13 सीओएच ओवरहाल और 10 एओएच/एमओएच ओवरहाल के लिए योजना बनाई गई थी। इसके सापेक्ष, सीओएच में 10 ओवरहाल (77 प्रतिशत)

<sup>20</sup> 2018-19 के दौरान एमओएच के लिए ओबरा टीपीपी की तीन इकाइयों (इकाई संख्या 9, इकाई संख्या 10 और इकाई संख्या 11) की योजना बनाई गई थी। हालाँकि, 14 अक्टूबर 2018 को ओबरा टीपीपी में आग लगने के कारण इन इकाइयों को 2018-19 में ओवरहालिंग के लिए नहीं लिया गया था। इसलिए, इन यूनिटों को ओवरहालिंग में कमी में सम्मिलित नहीं किया गया है।

और एओएच/एमओएच में छः ओवरहाल (60 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई थी।

ओवरहालिंग की समय-सारणी का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई तथा कई अतिरिक्त कार्यों यथा सभी एचआईपी टर्बाइन डायग्राम को बदलना, पावर सिलेंडरों की मरम्मत, जाम हो गए बोल्ट को हटाना, जनरेटर रोटार एपॉक्सी इंजेक्शन का कार्य आदि का क्रियान्वयन करना पड़ा।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रस्तर को स्वीकार किया और कहा कि रोलिंग प्लान/ओईएम अनुसूची के अनुसार ओवरहालिंग के प्रयास किये जाएंगे।

### ओवरहालिंग समय-सारणी का पालन न करने के कारण परिहार्य हानि

लेखापरीक्षा ने ओवरहालिंग समय-सारणी का पालन न करने के कारण परिहार्य हानि के दृष्टान्तों को देखा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

#### विलंबित सीओएच के कारण कम पीएलएफ के परिणामस्वरूप उत्पादन हानि

**2.2.11** सभी उत्पादन स्टेशनों के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के मापदण्ड उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 और 2019 के अनुसार तय किये जाते हैं। पीएलएफ वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता पर अधिकतम संभव उत्पादन के बीच के अनुपात को संदर्भित करता है। यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, राज्य ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक था।

जैसा कि प्रस्तर 2.2.10 में चर्चा की गई है, ओवरहालिंग में देरी से संयंत्र की उपलब्धता कम हो जाती है और उत्पादन की हानि होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार टीपीपी<sup>21</sup>, जिनमें निर्धारित ओईएम अनुसूची के अनुसार समय पर कैपिटल ओवरहालिंग नहीं की गई थी, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम पीएलएफ पर चल रहे थे जिससे 277.97 एमयू<sup>22</sup> ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई। इस कारण, यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को 2018-19 से 2020-21 के दौरान उपरोक्त ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल को निजी विद्युत उत्पादकों से उपरोक्त सीमा तक ऊर्जा क्रय करनी पड़ी, जिसके कारण यूपीपीसीएल द्वारा ₹ 39.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

#### समय पर परीक्षण न करने के कारण यूपीआरवीयूएनएल को हानि

**2.2.12** हरदुआगंज की इकाई संख्या 7 की वार्षिक ओवरहालिंग की योजना 1 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 के दौरान बनाई गई थी लेकिन प्रबंधन द्वारा इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इकाई 13 नवम्बर 2018 से 8 मई 2019 के दौरान एसएलडीसी के निर्देश पर बंद रही। इकाई को पुनः 9 मई 2019 को लोड पर लिया गया। इसी बीच, शटडाउन की अवधि के दौरान 1 जनवरी 2019 से 18 जनवरी 2019 तक एक मिनी ओवरहालिंग का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे भी

<sup>21</sup> ओबरा-बी टीपीपी (2020-21) की इकाई संख्या 11- 75 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलएफ 63.85 प्रतिशत था; पारीछा-ए टीपीपी (2018-19) की इकाई संख्या 2- 70 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलएफ 65.94 प्रतिशत था; अनपरा-ए टीपीपी की इकाई संख्या 1 (2019-20)- 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलएफ 83.92 प्रतिशत था; अनपरा-बी टीपीपी (2018-19) की इकाई संख्या 5- 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलएफ 84.01 प्रतिशत था और अनपरा-बी टीपीपी (2020-21) की इकाई संख्या 4- 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलएफ 84.70 प्रतिशत था।

<sup>22</sup> ओबरा-बी, पारीछा-ए, अनपरा-ए और अनपरा-बी टीपीपी में क्रमशः 177.09 एमयू, 34.96 एमयू, 14.08 एमयू और 51.84 एमयू।

यूपीआरवीयूएनएल द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया। लोड पर लेने के बाद, जनरेटर ट्रांसफार्मर (जीटी) में आग लग गई और इकाई 15 मई 2019 को ट्रिप हो गई। जीटी के प्रतिस्थापन के पश्चात् 27 जुलाई 2019 को इकाई सिंक्रोनाइज हुई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने की घटना का मुख्य कारण जीआरपी रिले, एक्साइटेशन सिस्टम जनरेटर और जीटी जैसे उपकरणों के समय पर परीक्षण में विफलता थी, जिनका पिछले चार वर्षों<sup>23</sup> से परीक्षण नहीं किया गया था। बुशिंग का टैन डेल्टा परीक्षण 20 फरवरी 2018 को किया गया था, जिनमें आर एंड वाई फेज बुशिंग टैन डेल्टा मान काफी अधिक पाए गए और खतरनाक सीमा को पार कर गए थे।

यूपीआरवीयूएनएल ने ₹ 6.30 करोड़ मूल्य के जले हुए ट्रांसफार्मर के मूल्य को अपलिखित करने के अलावा जनरेटर ट्रांसफार्मर<sup>24</sup> के प्रतिस्थापन एवं परिवहन पर ₹ 1.52 करोड़ का व्यय किया। अग्रेतर, यूपीआरवीयूएनएल ने, आरोप पत्र के अंतिमीकरण के आधार पर, पाँच अधिकारियों/कर्मचारियों को मामूली शास्ति (चेतावनी, निंदात्मक प्रविष्टि) दी। यदि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार इकाई चलाने से पूर्व समय पर परीक्षण किया गया होता तो इस व्यय से बचा जा सकता था।

एक्जिट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने प्रस्तर को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में जीटी का परीक्षण नियमित आधार पर किया जा रहा है।

### अनुश्रवण तंत्र में देखी गई कमियाँ

लेखापरीक्षा ने टीपीपी में क्रियान्वित किये जा रहे आर एण्ड एम कार्यों पर अनुश्रवण तंत्र में कमियों को देखा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

#### अनुपयुक्त बियरिंग क्रय नीति

**2.2.13** यूपीआरवीयूएनएल ने इंडयूस्ड ड्राफ्ट फैन (आईडी फैन), फोर्सड ड्राफ्ट फैन (एफडी फैन), प्राइमरी एयर फैन (पीए फैन) आदि में उपयोग के लिए एसकेएफ/एफएजी/टिमकेन/एनटीएन मेक बियरिंग की सभी टीपीपी द्वारा क्रय के लिए एक नई बियरिंग क्रय नीति (19 सितम्बर 2018) तैयार की थी। नीति में कहा गया था कि, पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष प्रकरण के रूप में, निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदन के पश्चात् ओबरा टीपीपी और 3 x 210 मेगावाट की अनपरा टीपीपी की इकाई में उपयोग के लिए एनटीएन मेक की बियरिंग क्रय की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि अनपरा टीपीपी की इकाई संख्या 1 आईडी फैन 1 बी में समस्या के कारण 29 मार्च 2019 को ट्रिप हो गई एवं त्रुटियों की मरम्मत के दौरान, निदेशक (तकनीकी) की स्वीकृति के बिना इसमें एनटीएन मेक बियरिंग स्थापित की गई थी। आईडी फैन में प्रयुक्त एनटीएन मेक बियरिंग की खराब गुणवत्ता के कारण इकाई पुनः 16 सितम्बर 2019 को फिर से ट्रिप हो गई और इसे 18 सितम्बर 2019 को सिंक्रोनाइज किया गया। जो यह इंगित करता है कि यूपीआरवीयूएनएल इसे क्रय करने से पहले एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इकाई संख्या 1 का उत्पादन 16 सितम्बर 2019 से 17 सितम्बर 2019 के दौरान दो दिनों के लिए बंद रहा, जो परिहार्य था।

अग्रेतर, टीपीपी के ट्रिपिंग विवरण के विश्लेषण से यह देखा गया कि अनपरा टीपीपी की इकाई संख्या 3 एनटीएन मेक बियरिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण

<sup>23</sup> परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, जीआरपी रिले, एक्साइटेशन सिस्टम जनरेटर और जीटी आदि का वार्षिक आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए था।

<sup>24</sup> परिवर्तित जीटी (125 एमवीए) पनकी टीपीपी में बिना काम के रखा हुआ था जिसे जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर ले जाया और स्थापित किया गया था।

7 सितम्बर 2019 एवं 9 फरवरी 2020 को दो बार ट्रिप हुई। जो यह इंगित करता है कि बियरिंग की गुणवत्ता खराब थी।

अग्रेतर, ताप विद्युत संयंत्र की ट्रिपिंग कमेटी ने भी संस्तुति (फरवरी 2020) की, कि एनटीएन मेक बियरिंग को क्रिटिकल आगजलिरिज जैसे कि आईडी फैन के लिए क्रय न किया जाए और पुनः बियरिंग नीति की समीक्षा के लिए संस्तुति की। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एनटीएन मेक बियरिंग क्रय करने का निर्णय उचित नहीं था।

प्रबंधन ने कहा कि आईडी फैन में एनटीएन मेक बियरिंग की विफलता एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता और प्रदर्शन के अलावा विभिन्न तकनीकी कारणों से हो सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रिपिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता खराब थी।

### **कार्य के खराब अनुश्रवण के कारण उत्पादन की हानि**

**2.2.14** हरदुआगंज टीपीपी की इकाई संख्या 7 के क्षतिग्रस्त 150 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर की शिपिंग और पनकी टीपीपी पर उपलब्ध 125 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर की प्रतिस्थापना के कार्य के लिए 10 जून 2019 को मैसर्स सन इंजीनियरिंग वर्क्स को ₹ 34.55 लाख के कार्य की लागत का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। कार्य को पूरा करने की अवधि एलओआई जारी होने से 35 दिन अर्थात् 15 जुलाई 2019 तक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य 11 दिन की देरी से 26 जुलाई 2019 को पूरा किया गया और इकाई को 27 जुलाई 2019 को सिंक्रोनाइज़ किया गया। प्रबंधन ने देखा कि विलम्ब, ठेकेदार द्वारा जनशक्ति की कम तैनाती के कारण हुआ। प्रबंधन ने विलम्ब के लिए ठेकेदार पर ₹ 55,000 का जुर्माना लगाया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रबंधन ने न तो काम को समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदार के साथ कोई पत्राचार किया और न ही मानव शक्ति की कम तैनाती के तथ्य की जानकारी के बावजूद ठेकेदार को कोई निर्देश जारी किया। इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा कार्य का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया जिसके कारण इकाई को 11 अतिरिक्त दिनों के लिए बंद करना पड़ा जिससे 2.253 एमयू<sup>25</sup> ऊर्जा के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 2.47 करोड़<sup>26</sup> के फिक्स चार्ज की हानि हुई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि कार्य का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा रहा था तथा विलम्ब के लिए जुर्माने की कटौती अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन नियमित रूप से किये गए अनुश्रवण के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहा और विलम्ब से कार्य पूर्ण होने के कारण उत्पादन की महत्वपूर्ण हानि हुई।

### **‘सीक्वेंस ऑफ़ इवेंट्स रिकॉर्डिंग सिस्टम’ की स्थापना में देरी के कारण त्रुटि का पता लगाने में विफलता**

**2.2.15** अनपरा टीपीपी के इकाई संख्या 1, 2 और 3 की स्थापना के समय (1986 और 1988 के मध्य) टीपीपी के उपकरण के साथ डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर (डीएस) स्थापित किया गया था। डीएस का मुख्य कार्य इकाई के संचालन के दौरान होने

<sup>25</sup> 110 मेगावाट x 7.76 प्रतिशत x 24 घंटे x 11 दिन / 1000।

<sup>26</sup> 2.253 एमयू x 1000000 x ₹ 10.9849 प्रति यूनिट।



वाली समस्याओं और उसके ट्रिपिंग के कारणों को प्रदर्शित और रिकॉर्ड करना है ताकि उपकरण में त्रुटि का समय पर पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि अनपरा टीपीपी के इकाई संख्या 2 और 3 में इसके डीएस पुर्जों और ओईएम से सहयोग की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 2016 से कार्य करने की स्थिति में नहीं था जिसके कारण प्रबंधन समय पर समस्या को हल करने के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता नहीं लगा सका। प्रबंधन ने इस तरह के कार्य के लिए इन इकाइयों में एक और वैकल्पिक प्रणाली अर्थात् सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिकॉर्डिंग सिस्टम (एसओई) स्थापित और चालू (19 फरवरी 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अप्रैल 2016 से फरवरी 2020 के दौरान अनपरा टीपीपी की इकाइयों की सभी ट्रिपिंग रिपोर्टों में प्रबंधन ने उल्लेख किया कि डीएस सपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण ट्रिपिंग का कोई विशिष्ट कारण स्थापित नहीं किया जा सका। जो यह प्रमाणित करता है कि ट्रिपिंग कारणों के विश्लेषणों के लिए डीएस या किसी वैकल्पिक प्रणाली की स्थापना आवश्यक थी ताकि ट्रिपिंग को कम किया जा सके परन्तु एसओई को पूर्व के डीएस प्रणाली की अनुपलब्धता के तीन वर्षों से अधिक समय के बाद स्थापित किया गया था। इस विलम्ब के कारण, यूनिटों की ट्रिपिंग को कम करने के लिए विश्लेषण नहीं किया जा सका।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, प्रबंधन ने स्वीकार किया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो लागत मितव्ययिता का विश्लेषण करने के बाद डीएस प्रणाली की स्थापना की जाएगी क्योंकि चालू इकाइयाँ बहुत पुरानी हैं।

### निष्कर्ष

मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के नियोजन एवं निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। ओवरहालिंग का रोलिंग प्लान ओईएम अनुसूची के अनुसार तैयार नहीं किया गया। ओवरहालिंग की समय-सारणी का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। पुर्जों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप टीपीपी का परिहार्य शटडाउन हुआ और आर एंड एम कार्य का प्रभावी अनुश्रवण न करने के कारण अतिरिक्त अवधि के लिए इकाई को बंद करने के परिणामस्वरूप ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई।

### संस्तुतियाँ

1. ओवरहालिंग का रोलिंग प्लान ओईएम अनुसूची के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और ओवरहालिंग की समय-सारणी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
2. क्रय के समय पुर्जों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. ठेकेदारों को दिए गए कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जानी चाहिए।

## लेखापरीक्षा प्रस्तर

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

## 2.3 ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दक्षता मापदण्डों का पालन करने में विफल रहा और कोयला मंत्रालय द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के कारण उसको ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने सहारपुर जमारपानी कोयला खदान, दुमका, झारखण्ड के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (एमओसी) के साथ एक आवंटन अनुबंध किया (मार्च 2015)। आवंटन आदेश एमओसी द्वारा अगस्त 2015 में जारी किया गया। यूपीआरवीयूएनएल ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार एमओसी के पास निष्पादन प्रतिभूति के रूप में ₹ 412.50 करोड़ जमा किये (अप्रैल 2015) जो कि अनुबंध की अनुसूची-ई (परिशिष्ट-2.7) में सूचीबद्ध दक्षता मापदण्डों का अनुपालन करने में विफल रहने पर नामित प्राधिकारी (एमओसी) द्वारा विनियोजित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर 2019) कि यूपीआरवीयूएनएल ने अप्रैल 2015 में एक साथ पहले (पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति) और दूसरे चरण (अन्वेषण की पूर्णता और भौगोलिक रिपोर्ट (जीआर) की तैयारी) की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विभिन्न कारणों<sup>27</sup> से आज तक (जुलाई 2022) पहला चरण भी हासिल नहीं कर सका। दूसरा चरण हासिल करने के लिए, यूपीआरवीयूएनएल ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), नागपुर और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, राँची (सीएमपीडीआई) से अन्वेषण ड्रिलिंग कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया (अप्रैल 2015)। जीएसआई और एमईसीएल ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन सीएमपीडीआई ने सूचित किया (मई 2015) कि 'दुमका जिले में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति ड्रिलिंग कार्यों को शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं थी। हालाँकि, अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ, तो हम असाइनमेंट लेने में सक्षम हो सकते हैं' और प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया लेकिन जीआर की तैयारी के लिए परामर्श कार्य निष्पादित करना स्वीकार कर लिया। मार्च 2017 में, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) को अन्वेषण ड्रिलिंग कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे उसने कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया। दिसम्बर 2017 में, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को सभी चरणों (परिशिष्ट-2.7 में उल्लिखित क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 13 तक) को पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया गया। हालाँकि, एमओसी के निर्देश (जून 2017) के अनुसार, दूसरे चरण का कार्य सीएमपीडीआई को 36 महीनों में पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ सौंपा गया (मई 2018)। लेकिन, फरवरी 2022 तक कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण दूसरे चरण का काम शुरू नहीं किया जा सका। इसके कारण, पीएफसीसीएल आवंटित कार्य को आंशिक रूप से ही पूरा कर सका।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि एमओसी ने चरणों को हासिल नहीं करने के लिए यूपीआरवीयूएनएल को तीन कारण बताओ नोटिस<sup>28</sup> जारी किये। यूपीआरवीयूएनएल द्वारा प्रस्तुत उत्तरों<sup>29</sup> की एमओसी की संवीक्षा समिति (समिति) द्वारा जाँच की गई

<sup>27</sup> कोयला ब्लॉक के सीमा मानचित्र में परिवर्तन, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने, अन्वेषण योजना की व्यवस्था करने, वन विभाग की सहमति प्राप्त करने तथा पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने हेतु भूमि अनुसूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, आदि के कारण।

<sup>28</sup> मार्च 2016, जुलाई 2017 और मार्च 2018 में।

<sup>29</sup> मार्च 2016, जुलाई 2017 और अप्रैल 2018 में।



और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह पाया कि चरणों को हासिल न करने में त्रुटि यूपीआरवीयूएनएल के स्तर पर थी। समिति ने, अनुबंध के खंड 6.2.1 (डी) के अनुसार ₹ 82.50 करोड़<sup>30</sup> की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने की संस्तुति की (जुलाई 2018) और समिति की संस्तुति के अनुपालन में एमओसी ने निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित कर लिया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा का मत है कि चरण को हासिल नहीं करने की त्रुटि यूपीआरवीयूएनएल के स्तर पर थी क्योंकि प्रतिकूल कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी इसको मई 2015 से थी, लेकिन इसने इस स्थिति को एमओसी को फरवरी 2017 तक प्रस्तुत की गयी मासिक प्री-कमेन्समेंट रिपोर्ट (पीसीआर) में कभी सूचित नहीं किया और देर से इस स्थिति को मार्च 2017 से पीसीआर में शामिल किया और दक्षता मापदण्डों में संशोधन के लिए अनुरोध किया जिसे एमओसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप, एमओसी ने परिशिष्ट-2.7 में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 4 के चरण को हासिल नहीं करने के लिए 20 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का निर्णय (अगस्त 2018) लिया। इसके अलावा, एमओसी ने क्रम संख्या 5 से 10 तक के चरणों को हासिल नहीं करने के लिए अतिरिक्त 35 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने के लिए एक और नोटिस जारी (सितम्बर 2018) किया। इसके विरुद्ध, यूपीआरवीयूएनएल ने फरवरी 2019 में माननीय कोयला न्यायाधिकरण गोड्डा, झारखण्ड के समक्ष एक याचिका दाखिल की जो कि विचाराधीन (जुलाई 2022) है।

इस प्रकार, दक्षता मापदण्डों की समय सीमा के संशोधन हेतु देरी से कार्यवाही करने के कारण, यूपीआरवीयूएनएल को ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

शासन एवं प्रबंधन ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2022/फरवरी 2022) कि झारखण्ड सरकार द्वारा यूपीआरवीयूएनएल को पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना शेष है। अगस्त 2015 से मासिक पीसीआर में सभी प्रगति/बाधाओं/प्रतिकूल परिस्थितियों की सूचना लगातार एमओसी को दी गई है, लेकिन इसने निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के समय इनका संज्ञान नहीं लिया, जो यूपीआरवीयूएनएल के नियंत्रण से परे था। इसके अलावा, बैंक गारंटी के जब्तीकरण का मामला माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थिति को पीसीआर के माध्यम से फरवरी 2017 तक एमओसी को सूचित करने में विफल रहा, जिसके कारण एमओसी द्वारा दक्षता मापदण्डों के समय सीमा को हासिल न करने में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विचार नहीं किया गया। एमओसी द्वारा नियमित रूप से देरी के लिए नोटिस जारी किये गये और अंततः निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित कर लिया गया। इसके अलावा, माननीय कोयला न्यायाधिकरण द्वारा आज तक (जुलाई 2022) कोई स्थगन या अंतरिम/अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

## पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.4 राजस्व की कम बिलिंग

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक एचवी-2 श्रेणी के उपभोक्ता पर गलत टैरिफ लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ की कम बिलिंग हुई जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वसूल किया गया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश<sup>31</sup> जो 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले उच्च वोल्टेज (एचवी-2) श्रेणी

<sup>30</sup> ₹ 412.50 करोड़ की कुल जमा निष्पादन प्रतिभूति का 20 प्रतिशत होने के कारण।

<sup>31</sup> 12.09.2019 से लागू।

के उपभोक्ताओं पर लागू है, हेतु 'दर'<sup>32</sup> प्रावधानित करते हैं जिसपर उपभोक्ता को शहरी अनुसूची के तहत विद्युत के उपभोग के लिए बिल किया जाएगा। दर इस प्रकार थी:

तालिका 2.5: विद्युत के उपभोग के लिए दर

|               | 11 केवी तक की आपूर्ति के लिए | 11 केवी से ऊपर और 66 केवी तक की आपूर्ति के लिए | 66 केवी से ऊपर और 132 केवी तक की आपूर्ति के लिए | 132 केवी से ऊपर की आपूर्ति के लिए |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| डिमाण्ड चार्ज | ₹ 300 /केवीए/माह             | ₹ 290 /केवीए/माह                               | ₹ 270 /केवीए/माह                                | ₹ 270 /केवीए/माह                  |
| इनर्जी चार्ज  | ₹ 7.10/केवीएच                | ₹ 6.80/केवीएच                                  | ₹ 6.40/केवीएच                                   | ₹ 6.10/केवीएच                     |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 66 केवी से ऊपर और 132 केवी तक और 132 केवी से ऊपर की आपूर्ति के लिए डिमाण्ड चार्ज समान थे, हालाँकि इन दोनों श्रेणियों के लिए इनर्जी चार्ज की दर अलग थी।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशाषी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I, नोएडा (खण्ड) ने प्लास्टिक फिल्मों के निर्माण के उद्देश्य हेतु 132 केवी वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति हेतु मैसर्स यूपलेक्स लिमिटेड, सेक्टर-60, नोएडा (उपभोक्ता) के साथ 20 एमवीए के अनुबंधित भार का एक अनुबंध (मार्च 2014) किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2021) कि खण्ड ने अक्टूबर 2019 से उपभोक्ता के बिलों में ₹ 6.10/केवीएच (132 केवी से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए लागू प्रभार) की दर से इनर्जी चार्ज को प्रभारित किया, जबकि 132 केवी वोल्टेज आपूर्ति पर ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। सितम्बर 2019 में टैरिफ संशोधन से पहले उपभोक्ता को सही ढंग से बिल किया जा रहा था। इसलिए, उपभोक्ता को इनर्जी चार्ज के मद में ₹ 6.10/केवीएच के बजाय 132 केवी वोल्टेज तक आपूर्ति की गई ऊर्जा पर लागू होने वाले इनर्जी चार्ज ₹ 6.40/केवीएच की दर से प्रभारित किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, गलत टैरिफ लागू करने के कारण, कम्पनी ने अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2021 के दौरान ₹ 1.62 करोड़ के राजस्व की कम बिलिंग की (परिशिष्ट-2.8)।

इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2021), प्रबंधन ने जनवरी 2022 में उपभोक्ता से ₹ 1.62 करोड़ के कम बिलिंग की राशि की वसूली कर ली। प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2022) में कहा कि वर्तमान में उपभोक्ता को सिस्टम जनित बिल जारी किये जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि यद्यपि कम प्रभारित राशि की वसूली कर ली गई है, लेकिन उपभोक्ता की गलत बिलिंग कम्पनी में प्रचलित बिलिंग के सम्बन्ध में कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाती है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

कम्पनी को राजस्व बिलिंग पर अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए और अन्य खण्डों में अन्य समान श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों की समीक्षा करनी चाहिए और गलत बिलिंग के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

<sup>32</sup> फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्ज + इनर्जी चार्ज (संचालन के घंटे पर लागू टाइम ऑफ डे की दरों सहित)।

## 2.5 गलत टैरिफ लागू करने के कारण राजस्व का कम प्रभारण

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, एचवी-1 श्रेणी के बजाय एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग करने के कारण, ₹ 2.77 करोड़ के राजस्व का कम प्रभारण किया।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 3.7 में प्रावधान है कि लाइसेंसी समय-समय पर उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत या पुनः वर्गीकृत कर सकता है और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के अनुमोदन से उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग टैरिफ तय कर सकता है।

यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित उच्च वोल्टेज (एचवी-1) की दर अनुसूची<sup>33</sup>, वाणिज्यिक भार, निजी संस्थानों और गैर-घरेलू थोक विद्युत उपभोक्ताओं आदि जिनका अनुबंधित भार 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक हैं और एकल बिन्दु पर 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति प्राप्त करते हैं, पर लागू होती है।

अग्रेतर, एचवी-2 उपभोक्ताओं की दर अनुसूची औद्योगिक और/या प्रसंस्करण उद्देश्यों के साथ-साथ आर्क/इंडक्शन फर्नेस, री-रोलिंग मिलों, मिनी स्टील प्लांटों आदि के उपभोक्ताओं जिनका अनुबंधित भार 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक है, हेतु 'दर' प्रावधानित करती है जिस पर उपभोक्ता को बिल किया जाएगा।

एचवी-2 (औद्योगिक) के लिए लागू दर एचवी-1 (गैर-औद्योगिक) के लिए लागू दरों से कम थीं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड-II (ईडीडी-II), मुरादाबाद एवं विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II (ईयूडीडी-II), सहारनपुर ने एचवी-1/एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत चार उपभोक्ताओं को भार स्वीकृत किए जो कि निम्न तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6: उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार

| क्र. सं. | खण्ड का नाम          | उपभोक्ता का नाम                                                    | आपूर्ति प्रकार | व्यवसाय की प्रकृति                                         | भार स्वीकृति की तिथि | भार                     |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1        | ईडीडी-II मुरादाबाद   | श्री रामेश्वर सरन, कोठीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद | एचवी-2         | डेंटल कॉलेज                                                | 9 फरवरी 2015         | 360 किलोवाट / 400 केवीए |
| 2        |                      | श्री टी. सी. पंत, परियोजना निदेशक, मुरादाबाद                       | एचवी-1         | टोल प्लाजा का संचालन                                       | 30 जून 2014          | 144 किलोवाट / 160 केवीए |
| 3        |                      | कोठीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल स्टडीज, मुरादाबाद  | एचवी-1         | कॉलेज                                                      | 27 मई 2009           | 90 किलोवाट / 100 केवीए  |
| 4        | ईयूडीडी-II, सहारनपुर | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड                            | एचवी-1         | बत्ती एवं पंखा और मिश्रित भार (निर्माण के उद्देश्य के लिए) | 17 फरवरी 2012        | 225 किलोवाट / 250 केवीए |

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (अप्रैल-मई 2022) कि क्रम संख्या 1 के उपभोक्ता को गलत तरीके से एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार बिल किया गया था जबकि क्रम संख्या 2 से 4 के अन्य उपभोक्ताओं को एचवी-1 श्रेणी के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था लेकिन बिलिंग एचवी-2 श्रेणी के तहत की गई थी।

इस प्रकार, इन उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और कम टैरिफ पर बिलिंग के कारण, कम्पनी ने जनवरी 2018 से अप्रैल 2022 (परिशिष्ट 2.9) के दौरान ₹ 2.77 करोड़ के कम राजस्व का प्रभारण किया।

<sup>33</sup> 9 दिसम्बर 2017, 2 फरवरी 2019 और 12 सितम्बर 2019 से लागू।

खण्ड ने उत्तर दिया (अप्रैल एवं मई 2022) कि तीन उपभोक्ताओं (तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 तक) की बिलिंग श्रेणी को एचवी-2 से एचवी-1 में परिवर्तित कर दिया गया है और राजस्व के अंतर की राशि को उनके बिल में जोड़कर वसूला जा रहा है एवं एक उपभोक्ता के सम्बन्ध में, कम प्रभारित राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

तथ्य यह है कि कम प्रभारित की गयी धनराशि की वसूली अभी भी लंबित है (जून 2022)।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

## मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.6 राजस्व की कम वसूली

**मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि के लागू प्रभारों की कम वसूली की।**

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के खंड 4.6 में प्रावधान है कि संयोजन जारी करने के लिए, एक प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और सम्बन्धित कार्य या तो लाइसेंसी द्वारा प्राक्कलन की पूरी धनराशि की वसूली के बाद या उपभोक्ता द्वारा प्राक्कलित धनराशि पर पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान के बाद निष्पादित किया जाएगा। इसमें अग्रेतर प्रावधान है कि यदि कार्य आवेदक द्वारा किया जाना है तो लाइसेंसी प्राक्कलन में पर्यवेक्षण प्रभार, 3,600 किलोवाट (4,000 केवीए) तक भार जारी करने के लिए 15 प्रतिशत, 9,000 किलोवाट (10,000 केवीए) तक आठ प्रतिशत और 9,000 किलोवाट (10,000 केवीए) से ऊपर के भार पर पाँच प्रतिशत की दर से प्रभारित करेगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड (उपभोक्ता) को निम्न मध्यम वोल्टेज श्रेणी (एलएमवी-1) के तहत 4,600 किलोवाट (5,111 केवीए) का विद्युत भार स्वीकृत (फरवरी 2014) किया। कनेक्शन जारी करने के लिए, विद्युत वितरण खण्ड-I, बाराबंकी (खण्ड) ने ₹ 4.35 करोड़ मूल्य का प्राक्कलन तैयार किया और उपभोक्ता द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने के कारण आठ प्रतिशत की दर से ₹ 34.77 लाख पर्यवेक्षण प्रभार जमा करने की मांग जारी (7 जुलाई 2014) की। उपभोक्ता ने उपरोक्त पर्यवेक्षण प्रभार 11 जुलाई 2014 को जमा कर दिया। अग्रेतर, कम्पनी ने अप्रैल 2021 तक चरणबद्ध तरीके से भार जारी करने की स्वीकृति (17 नवम्बर 2017) प्रदान की। पहले चरण में 460 किलोवाट (511 केवीए) का भार उपभोक्ता को जून 2018 में जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2021) कि उपभोक्ता केवल 1,379 केवीए भार का ही उपभोग कर सका और अप्रैल 2021<sup>34</sup> तक की अनुमत अवधि में 3,732 केवीए के शेष भार उपभोग करने में विफल रहा। इस स्थिति में, खण्ड द्वारा पूर्व में जारी पर्यवेक्षण प्रभार की मांग 15 प्रतिशत की दर से संशोधित की जानी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 30.44 लाख के पर्यवेक्षण प्रभार की कम वसूली हुई।

इसी तरह, अन्य उपभोक्ता मैसर्स शालीमार मन्नत टाउनशिप के प्रकरण में, कम्पनी ने एलएमवी-1 श्रेणी के तहत 3,700 किलोवाट (4,111 केवीए) के पहले स्वीकृत विद्युत भार को पुनर्जीवित (6 जुलाई 2019) किया। पुनर्जीवन आदेश की शर्त यह थी कि यदि उपरोक्त विद्युत भार का उपयोग उपभोक्ता द्वारा इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। खण्ड ने ₹ 3.69 करोड़ मूल्य का प्राक्कलन तैयार किया तथा उपभोक्ता

<sup>34</sup> 4,600 किलोवाट भार जारी करने की नियत तिथि।

द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने के कारण पर्यवेक्षण प्रभार आठ प्रतिशत की दर से जमा करने की मांग जारी (19 जुलाई 2019) की। उपभोक्ता ने उपरोक्त पर्यवेक्षण शुल्क 20 जुलाई 2019 को जमा कर दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता अनुमत अवधि में केवल 1,306 केवीए भार का ही उपभोग कर सका जो दर्शाता है कि उपभोक्ता ने 2,805 केवीए के शेष स्वीकृत भार को अभ्यर्पित कर दिया। इस स्थिति में, खण्ड द्वारा पूर्व में जारी पर्यवेक्षण प्रभार की मांग 15 प्रतिशत की दर से संशोधित की जानी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 25.82 लाख<sup>35</sup> के पर्यवेक्षण प्रभार की कम वसूली हुई।

(ब) आपूर्ति संहिता के खंड 4.43 (बी) में प्रावधान है कि यदि अनुरोधित बढ़े हुए भार के परिणामस्वरूप आपूर्ति के वोल्टेज और सिस्टम में बदलाव नहीं होता है, तो भार वृद्धि की स्वीकृति सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा आवेदन<sup>36</sup> स्वीकार करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी।

मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड ने भार को 920 किलोवाट (1,022 केवीए) तक बढ़ाने का अनुरोध (8 जुलाई 2019) किया। चूंकि, सम्बन्धित उपकरण को बदला जाना था, उपभोक्ता ने उसी तिथि को आवश्यक प्रभार (सिक्वोरिटी डिपॉजिट और उपकरण की लागत) जमा कर दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तारित भार उपभोक्ता को 8 अगस्त 2019 की निर्धारित अवधि के विरुद्ध 30 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। इस प्रकार, भार लगभग 13 माह के विलम्ब से जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप फिक्स्ड चार्ज<sup>37</sup> के मद में ₹ 9.76 लाख<sup>38</sup> के संभावित राजस्व की हानि हुई। यह भी देखा गया कि खण्ड ने 30 अगस्त 2020 से कुल 1,533 केवीए (प्रथम चरण का भार + विस्तारित भार) के अनुसार बिल जारी नहीं किये। हालांकि, इसने मनमाने ढंग से माह सितम्बर 2020 में 511 केवीए भार के लिए और अक्टूबर 2020 से नवम्बर 2021 के दौरान 1,379 केवीए के बिलों को जारी किया। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 2.62 लाख<sup>39</sup> के राजस्व की भी कम वसूली हुई। इस प्रकार, कम्पनी को कुल ₹ 12.38 लाख (₹ 9.76 लाख + ₹ 2.62 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

(स) लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड के करंट ट्रांसफार्मर (सीटी)/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर (पीटी) को विद्युत परीक्षण खण्ड, बाराबंकी द्वारा 30 अगस्त 2020 को भार वृद्धि के कारण बदल दिया गया था। परिणामस्वरूप मल्टीप्लायिंग फैक्टर<sup>40</sup> (एमएफ) बदलकर 30 से 60 हो गया। उपभोक्ता की बिलिंग संशोधित एमएफ के आधार पर की जानी चाहिए थी लेकिन खण्ड ने उपभोक्ता को

<sup>35</sup> जीएसटी को छोड़कर।

<sup>36</sup> उन प्रकरणों में लागू जहाँ अतिरिक्त सिक्वोरिटी, सिस्टम लोडिंग शुल्क और नए मीटर के लिए लागत जमा करने के बाद मीटरिंग और सम्बन्धित उपकरण को बदलने की आवश्यकता है, यदि लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति किया जाता है।

<sup>37</sup> 2 फरवरी 2019 से लागू ₹ 95/किलोवाट/माह और 12 सितम्बर 2019 से लागू ₹ 110/किलोवाट/माह।

<sup>38</sup> (920 किलोवाट x 75 प्रतिशत x 95/किलोवाट x 1 माह) + (920 किलोवाट x 75 प्रतिशत x 110/किलोवाट x 12 माह)।

<sup>39</sup> (1,533 केवीए x 15 माह) - (511 केवीए x 1 माह + 1,379 केवीए x 14 माह) = 3,178 केवीए x 75 प्रतिशत x ₹ 110/किलोवाट/माह।

<sup>40</sup> जहाँ उपभोक्ता का भार 60 ए से अधिक है या आपूर्ति वोल्टेज 440 वोल्ट से अधिक है, मीटर की रेटेड क्षमता तक करंट और वोल्टेज को सीमित करने के लिए मीटरिंग सर्किट में करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर मीटर में प्रवाहित वोल्टेज और करंट को एक निश्चित अनुपात में कम कर देते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। इसलिए मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत उसी अनुपात में उपभोक्ता की वास्तविक खपत से कम होती है। उपभोक्ता की वास्तविक खपत की गणना करने हेतु, मीटर द्वारा दर्ज खपत को अनुपातिक फैक्टर से गुणा किया जाता है जिसे मल्टीप्लायिंग फैक्टर कहा जाता है।

पुराने एमएफ से 4 दिसम्बर 2021 तक बिल किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.61 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

(द) कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार, 3 एमवीए से 4 एमवीए से ऊपर के भार को जारी करने में उपभोक्ताओं से फिक्स्ड लाइन प्रभार की वसूली हेतु, सामग्री लागत के 30 प्रतिशत की दर से श्रम और ओवरहेड शुल्क प्रभारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता मैसर्स शालीमार मन्नत टाउनशिप के लाइन प्रभार की वसूली के लिए प्राक्कलन 30 प्रतिशत लेबर और ओवरहेड चार्ज के बजाय 10 प्रतिशत शामिल करने के बाद तैयार और अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलन ₹ 64.16 लाख की कम राशि का तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता से पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 9.62 लाख (₹ 64.16 लाख x 15 प्रतिशत) कम वसूल किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने आपूर्ति संहिता और कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों का उल्लंघन कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया और ₹ 1.17 करोड़<sup>41</sup> के कम राजस्व की वसूली की।

उत्तर में, खण्ड ने लेखापरीक्षा आपत्तियों (विस्तारित भार के विलम्ब से जारी करने के मामले को छोड़कर) को स्वीकार (जून 2022) किया और कम वसूल की गयी धनराशि की मांग जारी की जिसके विरुद्ध उपभोक्ता मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 26 लाख की वसूली की गई है। विस्तारित भार (बिन्दु ब) के विलम्ब से जारी करने हेतु, यह बताया गया कि विस्तारित भार जारी करने से पहले उपयुक्त क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना था और वह स्टोर में उपलब्ध नहीं था।

शेष धनराशि की वसूली अभी बाकी है। इसके अलावा, विस्तारित भार के प्रकरण में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तारित भार आपूर्ति संहिता के खंड 4.43 (बी) के अनुसार आवेदन को स्वीकार करने के एक माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

<sup>41</sup> (अ) ₹ 56.26 लाख + (ब) ₹ 12.38 लाख + (स) ₹ 38.61 लाख + (द) ₹ 9.62 लाख।

## अध्याय-III

विभागों एवं संस्थाओं  
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से  
सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण





## अध्याय-III

### 3. विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किये गए संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

#### लोक निर्माण विभाग

#### 3.1 अतिरिक्त सड़क क्रस्ट बिछाने के कारण परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग ने लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के गलत मूल्य पर गणना करने के कारण सड़क के क्रस्ट में डेन्स बिटुमिनस मैकडैम और बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परतें बिछाकर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर-205 में कहा गया है कि प्रत्येक लोक अधिकारी से सार्वजनिक धन से होने वाले व्यय के सम्बन्ध में उतनी ही सतर्कता की अपेक्षा की जाती है जितनी कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में करेगा।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी): 37-2012 के प्रस्तर 4.5.1 (ii) में कहा गया है कि दो लेन वाली सिंगल कैरिजवे सड़कों का डिजाइन दोनों दिशाओं में वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत, अर्थात् लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर (एलडीएफ) पर आधारित होना चाहिए।

सरकार ने सेंट्रल रोड फंड योजना के तहत 15.300 किमी लंबी अलीगढ़-रामघाट रोड से गांवखेड़ा गोधा सीटीके रोड (अन्य जिला रोड) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 29.44 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), आगरा द्वारा प्रदान की गई (अगस्त 2016)। अधीक्षण अभियंता, अलीगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत से 0.60 प्रतिशत कम पर एक ठेकेदार<sup>1</sup> के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया। कार्य अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया और मार्च 2018 में पूरा किया गया।

साइट ट्रैफिक डेटा (नवम्बर 2015) के अनुसार, पैसेंजर कार यूनिट<sup>2</sup> (पीसीयू) के रूप में ट्रैफिक वॉल्यूम 11,875 था और कर्माश्रित व्हीकल प्रतिदिन (सीवीपीडी) के रूप में ट्रैफिक लोड 847 था। अग्रेतर, विस्तृत आगणनों में, सड़क की उप-श्रेणी की मिट्टी का कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात<sup>3</sup> (सीबीआर) 6 प्रतिशत था। मौजूदा सड़क को यातायात भार वहन करने के लिए मजबूत किया जाना था और यातायात की मात्रा को समायोजित करने के लिए इसे 3.70 मीटर से बढ़ाकर 7.00 मीटर किया जाना था।

<sup>1</sup> सं. 35/एसई/2016-17 ठेकेदार मैसर्स नरेंद्र बिल्डर्स, अलीगढ़ के साथ ₹ 26.89 करोड़ का निविदा मूल्य बातचीत के द्वारा तय किया।

<sup>2</sup> पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) मिश्रित ट्रैफिक स्थिति में विषमता से निपटने के लिए व्यक्तिगत वाहन श्रेणी के ट्रैफिक वॉल्यूम को दिया गया एक सापेक्ष महत्वपूर्ण कारक है।

<sup>3</sup> कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सीबीआर) टेस्ट को प्रति यूनिट क्षेत्र के अनुपात बल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मिट्टी के द्रव्यमान में मानक गोलाकार पिस्टन के प्रवेश के लिए आवश्यक 1.25 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर के साथ मानक सामग्री में अनुपातिक प्रवेश के सापेक्ष होती है।

अधिशासी अभियंता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2018) में पता चला कि सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के लिए आवश्यक क्रस्ट मोटाई के आकलन के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत विस्तृत अनुमान (अनुमान) में एलडीएफ निर्धारित 0.50 के बजाय 1.0 लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलडीएफ को गलत तरीके से लेने के कारण, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल<sup>4</sup> (एमएसए) के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफिक की गणना 15 एमएसए के रूप में की गई थी जो कि 7.50 एमएसए होनी चाहिए थी **(परिशिष्ट-3.1)**। विस्तृत अनुमान के अनुसार, सड़क की 250 मिमी की मौजूदा परत की मोटाई को 15 एमएसए के डिजाइन ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए वेट मिक्स मैकडैम (डब्ल्यूएमएम) की 250 मिमी मोटी परत, उसके बाद 75 मिमी डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडैम (डीबीएम) और 40 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी), को बिछाकर मजबूत किया जाना था। यद्यपि, डिजाइन ट्रैफिक भार 7.5 एमएसए के लिए और 6 प्रतिशत के सीबीआर के लिए, आईआरसी-37:2012 की प्लेट-4<sup>5</sup> के अनुसार केवल 60 मिमी डीबीएम और 35 मिमी बीसी बिछाकर जरूरी क्रस्ट प्राप्त किया जा सकता था।

इस प्रकार, एमएसए की गणना में एलडीएफ के गलत मूल्य को लेने के कारण, डीबीएम और बीसी की अधिक मोटी परतें बिछाई गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-3.2)**।

उत्तर में, ईई, प्रान्तीय खण्ड, अलीगढ़ ने कहा (जून 2021) कि, सड़क की डिजाइन अवधि 15 वर्ष ली गई थी इसलिए परतों की मोटाई सही थी।

ईई का यह तर्क कि सड़क को 15 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था, सही नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृत आगणन में सड़क को 10 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए, एलडीएफ लिये गये 1 के बजाय 0.50 लिया जाना चाहिए था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

### 3.2 बांदा बाईपास सड़क के निर्माण में व्यर्थ व्यय

**लोक निर्माण विभाग द्वारा बांदा बाईपास सड़क पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया जो निर्धारित समापन अवधि से नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने एवं निष्पादित मिट्टी के कार्य को सुरक्षित न करने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।**

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका-VI (एफएचबी) के प्रस्तर 378 में प्रावधान है कि उस भूमि पर कोई भी काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा काम के लिए हस्तगत न किया जाए।

बांदा शहर में ट्रैफिक जाम से राहत और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी ट्रैफिक को मोड़ने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग (विभाग) को ₹ 44.09 करोड़ की लागत से 'बांदा बाईपास सड़क (रिंग रोड) के शेष भाग (10.7 किमी

<sup>4</sup> स्टैंडर्ड एक्सल 80 किलो न्यूटन (बल की इकाई) भार वहन करने वाले दोहरे पहिये के साथ सिंगल एक्सल का भार है और सड़क की पटरी का डिजाइन मानक एक्सल लोड पर आधारित है।

<sup>5</sup> सीबीआर-6 प्रतिशत और एमएसए 2 से 150 तक से सम्बन्धित सड़क की पटरी के लिए प्लेट-4 डिजाइन कैटलॉग है।

के लिए) के निर्माण की मंजूरी दी (जून 2011)। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र ने कार्य के विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति दी (जून 2011)। अधीक्षण अभियंता, बांदा क्षेत्र ने दो ठेकेदारों के साथ एक वर्ष की निर्धारित पूर्णता अवधि अर्थात् जून 2012 तक कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 37.83 करोड़ का अनुबंध<sup>6</sup> किया (जून 2011)। सरकार ने कार्य के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 13.55 करोड़ भी स्वीकृत (जून 2011) किया जिसे बाद में संशोधित (जून 2019) कर ₹ 21.66 करोड़ किया गया। मार्च 2021 तक, विभाग कार्य के लिए आवश्यक भूमि की संशोधित आवश्यकता<sup>7</sup> 47.57 हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 40.02 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर सका।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2021) कि विभाग ने आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य के निष्पादन के लिए ठेके प्रदान कर दिए (जून 2011)। यह भी देखा गया कि धन की कमी के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका क्योंकि परिवर्तित भूमि अधिग्रहण नीति के तहत भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देय था। सड़क के संरेखण में परिवर्तन के बावजूद, जिससे भूमि की आवश्यकता कम हो गई, विभाग कार्य के लिए आवश्यक पूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका। इस प्रकार कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा मार्च 2017 में कार्य का निष्पादन रोक दिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विभाग ने मिट्टी कार्य एवं पुलिया कार्य के प्रति ₹ 21.89 करोड़<sup>8</sup> की राशि का अधिक कार्य निष्पादित किया, जो ₹ 44.09 करोड़ की स्वीकृत अनुमानित लागत का 49.65 प्रतिशत था। ₹ 41.89 करोड़ खर्च करने के बाद विभाग सड़क निर्माण के सुरक्षित स्तर का मात्र 1.6 किमी ही प्राप्त कर सका। यह देखा गया कि यह मामला तकनीकी मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (टीईसी) को संदर्भित किया गया था (जून 2019)। टीईसी ने पाया (अक्टूबर 2020) कि कार्य के निष्पादन के दौरान निर्देशों का उल्लंघन कर अत्यधिक विचलन किया गया। आगे यह भी देखा गया कि विशिष्टियों एवं प्राक्कलन की दरों में भारी परिवर्तन के कारण कार्य का निष्पादन अब संभव नहीं था, इसलिए कार्य हेतु नवीनतम विशिष्टियों एवं यातायात भार के आधार पर तैयार किये गए नए आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जानी चाहिए।

इस प्रकार, आवश्यक भूमि का कब्जा प्राप्त किये बिना कार्य के निष्पादन के कारण ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ क्योंकि कार्य की निर्धारित अवधि की समाप्ति के नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी आवश्यक भूमि के अभाव में इसे पूरा नहीं किया जा सका। अग्रेतर, विभाग द्वारा किये गए मिट्टी के काम में लंबी अवधि के समाप्त होने के कारण क्षरण की पूरी संभावना है क्योंकि यह 10.700 किमी सड़क के अनुमानित निष्पादन के विरुद्ध मात्र 1.60 किमी के लिए सुरक्षित किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सड़क के संरेखण में भूमि की अपूर्ण उपलब्धता के कारण केवल मिट्टी का काम ही किया जा सका जो कि 1.6 किमी की लंबाई में सुरक्षित किया गया था। अग्रेतर, मुख्य अभियंता ने साइट की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुमानित प्रावधान से मात्रा के विचलन को मंजूरी दी (अप्रैल 2013)।

<sup>6</sup> अनुबंध संख्या 16/एसई/2011-12 दिनांक 28.06.2011 मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 22.27 करोड़ के लिए और अनुबंध संख्या 17/एसई/2011-12 दिनांक 29.06.2011 मैसर्स प्रभुनाथ प्रसाद को ₹ 15.56 करोड़ के लिए।

<sup>7</sup> भूमि की माप 87.97 हेक्टेयर से घटाकर 47.57 हेक्टेयर कर दी गई।

<sup>8</sup> मिट्टी के कार्य पर अधिक व्यय: ₹ 11.69 करोड़ और पुलिया कार्य पर अधिक व्यय: ₹ 10.20 करोड़।

यह भी जोड़ा गया कि वर्तमान में 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और संशोधित आगणन के अनुमोदन के पश्चात् कार्य निष्पादित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका तथा कार्य पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सरकार, व्यर्थ व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु प्रकरण की जाँच कर सकती है।

### 3.3 पर्यवेक्षण प्रभार का अधिक भुगतान

**लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।**

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने डिपॉजिट कार्यों के लिए अनुमान तैयार करते समय 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार लगाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2002)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2021) कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ₹ 3,958.08 करोड़ की परियोजना लागत पर 'उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स' (परियोजना) को लागू किया। परियोजना को विश्व बैंक से ₹ 2,777.60 करोड़ के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया था और ₹ 1,180.48 करोड़ का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था। विभिन्न व्यय जैसे भूमि का अधिग्रहण, उपकरण स्थानांतरण आदि की पूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से से की जानी थी। परियोजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण की आवश्यकता थी। पीडब्ल्यूडी ने स्थानांतरण का कार्य पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल)<sup>9</sup> को आवंटित किया। अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीवीएनएल ने विद्युत अवसंरचना स्थानांतरित करने के लिए डिपॉजिट कार्य के रूप में ₹ 35.34 करोड़ मूल्य के 22 आगणन तैयार किये (2016–17)। विश्व बैंक प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ने ₹ 35.34 करोड़ की सारी राशि जमा की (मार्च 2016 एवं मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीपीसीएल के निर्णय के विपरीत, अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीवीएनएल ने उक्त 22 प्राक्कलनों में 15 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार के स्थान पर स्थापना, लेखापरीक्षा एवं लेखा प्रभार<sup>10</sup> (ए.ए. प्रभार) 31.50 प्रतिशत की दर से ₹ 8.50 करोड़ की राशि को शामिल किया। अधिशासी अभियंता, विद्युत निर्माण खण्ड मुरादाबाद, पीवीवीएनएल द्वारा प्राक्कलनों में सम्मिलित प्रभारों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने में पीडब्ल्यूडी विफल रहा तथा पर्यवेक्षण प्रभारों की देय राशि ₹ 4.05 करोड़ (15 प्रतिशत की दर से गणित) से ₹ 4.45 करोड़ अधिक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में विस्तृत है। इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पीवीवीएनएल को ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

<sup>9</sup> यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी।

<sup>10</sup> योजना/परियोजना के निर्माण के लिए डिस्कॉम द्वारा स्थापना लेखापरीक्षा और लेखा शुल्क वहाँ शामिल किये जाते हैं, जहाँ डिस्कॉम स्वयं के लिए इस तरह के निर्माण कार्य का प्रस्ताव करता है।

अपने उत्तर में, मुख्य अभियंता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग ने कहा (मार्च 2022) कि पीवीवीएनएल से अतिरिक्त भुगतान वापस करने का अनुरोध किया गया है और उनके स्तर पर कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है।

उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है और वसूली आज तक (अप्रैल 2022) प्रभावी नहीं हुई है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

### 3.4 ठेकेदार को अधिक भुगतान

**लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क कार्य में पानी के टैंकर, पानी की लागत की उच्च दर, और अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की मानक डेटा बुक और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (उ.प्र. पीडब्ल्यूडी) के दरों की अनुसूची में दी गई श्रम और मशीन की दरों के अनुसार विश्लेषण की गई मद दरों के आधार पर सड़क कार्य का आगणन तैयार किया जाता है। अग्रेतर, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र (जुलाई 2012) के अनुसार, कार्य की लागत ₹ 50 करोड़ से अधिक होने पर आठ प्रतिशत की दर से ओवरहेड शुल्क लगाया जाना है।

सरकार ने राम जानकी सड़क (राज्य राजमार्ग-72) किमी 152 से किमी 191 तक 40 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 90.62 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2010)। मुख्य अभियंता (सीई), गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने कार्य की स्वीकृत लागत पर विस्तृत अनुमान को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2010)। अधीक्षण अभियंता (एसई), देवरिया अंचल, लोक निर्माण विभाग ने उक्त कार्य हेतु ₹ 73.26 करोड़ का एक अनुबंध<sup>11</sup> निष्पादित (अगस्त 2010) किया। कार्य अगस्त 2010 में शुरू किया गया था और ₹ 66.83 करोड़ की लागत से जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। ठेकेदार को अंतिम भुगतान अप्रैल 2018 में किया गया था।

अधिशासी अभियंता (ईई), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देवरिया के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018 एवं फरवरी 2020) में पाया गया कि 'सब-ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर के निर्माण' कार्य हेतु दर का विश्लेषण करते समय विभाग ने पानी की कीमत के लिए ₹ 200 प्रति किलोलीटर (कि.ली.) की गलत दर और क्रमशः ₹ 20 प्रति कि.ली. और ₹ 200 प्रति घंटे की स्वीकार्य दरों के बजाय पानी के टैंकर के किराया शुल्क के लिए ₹ 327.50 प्रति घंटे की दर से गलत दर आरोपित करके उक्त मद की दर ₹ 216 प्रति घनमीटर निर्धारित की। पानी की लागत और पानी के टैंकर के किराया प्रभार के लिए स्वीकार्य दरों को आरोपित करने पर, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त कार्य के लिए ₹ 164 प्रति घनमीटर (परिशिष्ट-3.4) की दर निर्धारित की। उपरोक्त गलत दर आरोपित करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4,84,425.47 घनमीटर सब-ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर के निर्माण पर ₹ 2.52 करोड़<sup>12</sup> का अधिक भुगतान हुआ। अग्रेतर, विभाग ने आठ प्रतिशत की स्वीकार्य दर के विरुद्ध 10 प्रतिशत की दर से ओवरहेड शुल्क

<sup>11</sup> मैसर्स सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बलिया के साथ अनुबंध संख्या 10/एस.ई. देवरिया सर्किल/10।

<sup>12</sup> 4,84,425.47 घनमीटर x (₹ 216 - ₹ 164) = ₹ 2,51,90,124.44।

अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.68 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट-3.5)।

इस प्रकार, विभाग ने ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़<sup>13</sup> का अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ पहुँचाया (अप्रैल 2018)।

ईई (जनवरी 2020 और मई 2022) ने अपने उत्तर में कहा कि जल भत्ते की दर ₹ 200 प्रति कि.ली. ली गई थी जिसमें दुलाई, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज आदि शामिल था, जबकि पानी की लागत ₹ 20 प्रति कि.ली. की दर से लिया गया था। अग्रेतर, ईई ने कहा कि पानी की लागत दर अनुसूची में दिये गये ₹ 25.40 प्रति कि.ली. दर से कम थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क एवं सेतु के लिए मोर्थ की मानक डाटा बुक के अनुसार, जल की लागत, कार्य शीर्ष 'सब-ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर के निर्माण' के अन्तर्गत उल्लिखित है तथा पानी की लीड एवं लिफ्ट के लिए 'वाटर टैंकर 6 किमी लीड के साथ' शीर्ष के अन्तर्गत अलग से अनुमन्य है। इस प्रकार, विभाग का यह तर्क कि दर जल भत्ते के लिए थी, सही नहीं है। इसके अलावा, विभाग ने उसी आगणन में शामिल अन्य मदों के लिए दर के विश्लेषण में 'पानी की लागत' के लिए ₹ 20 प्रति कि.ली. की दर आरोपित की।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

## अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग

### 3.5 वास्तुशिल्प सेवाओं पर निष्फल व्यय

**बाधामुक्त भूमि और उचित माँग के निर्धारण के अभाव में यूपीएसआईडीसी ने इंटिग्रेटेड मिनी टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं पर ₹ 20.13 करोड़ का निष्फल व्यय किया।**

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) के खंड-VI के प्रस्तर-378 में प्रावधान है कि किसी भी भूमि पर कोई काम तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत नहीं सौंपा गया हो। अग्रेतर, एफएचबी खंड-V (भाग-I) के प्रस्तर-169 के प्रावधान में वर्णित है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक धन के व्यय के सम्बन्ध में उतनी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जितनी कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति उसके अपने पैसे के व्यय के सम्बन्ध में करेगा। वित्त विभाग, जीओयूपी ने भी निर्देश दिया (जुलाई 2014) कि मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)<sup>14</sup> ने अपनी 284वीं बोर्ड बैठक (फरवरी 2014) में नोएडा की तर्ज पर आवासीय और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित करने का निर्णय लिया।

<sup>13</sup> ₹ 2,51,90,124.44 + ₹ 68,07,249.17।

<sup>14</sup> यूपीएसआईडीसी को जून 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया गया था।



### इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप

मुख्य अभियंता (सीई), यूपीएसआईडीसी ने 'ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के बुनियादी ढाँचे और भवनों के विकास के लिए एवं महायोजना और विस्तृत वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइन के कार्य', के लिए एक वास्तुकार<sup>15</sup> के साथ एक अनुबंध (जून 2015) किया। वास्तुशिल्प फर्म को महायोजना (पार्ट-ए-स्टेजवाइज) तैयार करने के लिए ₹ 3.50 लाख प्रति एकड़ और विस्तृत वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइन (पार्ट-बी) के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 3.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। कार्य शुरू करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः जून 2015 और दिसम्बर 2015 थीं। वास्तुकार को अगस्त 2015 तक गाजियाबाद में दो ग्रामों के 981.55 एकड़ (पचायरा में 295.11 एकड़ और मीरपुर हिंदू में 686.44 एकड़) के क्षेत्र के लिए महायोजना के चरण I<sup>16</sup> कार्य के लिए ₹ 3.92 करोड़<sup>17</sup> का भुगतान किया गया। तब से, अभिलेखों में बिना किसी लिखित कारण के इस परियोजना को रोक दिया गया था।

### बहुमंजिला आवासीय परिसर

इसी प्रकार, यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास के लिए वास्तुशिल्प सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्य की लागत<sup>18</sup> के तीन प्रतिशत की दर से व्यापक वास्तुशिल्प परामर्श सेवाओं के लिए एक वास्तुकार<sup>19</sup> को कार्य आवंटित किया (मई 2014)। कार्य शुरू करने और पूरी करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 19 मई 2014 और 18 जनवरी 2017 थी।

यूपीएसआईडीसी ने ट्रोनिका सिटी में दो सेक्टरों, अर्थात् बी-4 और सी-3 में बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए मानचित्र (अप्रैल 2015) स्वीकृत किये। वास्तुकार द्वारा सेक्टर बी-4 और सेक्टर सी-3 में निर्माण के लिए क्रमशः ₹ 1,799.27 करोड़ और ₹ 494.53 करोड़ के विस्तृत आगणन तैयार किये गए। अग्रेतर, यूपीएसआईडीसी ने केवल आवासीय सेक्टर सी-3 के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2016)। प्राधिकरण ने जून 2015 तक वास्तुकार को वास्तुशिल्प सेवाओं के लिए ₹ 16.21 करोड़<sup>20</sup> का भुगतान किया। हालाँकि, सेक्टर बी-4 और सी-3 में बहुमंजिला आवासीय परिसरों के लिए आज तक (दिसम्बर 2021) कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था।

उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (अक्टूबर 2021):

- यूपीएसआईडीसी ने माँग का आकलन किये बिना दोनों परियोजनाओं को शुरू किया क्योंकि कोई माँग सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- यूपीएसआईडीसी ने इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के लिए भूमि<sup>21</sup> का अधिग्रहण किया,

<sup>15</sup> मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

<sup>16</sup> चरण-I: मालिक की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए, साइट बाधाओं और क्षमता की जाँच करने के लिए, और मालिक के अनुमोदन के लिए एक संक्षिप्त डिजाइन तैयार करने के लिए।

<sup>17</sup> अग्रिम भुगतान - ₹ 28.50 लाख (जून 2015), पहला चालू खाता (आरए) बिल ₹ 1.67 करोड़ (जुलाई 2015) का और दूसरा आरए बिल ₹ 1.96 करोड़ (अगस्त 2015)।

<sup>18</sup> यूपीएसआईडीसी ने ₹ 1,152.48 करोड़ की राशि के आवासीय भवन परिसर के निर्माण की लागत का प्रारंभिक आगणन तैयार किया।

<sup>19</sup> मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

<sup>20</sup> 13वें आर.ए. बिल (जून 2015) तक।

<sup>21</sup> ग्राम पचायरा और मीरपुर हिंदू में क्रमशः 285.50 एकड़ (फरवरी 2008) और 195.49 एकड़ (नवम्बर 2013)।

हालाँकि, किसानों द्वारा अतिक्रमण/मुकदमों<sup>22</sup> के कारण इसे सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा नहीं मिल सका। यूपीएसआईडीसी ने परियोजनाओं की शुरुआत की और भूमि की बाधामुक्त उपलब्धता के सम्बन्ध में एफएचबी के प्रावधानों/जीओयूपी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए वास्तुविद को कार्य सौंपा।

बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईए) ने मुख्य रूप से सक्षम प्राधिकारी का भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में यूपीएसआईडीसी की विफलता के कारण सेक्टर बी-4 के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी क्योंकि सेक्टर बी-4 व्यावसायिक उपयोग के लिए था।

- परियोजना पूरा होने के सम्बन्ध में ट्रोनिका सिटी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसोसिएशन) द्वारा दायर रिट याचिका<sup>23</sup> में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में (जून 2018), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूपीएसआईडीए ने अपने आदेश (14 अगस्त 2019) में कहा कि अचल सम्पत्ति क्षेत्र में मंदी के फलस्वरूप पर्याप्त माँग की कमी के कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी और अब तक भूमि की उपलब्धता की कमी के कारण, परियोजनाओं का कार्यान्वयन यूपीएसआईडीए के हित में व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि एसोसिएशन द्वारा पुष्ट माँग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

इस प्रकार, यूपीएसआईडीए द्वारा दोनों परियोजनाओं को ₹ 20.13 करोड़ का व्यय करने के बाद, भूमि की बाधा मुक्त उपलब्धता और माँग की स्थिरता का आंकलन करने के सम्बन्ध में उचित प्रयास नहीं करने के कारण, स्थगित कर दिया गया।

यूपीएसआईडीए ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि त्वरित योजना और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता वाले तात्कालिकता खंड के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के लागू होने के कारण, किसानों अधिक मुआवजा प्राप्त करने को आकर्षित हुए और बाधाएँ शुरू हुई। इसलिए, साइट के मुद्दों को दूर करने के लिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नियोजित विकास के लिए महायोजना आदि के लिए सलाहकार को नियुक्त करना आवश्यक था। इसमें आगे कहा गया है कि, भूमि उपयोग के लिए पर्यावरण एजेंसी द्वारा प्रेक्षण के कारण सेक्टर बी-4 में काम शुरू नहीं किया जा सका।

यूपीएसआईडीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीएसआईडीए ने माँग का आंकलन किये बिना और भूमि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना परियोजनाएँ शुरू की। अग्रेतर, जून 2015 में आर्किटेक्ट की नियुक्ति के समय, यूपीएसआईडीसी को स्थलों पर बाधाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022/जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

*सरकार, परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता और माँग का आंकलन सुनिश्चित करने में विफलता जिसके कारण निष्फल व्यय हुआ, हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए, प्रकरण की जाँच कर सकती हैं।*

<sup>22</sup> ग्राम मीरपुर हिंदू: रिट याचिका संख्या 72075/2011 और 49541/2014 क्रमशः 12 दिसम्बर 2011 और 11 सितम्बर 2014 को गांव के भूमि मालिकों द्वारा दायर की गई जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

<sup>23</sup> रिट याचिका संख्या 21412/2018।



### 3.6 प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन के अनाधिकृत निर्माण पर निष्फल व्यय

बाधामुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना, पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी ने औद्योगिक भूमि पर अमौसी, लखनऊ में प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया और ₹ 27.15 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)<sup>24</sup> ने अपनी 284वीं बोर्ड बैठक (फरवरी 2014) में औद्योगिक क्षेत्र, अमौसी, लखनऊ में प्लॉट बी-9<sup>25</sup> पर एक कैप कार्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात्, कार्यालय भवन के वास्तुशिल्प चित्र/डिजाइन के लिए, मुख्य अभियंता (सीई) ने एक वास्तुकार फर्म<sup>26</sup> को ₹ 4.50 करोड़ (सेवा कर के अतिरिक्त) का कार्य प्रदान किया (नवम्बर 2014)। अग्रेतर, निर्माण कार्य के लिए, मुख्य अभियंता ने एक ठेकेदार<sup>27</sup> के साथ ₹ 111.73 करोड़ का अनुबंध किया (अक्टूबर 2015)। ठेकेदार ने काम शुरू किया (अक्टूबर 2015) लेकिन 18 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद, काम<sup>28</sup> रोक दिया (नवम्बर 2016) और बिलों के लंबित भुगतान, बाधामुक्त स्थल प्रदान करने में विफलता के कारण कार्य बाधा आदि का हवाला देते हुए यूपीएसआईडीसी के विरुद्ध मध्यस्थता क्लॉज का आह्वान किया (जनवरी 2017)। यूपीएसआईडीसी ने दिसम्बर 2015 से जुलाई 2016 के दौरान ठेकेदार को ₹ 22.42 करोड़<sup>29</sup> का भुगतान किया था। इसके अलावा, यूपीएसआईडीसी ने निर्माण के लिए वास्तुशिल्प चित्र/डिजाइन के लिए वास्तुकार को ₹ 4.73 करोड़<sup>30</sup> का भुगतान भी किया था।

मध्यस्थता कार्यवाही के मददेनजर, यूपीएसआईडीसी ने महाप्रबंधक (विधिक) से कानूनी राय प्राप्त करने के बाद जिसने आरक्षित मूल्य<sup>31</sup> का निर्धारण करने के बाद इमारत की नीलामी की राय दी (नवम्बर 2017), अर्ध-निर्मित भवन को 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर नीलामी करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। इसके अलावा, 298वीं बोर्ड बैठक (29 जनवरी 2018) में लिए गए निर्णय के अनुसार, मौजूदा अर्ध-निर्मित भवन का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा एक समिति का गठन (अप्रैल 2019) किया गया, जिसने आरक्षित मूल्य ₹ 49.31 करोड़<sup>32</sup> तय किया। समिति की बैठक (04 जुलाई 2019) में यह राय दी गई कि भू-उपयोग परिवर्तन एवं क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है।

<sup>24</sup> यूपीएसआईडीसी को जून 2018 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) में मिला दिया गया था।

<sup>25</sup> माप में 7,900 वर्गमीटर लगभग।

<sup>26</sup> मैसर्स सी.पी. कुकरेजा, नई दिल्ली।

<sup>27</sup> मैसर्स अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ग्रुप, नई दिल्ली।

<sup>28</sup> ठेकेदार ने दो बेसमेंट का निर्माण किया था और भवन की पहली मंजिला और दूसरी मंजिल का 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर चुका था।

<sup>29</sup> ₹ 22.42 करोड़ (चौथे और पांचवें आरए बिल की लंबित राशि अर्थात् ₹ 1.25 करोड़ और ₹ 4.50 करोड़ क्रमशः अदालती कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए शामिल नहीं हैं) : मोबिलाइजेशन एडवांस (₹ 5.59 करोड़) + पहला आरए बिल (₹ 4.80 करोड़) + दूसरा आरए बिल (₹ 4.53 करोड़) + तीसरा आरए बिल (₹ 2.95 करोड़) + चौथा आरए बिल (₹ 3.22 करोड़) + सुरक्षित अग्रिम (₹ 1.33 करोड़)।

<sup>30</sup> जनवरी 2015 से मार्च 2015 के दौरान।

<sup>31</sup> भूखण्ड के वर्तमान मूल्य, आंशिक निर्माण के मूल्य और उस पर ब्याज, ठेकेदार के लंबित बिलों और अंतिम निर्णय तक होने वाले कानूनी खर्चों के समायोजन के बाद।

<sup>32</sup> औद्योगिक भूमि प्रीमियम, सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय, कानूनी व्यय एवं जून 2019 तक के ब्याज को ध्यान में रखते हुए।

प्रकरण पर विचार करने के बाद, समिति ने लंबित अदालती मामलों और भूमि उपयोग के परिवर्तन के आलोक में प्रकरण को पुनर्विचार के लिए महाप्रबंधक (विधिक) को वापस भेजने का निर्णय लिया। तदनुसार, महाप्रबंधक (विधिक) ने राय दिया (नवम्बर 2019) कि लंबित अदालती मामलों और मध्यस्थता के कारण भवन की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित न किया जाए।

उपरोक्त मामले में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- शासनादेश (जुलाई 2014) के अनुसार मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है। हालाँकि, यूपीएसआईडीसी ने प्लॉट बी-9 पर चल रहे अदालती मामलों<sup>33</sup> से अवगत होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया।
- अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राज्य विकास क्षेत्र (योजनाओं की तैयारी एवं अंतिम रूप) विनियम, 2004 के प्रस्तर 3.3.8 में निर्धारित भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रावधानों का पालन न करते हुए, यूपीएसआईडीसी ने सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक (वाणिज्यिक उपयोग) के लिए प्लॉट बी-9 पर कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया जो कि औद्योगिक उपयोग के लिए था।

इस प्रकार, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अपने विनियमों और भूखण्ड पर लंबित अदालती मामलों की अनदेखी करते हुए, यूपीएसआईडीसी ने एक अनधिकृत निर्माण पर ₹ 27.15 करोड़ का व्यय किया, जो कार्य रूकने (नवम्बर 2016) के पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद निष्फल रहा।

प्राधिकरण (यूपीएसआईडीसी) ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2021) कि अदालती मामलों और मध्यस्थता के मामलों के निपटारे के बाद नीलामी की जाएगी। यह भी कहा गया कि मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्यवाही की गई है और मामले की जाँच की जा रही है।

प्राधिकरण का उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

सरकार उन चूकों के लिए जिनके कारण निष्फल व्यय हुआ, सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

## अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

### 3.7 ₹ 1.95 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के उल्लंघन में यूपीनेडा ने सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज आय को अपनी आय माना और परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) राज्य सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के सम्बन्ध में और राज्य के लोगों के लाभ के लिए

<sup>33</sup> (i) प्रिसिजन ऑटो पार्ट्स और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2219/(एम/बी) 2014 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। (ii) मैसर्स अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया याचिका संख्या 137/1998 में सुनवाई चल रही थी।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, यूपीनेडा सरकार और अन्य ग्राहक विभागों/एजेंसियों से निधि प्राप्त करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों (मार्च 2012 एवं मई 2015) में प्रावधान है कि यदि सरकार द्वारा जारी निधियों पर ब्याज अर्जित किया गया है तो इस प्रकार अर्जित ब्याज सरकार की आय होगी तथा इसे सरकारी खजाने में क्रेडिट/जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि यूपीनेडा ने सरकार से प्राप्त निधियों को बैंकों में रखा और वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 5.99 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसने सरकार के आदेशों के अनुसार ब्याज आय को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। इसके बजाय, इसने सरकारी निधियों पर ब्याज आय को अपनी आय के रूप में माना और वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न भरने के लिए उसे अपनी कुल आय की गणना के लिए लेखीकृत किया। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि के दौरान यूपीनेडा पर आयकर का भार ₹ 1.95 करोड़ (परिशिष्ट-3.6) से बढ़ गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यूपीनेडा ने सम्बन्धित वर्षों के दौरान अपनी बैलेंस शीट तैयार करते समय, सरकारी निधियों पर ब्याज आय को अपनी देनदारी माना है और इस सम्बन्ध में लेखा पुस्तकों में प्रकटीकरण दिया गया है। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2018-19 और उसके बाद से, यूपीनेडा ने अपनी कुल आय से सरकारी निधि पर अर्जित ब्याज को इस आधार पर कि सरकार द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, हटाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

इस प्रकार, यूपीनेडा ने न केवल सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया और ब्याज को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया बल्कि ₹ 1.95 करोड़ के आयकर का अतिरिक्त भार भी वहन किया।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

### सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

#### 3.8 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट न लेने के कारण हानि

**सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट नहीं लेने के कारण, राजकोष को ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई।**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) में प्रावधान है कि किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग को उत्पन्न होने वाली कोई भी निर्दिष्ट आय<sup>34</sup>, जो केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, आम जनता के लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से स्थापित या गठित की गई हो, कुल आय का हिस्सा नहीं है, इसलिए आयकर से छूट दी जाएगी। इसके लिए, संस्था किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होनी चाहिए और इसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के तहत छूट प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अधिसूचित (जून 2013) किया।

<sup>34</sup> इसमें ऐसी आय पर अर्जित ब्याज भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2022) कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (सीईजी) का गठन (मार्च 2006) सरकार की सहायता और समर्थन करने के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को शुरू करने में सचिवालय और पूर्णकालिक आंतरिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने के लिए किया था। सीईजी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है। मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद सीईजी ने अपने गठन के 15 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आयकर अधिनियम की उक्त धारा के तहत छूट के लिए आवेदन नहीं किया। उपरोक्त छूट न लेने के कारण, 2006-07 से 2020-21 की अवधि के दौरान सीईजी के बैंक खातों में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज पर बैंकों द्वारा ₹ 21.59 करोड़ के आयकर की कटौती की गई।

इस प्रकार, सीईजी के स्तर पर निष्क्रियता के कारण 2006-07 से 2020-21 की अवधि के दौरान परिहार्य आयकर के रूप में ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि सीईजी ने आज तक (जुलाई 2022) आयकर अधिनियम की उक्त धारा के तहत छूट के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसा आयकर निर्धारित तरीके से सीईजी के पक्ष में अधिसूचना जारी होने तक लगाया जाता रहेगा।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

## पर्यटन विभाग

### 3.9 सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते से बाहर रखा गया

**पर्यटन निदेशालय किराए के रूप में प्राप्त ₹ 1.10 करोड़ की राशि राज्य कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रहा।**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व प्राप्तियाँ और सभी ऋण राज्य की संचित निधि का हिस्सा होंगे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जीओयूपी) द्वारा जारी (जनवरी 1950) कोषागार नियमों के नियम 7 (1) में प्रावधानित है कि संविधान के अनुच्छेद 266, 267 या 284 में परिभाषित सभी धन सरकारी कर्मचारी को उनकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त या प्रस्तुत किये गए, बिना किसी देरी के, कोषागार में या बैंक<sup>35</sup> में पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त रूप में प्राप्त धन को विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा और न ही सरकारी खाते से अलग रखा जाएगा।

पर्यटन भवन (भवन), लखनऊ, महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक भवन है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसटीडीसी) निदेशालय की ओर से भवन को किराए पर उठाने से सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

<sup>35</sup> उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी (जनवरी 1950) कोषागार नियमों के नियम 3 में प्रावधानित है कि इस तरह के धन की जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 के तहत गवर्नर और बैंक के बीच किये गए समझौते की शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन की पहली और दूसरी मंजिल के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दी (मार्च 1998)। निदेशालय ने वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की राय पर यूपीएसटीडीसी को निर्देश दिया (सितम्बर 2014) कि ब्याज सहित भवन के किराए की राशि विशिष्ट शीर्ष<sup>36</sup> के अन्तर्गत कोषागार में जमा करें। इस प्रकार, भवन को किराए पर दिए जाने से होनेवाली सारी प्राप्तियाँ कोषागार में जमा करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2022) कि यूपीएसटीडीसी भवन के किराए के रूप में प्राप्त राशि जमा कर रहा था, लेकिन इसने सभागार (हॉल) जो भवन का हिस्सा था को किराए पर उठाने से प्राप्त किराया आय को जमा नहीं किया। यूपीएसटीडीसी ने अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान सभागार को किराए पर देने से ₹ 1.10 करोड़ का राजस्व वसूल किया लेकिन इसे विशिष्ट शीर्ष के तहत राज्य कोषागार में जमा करने में विफल रहा क्योंकि यूपीएसटीडीसी ने निदेशालय के निर्देश (सितम्बर 2014) के उल्लंघन में इसे अपनी आय माना।

इस प्रकार, कोषागार नियमावली के प्रावधान एवं निदेशालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण, यूपीएसटीडीसी प्राप्त किराया राज्य कोषागार में जमा करने में विफल रहा। इसके अलावा, निदेशालय, यूपीएसटीडीसी द्वारा अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी में भी विफल रहा। इस प्रकार, अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2021 की अवधि के लिए ₹ 1.10 करोड़ की राशि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के उल्लंघन में राज्य की संचित निधि से बाहर रखी गई।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

### 3.10 लक्ष्मण शहीद स्मारक के अनाधिकृत कार्य पर व्यर्थ व्यय

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विनियमित स्मारक क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 (अधिनियम) की धारा 4 (नई धारा 20 ए) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर ऐसे संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक के सम्बन्ध में सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (नई धारा 20 बी) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेषों के सम्बन्ध में निषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर, राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित और सभी दिशाओं में दो सौ मीटर तक फैला हुआ है, विनियमित क्षेत्र होगा। उक्त अधिनियम की धारा 30 (बी) में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना विनियमित क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए दो वर्ष तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपी-बीटीवीपी)<sup>37</sup> ने जिला मथुरा में लक्ष्मण

<sup>36</sup> 1452-पर्यटन-800-अन्य प्राप्तियाँ-02-विविध प्राप्तियाँ।

<sup>37</sup> उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपी-बीटीवीपी) की स्थापना, ब्रज विरासत के सभी क्षेत्रों जैसे सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और स्थापत्य सौंदर्य गुणों के संरक्षण, विकास और रखरखाव के लिए एक योजना तैयार करने और एकीकृत पर्यटन विकास और क्षेत्र की विरासत के लिए, की गई थी, ताकि ऐसी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी की जा सके।

शहीद स्मारक के पुनर्निर्माण कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके लिए पर्यटन विभाग (जीओयूपी) ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया, और ₹ 7.81 करोड़ जीएसटी अतिरिक्त (वास्तविक आधार पर) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (जनवरी 2020)। प्रथम किश्त के रूप में ₹ 3.91 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। प्रशासनिक अनुमोदन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, यूपी-बीटीवीपी/पर्यटन निदेशालय/कार्यकारी एजेंसी को काम शुरू करने से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण/सम्बन्धित एजेंसियों/विभागों से काम की ड्राइंग/डिजाइन पर आवश्यक वैधानिक मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी सुनिश्चित करनी थी।

यूपी-बीटीवीपी ने ₹ 3.91 करोड़ की धनराशि एमवीडीए को हस्तांतरित (मार्च 2020) की। एमवीडीए ने एक ठेकेदार<sup>38</sup> को ₹ 6.79 करोड़ में कार्य प्रदान किया (जून 2020) तथा कार्य प्रारम्भ (जून 2020) किया गया। इसके बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध निर्माण कार्य हेतु एमवीडीए को यह बताते हुए कि चूँकि निर्माण स्थल विनियमित स्मारक क्षेत्र के अन्दर आता था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आयुक्त, आगरा मंडल से अनुमति अनिवार्य थी, नोटिस जारी किया (सितम्बर 2020)। अग्रेतर, एएसआई द्वारा एमवीडीए के खिलाफ अनधिकृत निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, जो अक्टूबर 2020 में बंद कर दिया गया था, पुलिस में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई (अक्टूबर 2020)।

उक्त निर्माण स्थल एएसआई द्वारा संरक्षित एक प्राचीन स्मारक, श्री गोविंद देव जी मंदिर, वृंदावन के विनियमित क्षेत्र (224 मीटर के भीतर) के भीतर स्थित था, लेकिन यूपी-बीटीवीपी ने काम शुरू होने से पहले एएसआई की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया और निर्माण हेतु फंड जारी कर दिया। यूपी-बीटीवीपी ने नोटिस प्राप्त होने के बाद अनुमति के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2020) लेकिन एएसआई ने अनुरोध का संज्ञान नहीं लिया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यूपी-बीटीवीपी/एमवीडीए को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया (अक्टूबर/नवम्बर 2020)।

एमवीडीए निर्माण कार्य रुकने तक (अक्टूबर 2020) ₹ 1.36 करोड़ का व्यय कर चुका था। यूपी-बीटीवीपी द्वारा किये गए कई पत्राचार के बाद, मामले को अतिरिक्त आयुक्त, आगरा सर्कल द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया (जून 2021) जिन्होंने भी निर्माण के लिए अनुमति देने से मना कर दिया (जुलाई 2021)। अग्रेतर, यूपी-बीटीवीपी ने एएसआई से प्राथमिकी वापस लेने और इस तथ्य को बताते हुए एनओसी जारी करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2021) कि बेसमेंट के नींव के निर्माण को हटा दिया गया था और उसकी मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था।

इस प्रकार, यूपी-बीटीवीपी ने एएसआई से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना स्मारक से सटे एक विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्य पर ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि एएसआई ने कार्य शुरू करने की अनुमति देने के लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया है। एएसआई से एनओसी मिलने के बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा। अग्रेतर, पहले से किया गया व्यय निष्फल नहीं है क्योंकि उस पर फिर से व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<sup>38</sup> मैसर्स गर्ग रिसर्फेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपी-बीटीवीपी द्वारा किये गए पूर्व के सभी अनुरोधों को एएसआई द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके अलावा, एएसआई से एफआईआर वापस लेने के अपने अनुरोध में, यूपी-बीटीवीपी ने स्वयं पुष्टि की है कि निर्मित संरचना को हटा दिया गया था और उसकी मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था जो सिद्ध करता है कि व्यय व्यर्थ हो गया है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

तान्या सिंह

लखनऊ

(तान्या सिंह)

दिनांक 7 दिसम्बर 2022 महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)  
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक 12 दिसम्बर 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक





परिशिष्टियाँ



**परिशिष्ट-1**  
(प्रस्तर 1.1 में संदर्भित)  
**विभागों और सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थाओं को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                                | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि)    | पीएसयू और अन्य संस्थाओं के योग |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b>                                             | <b>5=3+4</b>                   |
| 1           | ऊर्जा विभाग                                 | 1. उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)<br>2. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)<br>3. कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)<br>4. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)<br>5. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)<br>6. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)<br>7. उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड<br>8. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड<br>9. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल)<br>10. जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल की सहायक)<br>11. यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड<br>12. यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड<br>13. सदर्न यूपी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड | 1. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग                  | 14                             |
| 2           | अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण | 1                              |
| 3           | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग | 1. अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड<br>2. अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड<br>3. कानपुर कम्पोजिट्स लिमिटेड<br>4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर (इंडिया) लिमिटेड<br>5. श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड<br>6. अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड<br>7. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड<br>8. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                    | 8                              |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                                             | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पीएसयूज और अन्य संस्थाओं के योग |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5=3+4                           |
| 4           | अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग                        | 1. प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड<br>2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम<br>3. नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन<br>4. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड<br>5. डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड<br>6. उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड<br>7. उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड<br>8. विन्ध्याचल अब्रेसिज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)<br>9. आटो ट्रैक्टर लिमिटेड<br>10. कॉन्टीनेंटल प्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)<br>11. दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड<br>12. उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)<br>13. उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)<br>14. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड | 1. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>2. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>3. लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>4. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>5. नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>6. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>7. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>8. सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण<br>9. राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज<br>10. राजकीय मुद्रणालय, रामपुर<br>11. राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी<br>12. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ | 26                              |
| 5           | लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग | 1. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल)<br>2. उत्तर प्रदेश एस्बेस्ट्स लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल की सहायक)<br>3. उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाइड (प्राइवेट) लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल की सहायक)<br>4. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड<br>5. उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड<br>6. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद, लखनऊ<br>7. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                               |
| 6           | परिवहन विभाग                                             | 1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                               |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                           | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम                                                                                                                                                                                               | अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि)                                                      | पीएसयूज और अन्य संस्थाओं के योग |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                      | 5=3+4                           |
| 7           | हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग           | 1. उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड<br>2. उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड<br>3. भदोही वूलैन्स कम्पनी लिमिटेड<br>4. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड<br>5. उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड | -                                                                                                      | 5                               |
| 8           | खादी और ग्रामोद्योग विभाग              | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड                                                             | 1                               |
| 9           | पर्यटन विभाग                           | 1. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                      | 1                               |
| 10          | नगरिक उड्डयन विभाग                     | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                      | -                               |
| 11          | भूतत्व और खनिकर्म विभाग                | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                      | -                               |
| 12          | संस्कृति विभाग                         | 1. उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                      | 1                               |
| 13          | धर्मार्थ कार्य विभाग                   | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                      |                                 |
| 14          | लोक निर्माण विभाग                      | 1. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड<br>2. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड                                                                                                                                                    | -                                                                                                      | 2                               |
| 15          | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड<br>2. क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)                                                                                                                                    | 1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड<br>2. क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) | 3                               |
| 16          | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग         | -                                                                                                                                                                                                                                         | 1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद<br>2. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर                                   | 2                               |
| योग         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 72                              |

**परिशिष्ट-2.1**  
(प्रस्तर 2.1.2 एवं 2.1.8 में संदर्भित)  
**29 अकार्यरत पीएसयू जिनके लिए परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया, को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                          | अकार्यरत पीएसयू का नाम                                               | निगमन की तिथि | संचालन बंद होने की तिथि/माह | पीएसयू के संचालन बंद होने से मार्च 2021 तक वर्षों की संख्या | पीएसयू का उद्देश्य                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | दि. इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड                     | 22.02.1924    | अक्टूबर 2000                | 20                                                          | रेजिन, रोजिन और तारपीन का निर्माण, क्रय-विक्रय और सौदा करना।                                                  |
| 2           | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड                                 | 01.01.1975    | 01.07.1999                  | 21                                                          | पानी के मीटर, छात्र माइक्रोस्कोप एवं ऑटोमोबाइल डैशबोर्ड मीटर, सहायक उपकरण का व्यापार।                         |
| 3           | लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन     | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड                      | 12.02.1974    | 17.11.1990                  | 30                                                          | पीतल एवं ईपीएनएस लघु उद्योगों की सहायता, परामर्श सहायता, वित्त, सुरक्षा एवं संवर्धन करना।                     |
| 4           | लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन     | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 12.02.1974    | 16.03.2001                  | 20                                                          | कुटीर फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देना, सहायता करना, सहयोग या वित्तपोषित करना।                                   |
| 5           | हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग              | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड                      | 02.12.1969    | 28.03.2001                  | 20                                                          | टेक्सटाईल मिलों के कारोबार को आगे बढ़ाना।                                                                     |
| 6           | हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग              | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड                              | 20.08.1974    | 28.06.2012                  | 8                                                           | सूत कातने वाले और डबलर्स टेंट बनाने वाले सूत व्यापारियों के व्यवसाय को बढ़ाना।                                |
| 7           | वाणिज्यिक कर                          | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड                                    | 10.09.1975    | 01.03.1990                  | 31                                                          | थिएटर, सिनेमा, फिल्म निर्माण आदि के मालिक, वितरक, प्रबंधक के रूप में व्यवसाय करने के लिए।                     |
| 8           | ऊर्जा                                 | सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड                         | 08.08.2013    | 25.09.2019                  | 1                                                           | कम्पनी को ट्रान्समिशन लाइन स्थापित करने के उद्देश्य से निगमित किया गया।                                       |
| 9           | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | अपलीज फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड                                     | 05.01.1988    | 2002                        | 18                                                          | अपट्रॉन उत्पादों का सरकारी कर्मचारी को किश्त के आधार पर वित्तपोषण एवं अन्य को भी मंजूरी के आधार पर वित्तपोषण। |
| 10          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास           | छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड                                             | 18.04.1975    | 24.06.2009                  | 11                                                          | अपनी सभी शाखाओं में चीनी मिलों का व्यवसाय जारी रखना।                                                          |
| 11          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास           | नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड                                   | 18.04.1975    | 24.06.2009                  | 11                                                          | अपनी सभी शाखाओं में चीनी मिलों का व्यवसाय जारी रखना।                                                          |
| 12          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास           | घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड                                          | 30.05.1986    | 24.06.2009                  | 11                                                          | अपनी सभी शाखाओं में चीनी मिलों का व्यवसाय जारी रखना।                                                          |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                | अकार्योत्तर पीएसयू का नाम                                                              | निगमन की तिथि | संचालन बंद होने की तिथि/माह | पीएसयू के संचालन बंद होने से मार्च 2021 तक वर्षों की संख्या | पीएसयू का उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड                                 | 27.08.1975    | मार्च 2002                  | 19                                                          | क्षेत्रीय क्षेत्रों में मानक गन्ना बीज उत्पादन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक बीज पौधशालाओं की स्थापना, सहायता एवं प्रोत्साहन करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14          | मत्स्य एवं पशुधन            | उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलीज लिमिटेड                                  | 07.12.1974    | 29.11.2004                  | 16                                                          | पोल्ट्री फीड एवं उपकरण, भेड़ और ऊँ, अन्य पशुधन उत्पाद, चारा, देशी दवाओं का निर्माण और आपूर्ति, डेयरी तथा डेयरी उत्पादनों को बढ़ावा देने, स्थापित, प्रशासन, चलाने, सुधारने, विकसित करने, परामर्श देने, वित्तीय सहायता, उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न, प्रसंस्करण, भंडारण करने एवं सभी या किसी भी व्यवसाय के विक्रय हेतु।                                                                                                                                                                   |
| 15          | मत्स्य एवं पशुधन            | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड                                                 | 05.03.1975    | 31.12.1998                  | 22                                                          | पशुधन एवं कुक्कुट या अन्य पक्षियों के विकास और उनका एवं उनके उत्पादों का भारत में तथा बाहर विपणन करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16          | खाद्य प्रसंस्करण            | उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 06.04.1977    | 30.06.1990                  | 31                                                          | सेब, सेब उत्पादों, आलू, आलू उत्पादों और/या अन्य फलों, सब्जियों और सम्बन्धित उत्पादों को बढ़ावा और/या उत्पादनों को तेज करना, पैकिंग एवं ग्रेडिंग, परिवहन करना, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन और/या निर्यात करने के लिए अनुदान, सहायता, पहल, प्रचार, तेजी, गति और/या विकास परियोजनाओं को निष्पादित करना, उद्यमों और/या परियोजना/योजना जो कम्पनी के राय में है।                                                                                                                                                     |
| 17          | पंचायती राज                 | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड                                  | 24.04.1973    | 19.05.2003                  | 18                                                          | पंचायती राज निकायों और संस्थानों (अर्थात् जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों, संयुक्त समितियों और पंचायतों) को उत्तर प्रदेश राज्य में उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित विकास परियोजनाओं में संचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता, आवास (वाणिज्यिक आवास सहित) विद्युतीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति, जल निकासी, प्राथमिक शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, लघु सिंचाई और ऐसे अन्य उद्देश्यों की गणना जो निकायों और संस्थाओं की उत्पादक सम्पत्ति बनाने और बढ़ाने के लिए की जाती है, हेतु ऋण प्रदान करना। |
| 18          | समाज कल्याण                 | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड                                                | 02.08.1975    | 04.06.1999                  | 21                                                          | कुमारों और गढ़वाल मंडल के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य जनजातियों के उत्थान के लिए जहाँ तक सम्भव हो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना या स्थापना को बढ़ावा देना।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19          | भूमि विकास एवं जल संसाधन    | कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड                                    | उपलब्ध नहीं   | 04.08.1999                  | 21                                                          | कुक्कुट उद्योग के विकास के लिए फार्म स्थापित करना तथा लेयर्स एवं ब्रायलर चूजों का उत्पादन करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम             | अकार्योत्तर पीएसयू का नाम                 | निगमन की तिथि | संचालन बंद होने की तिथि/माह | पीएसयू के संचालन बंद होने से मार्च 2021 तक वर्षों की संख्या | पीएसयू का उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड | 30.03.1971    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में पूर्वांचल क्षेत्र में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना। |
| 21          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड            | 31.01.1976    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में बरेली मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।       |
| 22          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड          | 31.03.1976    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में गोरखपुर मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।     |
| 23          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड           | 31.01.1976    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में लखनऊ मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।        |
| 24          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड          | 31.03.1976    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में वाराणसी मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।     |



| क्रम संख्या | विभाग का नाम             | अकार्यरत पीएसयू का नाम                      | निगमन की तिथि | संचालन बंद होने की तिथि/माह | पीएसयू के संचालन बंद होने से मार्च 2021 तक वर्षों की संख्या | पीएसयू का उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड          | 30.03.1978    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में मुरादाबाद मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।     |
| 26          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड               | 31.03.1976    | 02.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में मेरठ मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।          |
| 27          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड               | 31.03.1976    | 07.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में आगरा मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।          |
| 28          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड           | 31.01.1976    | 02.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में इलाहाबाद मण्डल में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना।      |
| 29          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड | 30.03.1971    | 11.11.1992                  | 28                                                          | संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण, उपकरण, पैकिंग और अन्य सामग्री, पदार्थ, सामान या किसी भी विवरण की चीजों के निर्माण, उत्पादन या वितरण के लिए, जिसकी कम्पनी की राय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है, हेतु उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों या कार्यक्रमों का विकास या निष्पादन, अनुदान, सहायता, प्रचार या स्थापना करना। |

**परिशिष्ट-2.2**  
**(प्रस्तर 2.1.2 एवं 2.1.11.1 में संदर्भित)**  
**परिसमापनाधीन 13 अकार्यरत पीएसयू की सूचना को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम<br>संख्या | विभाग का नाम                          | अकार्यरत पीएसयू का नाम                                         | निगमन की<br>तिथि | परिसमापन में<br>जाने की<br>तिथि | परिसमापन में<br>जाने के पश्चात् से<br>बीते हुए वर्षों की<br>संख्या |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1              | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड                        | 29.03.1972       | 08.12.1999                      | 22                                                                 |
| 2              | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | विन्ध्याचल अग्रेसिज लिमिटेड                                    | 05.12.1985       | 28.11.2002                      | 18                                                                 |
| 3              | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | ऑटो ट्रेक्टर लिमिटेड                                           | 28.12.1972       | 14.02.2003                      | 18                                                                 |
| 4              | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड                                | 12.04.1985       | 01.04.2002                      | 19                                                                 |
| 5              | अवस्थापना और औद्योगिक विकास           | उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड                    | 23.04.1979       | 19.02.1994                      | 27                                                                 |
| 6              | लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन     | उत्तर प्रदेश एल्स्काट प्राइवेट लिमिटेड                         | 28.06.1972       | 14.11.2003                      | 17                                                                 |
| 7              | लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन     | उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड   | 28.06.1972       | 14.11.2003                      | 17                                                                 |
| 8              | हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग              | भदोही वूलेन्स लिमिटेड                                          | 14.06.1976       | 20.02.1996                      | 25                                                                 |
| 9              | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड              | 17.01.1968       | 14.07.1981                      | 39                                                                 |
| 10             | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड                                        | 18.10.1979       | 26.03.2014                      | 07                                                                 |
| 11             | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | कानपुर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड                                    | 31.03.1978       | 10.06.1996                      | 24                                                                 |
| 12             | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास           | उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड          | 27.08.1975       | 01.09.2006                      | 14                                                                 |
| 13             | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास           | उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | 27.08.1975       | 01.09.2006                      | 14                                                                 |

**परिशिष्ट-2.3**  
(प्रस्तर 2.1.2 में संदर्भित)  
**29 अकार्यरत पीएसयू के निवेश, संचित हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम<br>संख्या | पीएसयू के नाम                                                                           | अन्तिमीकृत लेखाओं<br>के वर्ष | निवेश  | संचित<br>हानियाँ | प्रदत्त पूँजी | (₹ करोड़ में)<br>निवल मूल्य <sup>1</sup> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1              | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड                                                 | 2020-21                      | 144.72 | -146.71          | 31.91         | -114.8                                   |
| 2              | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड                                         | 2019-20                      | 288.88 | -608.49          | 160.79        | -447.70                                  |
| 3              | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड                                         | 2010-11                      | 5.96   | -32.93           | 0.22          | -32.71                                   |
| 4              | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड                                         | 1997-98                      | 7.32   | -6.04            | 5.38          | -0.66                                    |
| 5              | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड                                                   | 2001-02                      | 19.06  | -38.75           | 1.93          | -36.82                                   |
| 6              | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड                    | 2000-01                      | 7.65   | -6.86            | 5.74          | -1.12                                    |
| 7              | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड                                                       | 2009-10                      | 10.65  | -14.80           | 8.18          | -6.62                                    |
| 8              | सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड                                            | 2020-21                      | 2.22   | -2.22            | 2.22          | 0                                        |
| 9              | अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                                       | 1997-98                      | 5.21   | 0.96             | 1.06          | 2.02                                     |
| 10             | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड                                                  | 2015-16                      | 3.44   | -4.20            | 2.73          | -1.47                                    |
| 11             | उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलीज लिमिटेड                                   | 2013-14                      | 4.04   | -4.98            | 0.50          | -4.48                                    |
| 12             | उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोज़्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 1984-85                      | 10.39  | 0.01             | 1.91          | 1.92                                     |
| 13             | उत्तर प्रदेश (परिचय) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड                                   | 2013-14                      | 0.65   | 0.67             | 0.64          | 1.31                                     |
| 14             | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड                                   | 1995-96                      | 1.50   | 0                | 1.50          | 1.50                                     |
| 15             | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                           | 1988-89                      | 1.05   | 0.10             | 1.00          | 1.10                                     |
| 16             | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                       | 1983-84                      | 1.33   | 0                | 0.55          | 0.55                                     |
| 17             | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                          | 1988-89                      | 1.90   | 0.05             | 1.00          | 1.05                                     |
| 18             | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                        | 1988-89                      | 2.18   | 0.02             | 1.26          | 1.28                                     |
| 19             | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड                                                         | 1981-82                      | 1.56   | 0.10             | 0.50          | 0.60                                     |

1. निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित तथा अधिशेष से संचित हानियाँ एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के पश्चात् का कुल योग है।

| क्रम संख्या | पीएसयू के नाम                                       | अन्तिमीकृत लेखाओं के वर्ष | निवेश          | संचित हानियाँ   | प्रदत्त पूंजी | निवल मूल्य <sup>1</sup> |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 20          | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड                       | 2008-09                   | 1.01           | 0.02            | 1.00          | 1.02                    |
| 21          | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                  | 1991-92                   | 0.90           | 0.01            | 0.25          | 0.26                    |
| 22          | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड             | 1982-83                   | 1.70           | 0.004           | 0.25          | 0.254                   |
| 23          | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड         | 2010-11                   | 1.28           | 0.01            | 1.23          | 1.24                    |
| 24          | उत्तर प्रदेश पूर्वान्धल विकास निगम लिमिटेड          | 1987-88                   | 1.65           | 0.01            | 1.15          | 1.16                    |
| 25          | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड                    | 1987-88                   | 1.00           | उपलब्ध नहीं     | उपलब्ध नहीं   | उपलब्ध नहीं             |
| 26          | कमाण्ड एरिया पोल्ड्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 1994-95                   | 0              | 0.25            | 0.24          | 0.49                    |
| 27          | छाता श्रुगर कम्पनी लिमिटेड                          | 2016-17                   | 110.26         | -106.70         | 81.38         | -25.32                  |
| 28          | नन्दगंज-सिहोरी श्रुगर कम्पनी लिमिटेड                | 2016-17                   | 256.80         | -242.27         | 256.80        | 14.53                   |
| 29          | घाटमपुर श्रुगर कम्पनी लिमिटेड                       | 2016-17                   | 151.62         | 0.09            | 8.95          | 9.04                    |
|             | <b>योग</b>                                          |                           | <b>1045.93</b> | <b>-1212.65</b> | <b>580.27</b> | <b>-632.38</b>          |

**परिशिष्ट-2.4**  
**(प्रस्तर 2.1.6 में संदर्भित)**  
**लेखापरीक्षा के दौरान पीएसयू द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों की सूची को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                       | अकार्यरत पीएसयू के नाम                           | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | अवस्थापना और औद्योगिक विकास        | दि. इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>5. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>6. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>7. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।</li> </ol>                                                                         |
| 2           | अवस्थापना और औद्योगिक विकास        | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>8. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।</li> </ol> |
| 3           | लघु, उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>8. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।</li> </ol> |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                          | अकार्यरत पीएसयू के नाम                          | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग              | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड | 1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।<br>3. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5           | हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग              | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड         | 1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।<br>3. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6           | वाणिज्यिक कर                          | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड               | 1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।<br>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।<br>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।<br>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।<br>8. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग। |
| 7           | ऊर्जा                                 | सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड    | 1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।<br>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।<br>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।<br>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।<br>8. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग। |
| 8           | सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड               | 1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।<br>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।<br>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।<br>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।<br>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।<br>8. जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग। |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                | अकार्यरत पीएसयू के नाम                                 | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9           | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सखिसडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                            |
| 10          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सखिसडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</li> </ol>                                                                                                                     |
| 11          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सखिसडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</li> </ol>                                                                                                       |
| 12          | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सखिसडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>अदालती प्रकरणों की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति।</li> </ol> |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम     | अकार्यरत पीएसयू के नाम                                 | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | मत्स्य एवं पशुधन | उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलटीज लिमिटेड | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।</li> </ol>                                                                                                                               |
| 14          | मत्स्य एवं पशुधन | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति का विवरण एवं उनका उपयोग।</li> <li>बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                              |
| 15          | पंचायती राज      | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड  | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>31 मार्च 2021 तक देनदारों से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</li> <li>बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</li> </ol> |
| 16          | समाज कल्याण      | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड                | <ol style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</li> <li>कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> <li>अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</li> <li>सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| क्रम संख्या | विभाग का नाम             | अकार्यरत पीएसयू के नाम          | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | कमाण्ड एरिया डेवलपमेण्ट लिमिटेड | <p>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>8. जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>9. अदालती प्रकरणों की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति।</p> <p>10. बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</p> <p>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</p> <p>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</p> <p>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>7. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>8. जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>9. अदालती प्रकरणों की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति।</p> <p>10. बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</p> |
| 18          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड  | <p>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</p> <p>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</p> <p>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>7. 31 मार्च 2021 तक देनदारों से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>8. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>9. जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>10. अदालती प्रकरणों की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड   | <p>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</p> <p>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</p> <p>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम             | अकार्यरत पीएसयू के नाम            | लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20          | भूमि विकास एवं जल संसाधन | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | <p>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>7. 31 मार्च 2021 तक देनदारों से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>8. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>9. जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>10. बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</p> <p>1. कम्पनी को अकार्यरत घोषित करने से पूर्व किये गए निर्धारण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>2. प्रशासनिक विभाग, डीपीई एवं बीपीई के साथ किये गए पत्राचार से सम्बन्धित फाइलें।</p> <p>3. कम्पनी के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/समापन के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>4. अचल सम्पत्ति रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट।</p> <p>5. सम्पत्तियों की विक्रय/हस्तांतरण से सम्बन्धित फाइलें/अभिलेख।</p> <p>6. सम्पत्ति के अतिक्रमण/चोरी/गबन/अप्रचलन से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>7. 31 मार्च 2021 तक देनदारों से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>8. शेयर पूंजी एवं इक्विटी के माध्यम से बड़े ऋण और लंबी अवधि के ऋण, अनुदान, जीओआई, जीओयूपी और अन्य (होलिडिंग कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि) द्वारा सब्सिडी से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>9. जनशक्ति एवं उनका उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख।</p> <p>10. अदालती प्रकरणों की सूची एवं उनकी वर्तमान स्थिति।</p> <p>11. बैंक खातों का विवरण एवं नवीनतम बैंक समाधान विवरण।</p> |

**परिशिष्ट-2.5**  
(प्रस्तर 2.1.9.1, 2.1.9.2 एवं 2.1.12.1 में संदर्भित)  
**29 अकार्यरत पीएसयू के अचल सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम, विविध देनदार एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम                                                         | संचालन बंद होने की तिथि/माह | लेखाओं को अंतिम रूप देने का वर्ष | अचल सम्पत्ति | ऋण एवं अग्रिम (सम्पत्ति) | विविध देनदार | व्यय               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 1           | 2                                                                     | 3                           | 4                                | 5            | 6                        | 7            | 8                  |
| 1           | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड                               | 28.06.2012                  | 2020-21                          | 1.49         | 2.40                     | 0            | 8.56               |
| 2           | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड                       | 28.03.2001                  | 2019-20                          | 3.34         | 8.83                     | 0            | 63.79 <sup>2</sup> |
| 3           | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड                       | अक्टूबर 2000                | 2010-11                          | 0.10         | 7.72                     | 10.55        | 0.52               |
| 4           | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड                       | 17.11.1990                  | 1997-98                          | उपलब्ध नहीं  | उपलब्ध नहीं              | उपलब्ध नहीं  | उपलब्ध नहीं        |
| 5           | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड                                  | 01.07.1999                  | 2001-02                          | 0.01         | 1.22                     | 0.64         | 0.23               |
| 6           | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 16.03.2001                  | 2000-01                          | 1.33         | 1.69                     | 2.21         | 0.79               |
| 7           | उत्तर प्रदेश चलयित्र निगम लिमिटेड                                     | 01.03.1990                  | 2009-10                          | 0.26         | 0.01                     | 0            | 0.49               |
| 8           | सदरन यू.पी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड                           | 25.09.2009                  | 2020-21                          | 0            | 0                        | 0            | 0.02               |
| 9           | अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                     | 2002                        | 1997-98                          | 1.56         | 0.25                     | 1.72         | 0.31               |
| 10          | छाता शुरार कम्पनी लिमिटेड                                             | 24.06.2009                  | 2016-17                          | 0.51         | 4.06                     | 3.90         | 10.85              |
| 11          | नन्दगंज-सिहोरी शुरार कम्पनी लिमिटेड                                   | 24.06.2009                  | 2016-17                          | 0.07         | 0                        | 0.01         | 18.12              |
| 12          | घाटमपुर शुरार कम्पनी लिमिटेड                                          | 24.06.2009                  | 2016-17                          | 0.80         | 0.24                     | 0.30         | 10.87              |
| 13          | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड                | मार्च 2002                  | 2013-14                          | 0            | 0.17                     | 0            | 3.97               |
| 14          | उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलीज लिमिटेड                 | 29.11.2004                  | 2013-14                          | 0.02         | 0.01                     | 0.01         | 1.72               |
| 15          | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड                                | 31.12.1998                  | 2015-16                          | 0.02         | 2.23                     | 1.20         | 6.06               |
| 16          | कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड                   | 04.08.1999                  | 1994-95                          | 0.13         | 0.02                     | 0.02         | उपलब्ध नहीं        |
| 17          | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड                           | 11.11.1992                  | 2010-11                          | 0.02         | 0.01                     | 0.12         | 0.23               |
| 18          | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                     | 02.11.1992                  | 1983-84                          | 0.35         | 0.16                     | 0.19         | उपलब्ध नहीं        |
| 19          | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड                 | 19.05.2003                  | 1995-96                          | 0.03         | 0.63                     | 0.21         | 0.14               |
| 20          | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड                               | 04.06.1999                  | 1982-83                          | 0.02         | 0.08                     | 0            | उपलब्ध नहीं        |

<sup>2</sup> 2009-10 से 2019-20 तक की अवधि से सम्बन्धित। इस अवधि से पूर्व की सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम                                                                          | संचालन बंद होने की तिथि/माह | लेखाओं को अंतिम रूप देने का वर्ष | अचल सम्पत्ति | ऋण एवं अग्रिम (सम्पत्ति) | विविध देनदार | व्यय        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                      | 3                           | 4                                | 5            | 6                        | 7            | 8           |
| 21          | उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 30.06.1990                  | 1984-85                          | 0.32         | 0.06                     | 0.02         | 2.11        |
| 22          | उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड                                              | 07.11.1992                  | 1987-88                          | 0.21         | 0.23                     | 0.37         | 2.11        |
| 23          | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                         | 07.11.1992                  | 1988-89                          | 0.22         | 1.19                     | 1.72         | उपलब्ध नहीं |
| 24          | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                       | 07.11.1992                  | 1988-89                          | 0.38         | 0.38                     | 0            | उपलब्ध नहीं |
| 25          | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड                                                        | 07.11.1992                  | 1981-82                          | 0.15         | 0.07                     | 0.02         | उपलब्ध नहीं |
| 26          | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                       | 07.11.1992                  | 1987-88                          | उपलब्ध नहीं  | उपलब्ध नहीं              | उपलब्ध नहीं  | उपलब्ध नहीं |
| 27          | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                     | 07.11.1992                  | 1991-92                          | 0.03         | 0.39                     | 0.73         | उपलब्ध नहीं |
| 28          | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                          | 02.11.1992                  | 2008-09                          | 0.03         | 0.01                     | 0            | 0.39        |
| 29          | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                          | 07.11.1992                  | 1988-89                          | 0.69         | 0.20                     | 0.11         | उपलब्ध नहीं |
| योग         |                                                                                        |                             |                                  | 12.09        | 32.26                    | 24.05        | 131.28      |

नोट: कॉलम संख्या 5, 6 एवं 7 के आंकड़े नवीनतम तुलन पत्र से लिये गए हैं और कॉलम संख्या 8 के आंकड़े को सम्बन्धित पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम उपलब्ध सूचनाओं से लिया गया है।

**परिशिष्ट-2.6**  
**(प्रस्तर 2.1.10.1 एवं 2.1.11.4 में संदर्भित)**  
**अकार्यरत पीएसयू के लेखाओं के बकाया को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम<br>संख्या | पीएसयू का नाम                                                                            | 31 दिसम्बर 2021 तक लेखाओं के बकाये की<br>अवधि | बकाया लेखाओं की<br>संख्या |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                      | <b>4</b>                  |
| 1              | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड                                                  | कोई लेखा बकाया नहीं है                        | 0                         |
| 2              | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड                                          | 2020-21                                       | 1                         |
| 3              | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड                                          | 2011-12 से 2020-21                            | 10                        |
| 4              | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड                                          | 1998-99 से 2020-21                            | 23                        |
| 5              | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड                                                    | 2002-03 से 2020-21                            | 19                        |
| 6              | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड                    | 2001-02 से 2020-21                            | 20                        |
| 7              | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड                                                        | 2010-11 से 2020-21                            | 11                        |
| 8              | सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड                                             | कोई लेखा बकाया नहीं है                        | 0                         |
| 9              | अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                                        | 1998-99 से 2020-21                            | 22                        |
| 10             | छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड                                                                 | 2017-18 से 2020-21                            | 4                         |
| 11             | घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड                                                              | 2017-18 से 2020-21                            | 4                         |
| 12             | नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड                                                       | 2017-18 से 2020-21                            | 4                         |
| 13             | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड                                                   | 2016-17 से 2020-21                            | 5                         |
| 14             | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड                                   | 2014-15 से 2020-21                            | 7                         |
| 15             | उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलीज लिमिटेड                                    | 2014-15 से 2020-21                            | 7                         |
| 16             | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड                                              | 2011-12 से 2020-21                            | 10                        |
| 17             | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                            | 2011-12 से 2020-21                            | 10                        |
| 18             | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड                                    | 1996-97 से 2020-21                            | 25                        |
| 19             | कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड                                      | 1995-96 से 2020-21                            | 26                        |
| 20             | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                       | 1992-93 से 2020-21                            | 29                        |
| 21             | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                            | 1989-90 से 2020-21                            | 32                        |
| 22             | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                           | 1989-90 से 2020-21                            | 32                        |
| 23             | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                         | 1989-90 से 2020-21                            | 32                        |
| 24             | उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड                                               | 1988-89 से 2020-21                            | 33                        |
| 25             | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                         | 1988-89 से 2020-21                            | 33                        |
| 26             | उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 1985-86 से 2020-21                            | 36                        |
| 27             | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड                                                        | 1984-85 से 2020-21                            | 37                        |
| 28             | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड                                                  | 1983-84 से 2020-21                            | 38                        |
| 29             | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड                                                          | 1982-83 से 2020-21                            | 39                        |

**परिशिष्ट-2.7**  
(प्रस्तर 2.3 में संदर्भित)  
**अनुसूची-ई (अनुबंध के दक्षता मापदण्ड) के तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम<br>संख्या | दक्षता मापदण्ड के अनुसार चरण                                 | आवंटन आदेश/शून्य दिनांक<br>(अगस्त 2015) की तिथि से<br>समय-सीमा, माह में | चरण पूर्ण करने की<br>नियत तिथि | निष्पादन प्रतिभूति की कटौती की गणना<br>के लिए भारिता (चरण हासिल करने में<br>विफलता/विलम्ब की दशा में) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                                                     | <b>3</b>                                                                | <b>4</b>                       | <b>5</b>                                                                                              |
| 1              | पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति                                         | 4                                                                       | 12.12.2015                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 2              | अन्वेषण का समापन एवं भौगोलिक रिपोर्ट<br>(जीआर) को तैयार करना | 22                                                                      | 13.06.2017                     |                                                                                                       |
|                | भौगोलिक रिपोर्ट (जीआर) तैयार करने के<br>पश्चात् की घटनाएँ    | समय सीमा, माह में (जीआर तैयार<br>किये जाने की तिथि से)                  |                                |                                                                                                       |
| 3              | खनन पट्टा आवेदन                                              | 3                                                                       | 13.09.2017                     | 7 प्रतिशत                                                                                             |
| 4              | खनन योजना प्रस्तुत करना                                      | 6                                                                       | 13.12.2017                     | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 5              | खनन योजना का अनुमोदन                                         | 11                                                                      | 13.05.2018                     | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 6              | पूर्व अनुमोदन आवेदन                                          | 12                                                                      | 13.06.2018                     | 6 प्रतिशत                                                                                             |
| 7              | पूर्व अनुमोदन                                                | 13                                                                      | 13.07.2018                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 8              | वन मंजूरी आवेदन                                              | 11                                                                      | 13.05.2018                     | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 9              | वन मंजूरी                                                    | 21                                                                      | 13.03.2019                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 10             | पर्यावरण मंजूरी आवेदन                                        | 11                                                                      | 13.05.2018                     | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 11             | पर्यावरण मंजूरी                                              | 21                                                                      | 13.03.2019                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 12             | खनन पट्टे की स्वीकृति                                        | 24                                                                      | 13.06.2019                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 13             | भूमि का अर्जन (रेटेड क्षमता तक पहुँचने के लिए)               | 36/42 (वन भूमि की दशा में)                                              | 13.12.2020                     | 5 प्रतिशत                                                                                             |
| 14             | एस्करो अकाउंट का खोलना                                       | 37/43 (वन भूमि की दशा में)                                              | 13.01.2021                     | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 15             | खाता खोलने की अनुमति के लिए आवेदन                            | 37/43 (वन भूमि की दशा में)                                              | 13.01.2021                     | 2 प्रतिशत                                                                                             |
| 16             | खाता खोलने की अनुमति की स्वीकृति                             | 38/44 (वन भूमि की दशा में)                                              | 13.02.2021                     | 2 प्रतिशत                                                                                             |
| 17             | उत्पादन/रेटेड क्षमता तक पहुँचने की अनुसूची                   | अनुमोदित खनन योजना के अनुसार                                            |                                | 8 प्रतिशत                                                                                             |
| 18             | ईयूपी सिन्क्रोनाइजेशन                                        | अनुमोदित खनन योजना के अनुसार                                            |                                | 5 प्रतिशत                                                                                             |

(अ) निष्पादन प्रतिभूति के विनियोग के लिए प्रतिशत की गणना दक्षता मापदण्डों की प्राप्ति के लिए उल्लिखित समय-सीमा के अनुपालन में विफलता/विलम्ब के अनुपात में की जाएगी, जो विस्तृत रूप से उपर्युक्त भागों पर आधारित होगी।

(ब) ऊपरवर्णित दक्षता मापदण्डों का अनुपालन न किये जाने की दशा में, प्रकरण-वार जाँच के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवंटनी को दक्षता मापदण्डों में सुधार करना होगा।

**परिशिष्ट-2.8**  
(प्रस्तर 2.4 में संदर्भित)  
**टैरिफ के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग से राजस्व की कम बिलिंग को दर्शाने वाला विवरण**

| बिल का माह | खण्ड द्वारा टीओडी वार प्रभारित इनर्जी चार्जस (₹ प्रति यूनिट में) |         |         |         |                |                | खण्ड द्वारा प्रभारित कुल इनर्जी चार्जस |                | खण्ड द्वारा प्रभारित किये जाने वाले टीओडी वार इनर्जी चार्जस (₹ प्रति यूनिट में) |                   |          |         | खण्ड द्वारा प्रभारित किये जाने वाले कुल इनर्जी चार्जस | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | टीओडी 1                                                          | टीओडी 2 | टीओडी 3 | टीओडी 4 | टीओडी 1 @ 5.18 | टीओडी 2 @ 6.10 | टीओडी 3 @ 7.02                         | टीओडी 4 @ 6.10 | ट                                                                               | ठ = छ + ज + झ + ट | ड        | त       | थ                                                     |                            |
| क          | ख                                                                | ग       | घ       | च       | छ              | ज              | झ                                      | ट              | ठ = छ + ज + झ + ट                                                               | ड                 | त        | थ       | द = ड + ठ + त + थ                                     | ध = द - ठ                  |
| अक्टूबर-19 | 30040                                                            | 65074   | 39235   | 54051   | 155605         | 396951         | 275433                                 | 329711         | 1157700                                                                         | 163415            | 416473   | 288773  | 345926                                                | 56888                      |
| नवम्बर-19  | 388800                                                           | 870000  | 507600  | 694800  | 2013984        | 5307000        | 3563352                                | 4238280        | 15122616                                                                        | 2488320           | 5568000  | 3735936 | 3779712                                               | 449352                     |
| दिसम्बर-19 | 610800                                                           | 1420800 | 852000  | 1135200 | 3163944        | 8666880        | 5981040                                | 6924720        | 24736584                                                                        | 3909120           | 9093120  | 6270720 | 6175488                                               | 711864                     |
| जनवरी-20   | 568800                                                           | 1303200 | 780000  | 1056000 | 2946384        | 7949520        | 5475600                                | 6441600        | 22813104                                                                        | 3640320           | 8340480  | 5740800 | 5744640                                               | 653136                     |
| फरवरी-20   | 567600                                                           | 1317600 | 788400  | 1078800 | 2940168        | 8037360        | 5534568                                | 6580680        | 23092776                                                                        | 3632640           | 8432640  | 5802624 | 5868672                                               | 643800                     |
| मार्च-20   | 901200                                                           | 1929600 | 1228800 | 1593600 | 4668216        | 11770560       | 8626176                                | 9720960        | 34785912                                                                        | 5767680           | 12349440 | 9043968 | 8669184                                               | 1044360                    |
| अप्रैल-20  | 1076400                                                          | 2182800 | 1333200 | 1831200 | 5575752        | 13315080       | 9359064                                | 11170320       | 39420216                                                                        | 6888960           | 13969920 | 9812352 | 9961728                                               | 1212744                    |
| मई -20     | 54000                                                            | 114000  | 70800   | 109200  | 279720         | 695400         | 497016                                 | 666120         | 2138256                                                                         | 293760            | 729600   | 521088  | 698880                                                | 105072                     |
| जून-20     | 4800                                                             | 10800   | 7200    | 9600    | 24864          | 65880          | 50544                                  | 58560          | 199848                                                                          | 26112             | 69120    | 52992   | 61440                                                 | 9816                       |
| जुलाई -20  | 80400                                                            | 222000  | 104400  | 142800  | 416472         | 1354200        | 732888                                 | 871080         | 3374640                                                                         | 437376            | 1420800  | 768384  | 913920                                                | 165840                     |
| अगस्त-20   | 6000                                                             | 10800   | 7200    | 9600    | 31080          | 65880          | 50544                                  | 58560          | 206064                                                                          | 32640             | 69120    | 52992   | 61440                                                 | 10128                      |
| सितम्बर-20 | 6000                                                             | 30000   | 6000    | 9600    | 31080          | 183000         | 42120                                  | 58560          | 314760                                                                          | 32640             | 192000   | 44160   | 61440                                                 | 15480                      |
| अक्टूबर-20 | 3600                                                             | 9600    | 8400    | 38400   | 18648          | 58560          | 58968                                  | 234240         | 370416                                                                          | 19584             | 61440    | 61824   | 245760                                                | 18192                      |
| नवम्बर-20  | 664800                                                           | 1597200 | 901200  | 1209600 | 3443664        | 9742920        | 6326424                                | 7378560        | 26891568                                                                        | 4254720           | 10222080 | 6632832 | 6580224                                               | 798288                     |
| दिसम्बर-20 | 637200                                                           | 1448400 | 871200  | 1182000 | 3300696        | 8835240        | 6115824                                | 7210200        | 25461960                                                                        | 4078080           | 9269760  | 6412032 | 6430080                                               | 727992                     |
| जनवरी-21   | 619200                                                           | 1465200 | 859200  | 1147200 | 3207456        | 8937720        | 6031584                                | 6997920        | 25174680                                                                        | 3962880           | 9377280  | 6323712 | 6240768                                               | 729960                     |
| फरवरी-21   | 415200                                                           | 962400  | 568800  | 759600  | 2150736        | 5870640        | 3992976                                | 4633560        | 16647912                                                                        | 2657280           | 6159360  | 4186368 | 4132224                                               | 487320                     |
| मार्च-21   | 332400                                                           | 842400  | 501600  | 620400  | 1721832        | 5138640        | 3521232                                | 3784440        | 14166144                                                                        | 2127360           | 5391360  | 3691776 | 3374976                                               | 419328                     |



| बिल का माह                                 | टाइम ऑफ डे (टीओडी) वार उपभोग यूनिट केवीएच में |         |         |         |  | खण्ड द्वारा टीओडी वार प्रभारित इनर्जी चार्जस (₹ प्रति यूनिट में) |                |                |                | खण्ड द्वारा प्रभारित कुल इनर्जी चार्जस | खण्ड द्वारा प्रभारित किये जाने वाले टीओडी वार इनर्जी चार्जस (₹ प्रति यूनिट में) |                |                |                     | खण्ड द्वारा प्रभारित किये जाने वाले कुल इनर्जी चार्जस | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | टीओडी 1                                       | टीओडी 2 | टीओडी 3 | टीओडी 4 |  | टीओडी 1 @ 5.18                                                   | टीओडी 2 @ 6.10 | टीओडी 3 @ 7.02 | टीओडी 4 @ 6.10 |                                        | टीओडी 1 @ 6.40                                                                  | टीओडी 2 @ 6.40 | टीओडी 3 @ 7.36 | टीओडी 4 @ 6.40/5.44 |                                                       |                            |
| क                                          | ख                                             | ग       | घ       | च       |  | छ                                                                | ज              | झ              | ट              | ठ = छ + ज + झ + ट                      | ड                                                                               | ढ              | त              | थ                   | द = ड + ढ + त + थ                                     | ध = द - ठ                  |
| अप्रैल-21                                  | 632400                                        | 1530000 | 862800  | 1146000 |  | 3275832                                                          | 9333000        | 6056856        | 6990600        | 25656288                               | 4047360                                                                         | 9792000        | 6350208        | 6234240             | 26423808                                              | 767520                     |
| मई-21                                      | 44400                                         | 90000   | 33600   | 74400   |  | 229992                                                           | 549000         | 235872         | 453840         | 1468704                                | 241536                                                                          | 576000         | 247296         | 476160              | 1540992                                               | 72288                      |
| जून-21                                     | 7200                                          | 9600    | 7200    | 9600    |  | 37296                                                            | 58560          | 50544          | 58560          | 204960                                 | 39168                                                                           | 61440          | 52992          | 61440               | 215040                                                | 10080                      |
| जुलाई-21                                   | 19200                                         | 67200   | 20400   | 8400    |  | 99456                                                            | 409920         | 143208         | 51240          | 703824                                 | 104448                                                                          | 430080         | 150144         | 53760               | 738432                                                | 34608                      |
| अगस्त -21                                  | 4800                                          | 9600    | 6000    | 9600    |  | 24864                                                            | 58560          | 42120          | 58560          | 184104                                 | 26112                                                                           | 61440          | 44160          | 61440               | 193152                                                | 9048                       |
| सितम्बर-21                                 | 1113600                                       | 2467200 | 1438800 | 1962000 |  | 5768448                                                          | 15049920       | 10100376       | 11968200       | 42886944                               | 6057984                                                                         | 15790080       | 10589568       | 12556800            | 44994432                                              | 2107488                    |
| अक्टूबर-21                                 | 16800                                         | 13200   | 4800    | 6000    |  | 87024                                                            | 80520          | 33696          | 36600          | 237840                                 | 91392                                                                           | 84480          | 35328          | 38400               | 249600                                                | 11760                      |
| नवम्बर-21                                  | 146400                                        | 379200  | 231600  | 283200  |  | 758352                                                           | 2313120        | 1625832        | 1727520        | 6424824                                | 1191680                                                                         | 2624000        | 2156480        | 1702720             | 7674880                                               | 1250056                    |
| दिसम्बर-21                                 | 2262000                                       | 4831200 | 3045600 | 4150800 |  | 11717160                                                         | 29470320       | 21380112       | 25319880       | 87887472                               | 14476800                                                                        | 30919680       | 22415616       | 22580352            | 90392448                                              | 2504976                    |
| योग                                        |                                               |         |         |         |  | 58088725                                                         | 153714351      | 105903969      | 124023071      | 441730116                              | 70689367                                                                        | 161471193      | 111485125      | 113111814           | 456757500                                             | 15027384                   |
| जोड़ा : 7.5 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क |                                               |         |         |         |  |                                                                  |                |                |                |                                        |                                                                                 |                |                |                     |                                                       |                            |
| खण्ड द्वारा कुल कम प्रभारित राजस्व         |                                               |         |         |         |  |                                                                  |                |                |                |                                        |                                                                                 |                |                |                     |                                                       |                            |
|                                            |                                               |         |         |         |  |                                                                  |                |                |                |                                        |                                                                                 |                |                |                     |                                                       | 1127054                    |
|                                            |                                               |         |         |         |  |                                                                  |                |                |                |                                        |                                                                                 |                |                |                     |                                                       | 16154438                   |



## परिशिष्ट-2.9

(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)

एचवी-1 श्रेणी के बजाय एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ता की बिलिंग करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण

(1) रामेश्वर सरन, कोठीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद, भार 400 केवीए (आपूर्ति वोल्टेज-11 केवी)

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार खण्ड द्वारा प्रभारित बिल |                |               |                          |               |         | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                                       |                            |         | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                          | इनर्जी चार्जोस | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जोस | विद्युत शुल्क | कुल     | इनर्जी चार्जोस <sup>3</sup>                                 | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जोस <sup>4</sup> | विद्युत शुल्क <sup>5</sup> | कुल     |                            |
| 1            | 2                                         | 3              | 4             | 5                        | 6             | 7       | 8                                                           | 9                                     | 10                         | 11      | 12                         |
| जनवरी 2018   | 244284                                    | 1642578        | 600           | 150000                   | 134443        | 1927021 | 2014468                                                     | 240000                                | 169085                     | 2423553 | 496532                     |
| फरवरी 2018   | 88448                                     | 593349         | 300           | 75000                    | 50126         | 718475  | 728821                                                      | 120000                                | 63662                      | 912483  | 194008                     |
| मार्च 2018   | 1108628                                   | 728626         | 300           | 75000                    | 60272         | 863898  | 895306                                                      | 120000                                | 76148                      | 1091454 | 227556                     |
| अप्रैल 2018  | 179200                                    | 531271         | 300           | 75000                    | 45470         | 651741  | 652525                                                      | 120000                                | 57939                      | 830464  | 178723                     |
| मई 2018      | 1101308                                   | 678832         | 300           | 75000                    | 56537         | 810369  | 834916                                                      | 120000                                | 71619                      | 1026535 | 216166                     |
| जून 2018     | 95436                                     | 639578         | 300           | 75000                    | 53593         | 768171  | 786472                                                      | 120000                                | 67985                      | 974457  | 206286                     |
| जुलाई 2018   | 95896                                     | 641629         | 300           | 75000                    | 53747         | 770376  | 790267                                                      | 120000                                | 68270                      | 978537  | 208161                     |
| अगस्त 2018   | 102988                                    | 689834         | 300           | 75000                    | 57363         | 822197  | 848776                                                      | 120000                                | 72658                      | 1041434 | 219237                     |
| सितम्बर 2018 | 85512                                     | 574357         | 364.8         | 91200                    | 49917         | 715474  | 704599                                                      | 145920                                | 63789                      | 914308  | 198834                     |
| अक्टूबर 2018 | 70310                                     | 470516         | 300           | 75000                    | 40914         | 586430  | 579183                                                      | 120000                                | 52439                      | 751622  | 165192                     |
| नवम्बर 2018  | 133385                                    | 859357         | 392.5         | 98125                    | 71811         | 1029293 | 1099551                                                     | 157000                                | 94241                      | 1350792 | 321499                     |
| दिसम्बर 2018 | 104713                                    | 726403         | 300           | 75000                    | 60105         | 861508  | 863007                                                      | 120000                                | 73726                      | 1056733 | 195225                     |
| जनवरी 2019   | 94023                                     | 586309         | 300           | 75000                    | 49598         | 710907  | 774815                                                      | 120000                                | 67111                      | 961926  | 251019                     |
| मार्च 2019   | 244257                                    | 1611569        | 600           | 150000                   | 132118        | 1893687 | 2014245                                                     | 240000                                | 169068                     | 2423313 | 529626                     |
| अप्रैल 2019  | 67503                                     | 452389         | 300           | 75000                    | 39554         | 566943  | 556025                                                      | 120000                                | 50702                      | 726727  | 159784                     |
| मई 2019      | 106979                                    | 717643         | 379.5         | 94875                    | 60939         | 873457  | 881702                                                      | 151800                                | 77513                      | 1111015 | 237558                     |
| जून 2019     | 151267                                    | 1014330        | 427           | 106750                   | 84081         | 1205161 | 1247078                                                     | 170800                                | 106341                     | 1524219 | 319058                     |
| जुलाई 2019   | 173380                                    | 1162849        | 442           | 110500                   | 95501         | 1368850 | 1429510                                                     | 176800                                | 120473                     | 1726783 | 357933                     |
| अगस्त 2019   | 232485                                    | 1557338        | 454.5         | 113625                   | 125322        | 1796285 | 1917126                                                     | 181800                                | 157419                     | 2256345 | 460060                     |
| सितम्बर 2019 | 109523                                    | 735862         | 416           | 104000                   | 62990         | 902852  | 949760                                                      | 178880                                | 84648                      | 1213288 | 310436                     |
| अक्टूबर 2019 | 124082                                    | 819509         | 446.5         | 111625                   | 71579         | 1002713 | 1076132                                                     | 159996                                | 92710                      | 1328838 | 326125                     |

<sup>3</sup> 11 सितम्बर 2019 तक पहले 2,500 केवीएएच के लिए ₹ 7.90 / केवीएएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.25 / केवीएएच की दर से इनर्जी चार्जस तथा उसके पश्चात् पहले 2,500 केवीएएच के लिए ₹ 8.32 / केवीएएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.68 / केवीएएच की दर से इनर्जी चार्जस।

<sup>4</sup> 11 सितम्बर 2019 तक ₹ 400 / केवीए / माह तथा उसके पश्चात् ₹ 430 / केवीए / माह की दर से डिमाण्ड चार्जस।

<sup>5</sup> विद्युत शुल्क = (इनर्जी चार्जस + फिक्स्ड / डिमाण्ड चार्जस) x 7.5 प्रतिशत।

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार खण्ड द्वारा प्रभारित बिल |                  |                 |                            |                 |          | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                            |                  |          | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट 2                        | इनर्जी चार्जोस 3 | डिमाण्ड यूनिट 4 | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जोस 5 | विद्युत शुल्क 6 | कुल 7    | इनर्जी चार्जोस 8                                            | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जोस 9 | विद्युत शुल्क 10 | कुल 11   |                            |
| 1            |                                           |                  |                 |                            |                 |          |                                                             |                            |                  |          | 12                         |
| नवम्बर 2019  | 98922                                     | 704302           | 300             | 90000                      | 59573           | 853875   | 857743                                                      | 129000                     | 74006            | 1060749  | 206874                     |
| दिसम्बर 2019 | 87285                                     | 623681           | 300             | 90000                      | 53526           | 767207   | 756734                                                      | 129000                     | 66430            | 952164   | 184957                     |
| जनवरी 2020   | 115553                                    | 827810           | 300             | 90000                      | 68836           | 986646   | 1002100                                                     | 129000                     | 84833            | 1215933  | 229287                     |
| फरवरी 2020   | 126948                                    | 907457           | 300             | 90000                      | 74809           | 1072266  | 1101009                                                     | 129000                     | 92251            | 1322260  | 249994                     |
| मार्च 2020   | 117275                                    | 837175           | 300             | 90000                      | 69538           | 996713   | 1017047                                                     | 129000                     | 85954            | 1232001  | 235288                     |
| अप्रैल 2020  | 76520                                     | 542997           | 300             | 90000                      | 47475           | 680472   | 663294                                                      | 129000                     | 59422            | 851716   | 171244                     |
| मई 2020      | 23818                                     | 169372           | 300             | 90000                      | 19453           | 278825   | 205840                                                      | 129000                     | 25113            | 359953   | 81128                      |
| जून 2020     | 73895                                     | 525519           | 300             | 90000                      | 46164           | 661683   | 640509                                                      | 129000                     | 57713            | 827222   | 165539                     |
| जुलाई 2020   | 104570                                    | 746659           | 300             | 90000                      | 62749           | 899408   | 906768                                                      | 129000                     | 77683            | 1113451  | 214043                     |
| अगस्त 2020   | 91368                                     | 649072           | 308.5           | 92550                      | 55622           | 797244   | 792174                                                      | 132655                     | 69362            | 994191   | 196947                     |
| सितम्बर 2020 | 124080                                    | 881052           | 300             | 90000                      | 72829           | 1043881  | 1076114                                                     | 129000                     | 90384            | 1295498  | 251617                     |
| अक्टूबर 2020 | 114220                                    | 815632           | 331.3           | 99390                      | 68627           | 983649   | 990530                                                      | 142459                     | 84974            | 1217963  | 234314                     |
| नवम्बर 2020  | 104958                                    | 748805           | 300             | 90000                      | 62910           | 901715   | 910135                                                      | 129000                     | 77935            | 1117070  | 215355                     |
| दिसम्बर 2020 | 78763                                     | 562698           | 300             | 90000                      | 48952           | 701650   | 682763                                                      | 129000                     | 60882            | 872645   | 170995                     |
| जनवरी 2021   | 138458                                    | 986269           | 300             | 90000                      | 80720           | 1156989  | 1200915                                                     | 129000                     | 99744            | 1429659  | 272670                     |
| फरवरी 2021   | 122685                                    | 875521           | 300             | 90000                      | 72414           | 1037935  | 1064006                                                     | 129000                     | 89475            | 1282481  | 244546                     |
| मार्च 2021   | 118768                                    | 847046           | 300             | 90000                      | 70278           | 1007324  | 1030006                                                     | 129000                     | 86925            | 1245931  | 238607                     |
| अप्रैल 2021  | 92060                                     | 653510           | 300             | 90000                      | 55763           | 799273   | 798181                                                      | 129000                     | 69539            | 996720   | 197447                     |
| मई 2021      | 82038                                     | 582287           | 300             | 90000                      | 50422           | 722709   | 711190                                                      | 129000                     | 63014            | 903204   | 180495                     |
| जून 2021     | 85783                                     | 609403           | 300             | 90000                      | 52455           | 751858   | 743696                                                      | 129000                     | 65452            | 938148   | 186290                     |
| जुलाई 2021   | 126543                                    | 895143           | 376.8           | 113040                     | 75614           | 1083797  | 1097493                                                     | 162024                     | 94464            | 1353981  | 270184                     |
| अगस्त 2021   | 152095                                    | 1077749          | 465.4           | 139620                     | 94246           | 1311615  | 1319285                                                     | 200122                     | 113955           | 1633362  | 321747                     |
| सितम्बर 2021 | 194985                                    | 1377802          | 455.4           | 136620                     | 116075          | 1630497  | 1691570                                                     | 195822                     | 141554           | 2028946  | 398449                     |
| अक्टूबर 2021 | 147583                                    | 1049905          | 424.7           | 127410                     | 89410           | 1266725  | 1280120                                                     | 182621                     | 109706           | 1572447  | 305722                     |
| नवम्बर 2021  | 96345                                     | 688381           | 386.2           | 115860                     | 60318           | 864559   | 835375                                                      | 166066                     | 75108            | 1076549  | 211990                     |
| दिसम्बर 2021 | 80598                                     | 575910           | 300             | 90000                      | 49943           | 715853   | 698691                                                      | 129000                     | 62077            | 889768   | 173915                     |
| जनवरी 2022   | 129793                                    | 926295           | 300             | 90000                      | 76222           | 1092517  | 1125703                                                     | 129000                     | 94103            | 1348806  | 256289                     |
| फरवरी 2022   | 125498                                    | 894693           | 300             | 90000                      | 73852           | 1058545  | 1088423                                                     | 129000                     | 91307            | 1308730  | 250185                     |
| मार्च 2022   | 94955                                     | 676978           | 300             | 90000                      | 57523           | 824501   | 823309                                                      | 129000                     | 71423            | 1023732  | 199231                     |
| अप्रैल 2022  | 105533                                    | 746264           | 300             | 90000                      | 62720           | 898984   | 915126                                                      | 129000                     | 78309            | 1122435  | 223451                     |
|              |                                           | योग              |                 |                            |                 | 48694723 |                                                             |                            |                  | 61212541 | 12517818                   |

## (2) टी.सी. पंत, परियोजना निदेशक, मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड, हरसेनपुर गाँव, भार 160 केवीए (आपूर्ति वोल्टेज-11 केवी)

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |                |               |                 |                          |               | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                             |                                       |                            | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्ज्स | डिमाण्ड यूनिट | डिमाण्ड चार्ज्स | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्ज्स | विद्युत शुल्क | कुल                                                         | इनर्जी चार्ज्स <sup>6</sup> | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्ज्स <sup>7</sup> | विद्युत शुल्क <sup>8</sup> |                            |
| 1            | 2                                          | 3              | 4             | 5               | 6                        | 7             | 8                                                           | 9                           | 10                                    | 11                         | 12                         |
| जनवरी 2018   | 17320                                      | 113702         | 120           | 30000           | 15278                    | 158980        | 142015                                                      | 48000                       | 14251                                 | 204266                     | 45286                      |
| फरवरी 2018   | 15214                                      | 100797         | 120           | 30000           | 9810                     | 140607        | 124641                                                      | 48000                       | 12948                                 | 185589                     | 44982                      |
| मार्च 2018   | 12770                                      | 83757          | 120           | 30000           | 8532                     | 122289        | 104478                                                      | 48000                       | 11436                                 | 163914                     | 41625                      |
| अप्रैल 2018  | 15762                                      | 103135         | 120           | 30000           | 9985                     | 143120        | 129162                                                      | 48000                       | 13287                                 | 190449                     | 47329                      |
| मई 2018      | 12882                                      | 83105          | 120           | 30000           | 8483                     | 121588        | 105402                                                      | 48000                       | 11505                                 | 164907                     | 43319                      |
| जून 2018     | 12194                                      | 79225          | 120           | 30000           | 8192                     | 117417        | 99726                                                       | 48000                       | 11079                                 | 158805                     | 41388                      |
| जुलाई 2018   | 7130                                       | 46596          | 120           | 30000           | 5745                     | 82341         | 57948                                                       | 48000                       | 7946                                  | 113894                     | 31553                      |
| अगस्त 2018   | 14180                                      | 92294          | 120           | 30000           | 9172                     | 131466        | 116110                                                      | 48000                       | 12308                                 | 176418                     | 44952                      |
| सितम्बर 2018 | 17120                                      | 112110         | 120           | 30000           | 10658                    | 152768        | 140365                                                      | 48000                       | 14127                                 | 202492                     | 49724                      |
| अक्टूबर 2018 | 11142                                      | 73367          | 120           | 30000           | 7753                     | 111120        | 91047                                                       | 48000                       | 10428                                 | 149475                     | 38355                      |
| नवम्बर 2018  | 15626                                      | 102491         | 120           | 30000           | 9937                     | 142428        | 128040                                                      | 48000                       | 13203                                 | 189243                     | 46815                      |
| दिसम्बर 2018 | 22826                                      | 152032         | 120           | 30000           | 13652                    | 195684        | 187440                                                      | 48000                       | 17658                                 | 253098                     | 57414                      |
| जनवरी 2019   | 16856                                      | 112082         | 120           | 30000           | 10656                    | 152738        | 138187                                                      | 48000                       | 13964                                 | 200151                     | 47413                      |
| फरवरी 2019   | 18786                                      | 118935         | 120           | 30000           | 11170                    | 160105        | 154110                                                      | 48000                       | 15158                                 | 217268                     | 57163                      |
| मार्च 2019   | 13040                                      | 82484          | 120           | 30000           | 8436                     | 120920        | 106705                                                      | 48000                       | 11603                                 | 166308                     | 45388                      |
| अप्रैल 2019  | 16368                                      | 110861         | 120           | 30000           | 10565                    | 151426        | 134161                                                      | 48000                       | 13662                                 | 195823                     | 44397                      |
| मई 2019      | 24080                                      | 162088         | 120           | 30000           | 14407                    | 206495        | 197785                                                      | 48000                       | 18434                                 | 264219                     | 57724                      |
| जून 2019     | 32050                                      | 218509         | 120           | 30000           | 18638                    | 267147        | 263538                                                      | 48000                       | 23365                                 | 334903                     | 67756                      |
| जुलाई 2019   | 7156                                       | 48253          | 120           | 30000           | 5869                     | 84122         | 58162                                                       | 48000                       | 7962                                  | 114124                     | 30002                      |
| अगस्त 2019   | 23856                                      | 162342         | 120           | 30000           | 14426                    | 206768        | 195937                                                      | 48000                       | 18295                                 | 262232                     | 55464                      |
| सितम्बर 2019 | 17238                                      | 115673         | 120           | 30000           | 10925                    | 156598        | 148726                                                      | 51600                       | 15024                                 | 215350                     | 58752                      |
| अक्टूबर 2019 | 22760                                      | 146768         | 120           | 30000           | 13258                    | 190026        | 196657                                                      | 51600                       | 18619                                 | 266876                     | 76850                      |
| नवम्बर 2019  | 23286                                      | 160316         | 120           | 36000           | 14724                    | 211040        | 201222                                                      | 51600                       | 18962                                 | 271784                     | 60744                      |
| दिसम्बर 2019 | 18764                                      | 129189         | 120           | 36000           | 12389                    | 177578        | 161972                                                      | 51600                       | 16018                                 | 229590                     | 52012                      |

<sup>6</sup> 11 सितम्बर 2019 तक पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 7.90 / केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.25 / केवीएच की दर से इनर्जी चार्ज्स तथा उसके पश्चात् पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 8.32 / केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.68 / केवीएच की दर से इनर्जी चार्ज्स।

<sup>7</sup> 11 सितम्बर 2019 तक ₹ 400 / केवीए / माह तथा उसके पश्चात् ₹ 430 / केवीए / माह की दर से डिमाण्ड चार्ज्स।

<sup>8</sup> विद्युत शुल्क = (इनर्जी चार्ज्स + फिक्स्ड / डिमाण्ड चार्ज्स) x 7.5 प्रतिशत।

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |                 |               |                           |               | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                              |                                        |                            |          | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्जेंस | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जेंस | विद्युत शुल्क | कुल                                                         | इनर्जी चार्जेंस <sup>6</sup> | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जेंस <sup>7</sup> | विद्युत शुल्क <sup>8</sup> | कुल      |                            |
| 1            | 2                                          | 3               | 4             | 5                         | 6             | 7                                                           | 8                            | 9                                      | 10                         | 11       | 12                         |
| जनवरी 2020   | 20622                                      | 141451          | 120           | 36000                     | 13309         | 190760                                                      | 178099                       | 51600                                  | 17227                      | 246926   | 56166                      |
| फरवरी 2020   | 22822                                      | 155646          | 120           | 36000                     | 14373         | 206019                                                      | 197195                       | 51600                                  | 18660                      | 267455   | 61436                      |
| मार्च 2020   | 22014                                      | 151659          | 120           | 36000                     | 14074         | 201733                                                      | 190182                       | 51600                                  | 18134                      | 259916   | 58183                      |
| अप्रैल 2020  | 34008                                      | 246156          | 120           | 36000                     | 21162         | 303318                                                      | 294289                       | 51600                                  | 25942                      | 371831   | 68513                      |
| मई 2020      | 10792                                      | 77867           | 120           | 36000                     | 8540          | 122407                                                      | 92775                        | 51600                                  | 10828                      | 155203   | 32796                      |
| जून 2020     | 23582                                      | 169900          | 120           | 36000                     | 15443         | 221343                                                      | 203792                       | 51600                                  | 19154                      | 274546   | 53203                      |
| जुलाई 2020   | 30468                                      | 219167          | 120           | 36000                     | 19138         | 274305                                                      | 263562                       | 51600                                  | 23637                      | 338799   | 64494                      |
| अगस्त 2020   | 25562                                      | 183846          | 120           | 36000                     | 16488         | 236334                                                      | 220978                       | 51600                                  | 20443                      | 293021   | 56687                      |
| सितम्बर 2020 | 23304                                      | 167832          | 120           | 36000                     | 15287         | 219119                                                      | 201379                       | 51600                                  | 18973                      | 271952   | 52833                      |
| अक्टूबर 2020 | 39164                                      | 272192          | 120           | 36000                     | 23114         | 331306                                                      | 339044                       | 51600                                  | 29298                      | 419942   | 88636                      |
| नवम्बर 2020  | 21866                                      | 151740          | 120           | 36000                     | 14081         | 201821                                                      | 188897                       | 51600                                  | 18037                      | 258534   | 56713                      |
| दिसम्बर 2020 | 27466                                      | 190354          | 120           | 36000                     | 16977         | 243331                                                      | 237505                       | 51600                                  | 21683                      | 310788   | 67457                      |
| जनवरी 2021   | 29702                                      | 206022          | 120           | 36000                     | 18152         | 260174                                                      | 256913                       | 51600                                  | 23139                      | 331652   | 71478                      |
| फरवरी 2021   | 31110                                      | 215655          | 120           | 36000                     | 18874         | 270529                                                      | 269135                       | 51600                                  | 24055                      | 344790   | 74261                      |
| मार्च 2021   | 28060                                      | 193999          | 120           | 36000                     | 17250         | 247249                                                      | 242661                       | 51600                                  | 22070                      | 316331   | 69082                      |
| अप्रैल 2021  | 24132                                      | 172929          | 120           | 36000                     | 15670         | 224599                                                      | 208566                       | 51600                                  | 19512                      | 279678   | 55079                      |
| मई 2021      | 29718                                      | 213956          | 120           | 36000                     | 18747         | 268703                                                      | 257052                       | 51600                                  | 23149                      | 331801   | 63098                      |
| जून 2021     | 18410                                      | 132590          | 120           | 36000                     | 12644         | 181234                                                      | 158899                       | 51600                                  | 15787                      | 226286   | 45052                      |
| जुलाई 2021   | 29674                                      | 213146          | 120           | 36000                     | 18686         | 267832                                                      | 256670                       | 51600                                  | 23120                      | 331390   | 63558                      |
| अगस्त 2021   | 19932                                      | 142877          | 120           | 36000                     | 13416         | 192293                                                      | 172110                       | 51600                                  | 16778                      | 240488   | 48195                      |
| सितम्बर 2021 | 23826                                      | 171361          | 120           | 36000                     | 15552         | 222913                                                      | 205910                       | 51600                                  | 19313                      | 276823   | 53910                      |
| अक्टूबर 2021 | 20050                                      | 138449          | 120           | 36000                     | 13084         | 187533                                                      | 173134                       | 51600                                  | 16855                      | 241589   | 54056                      |
| नवम्बर 2021  | 22852                                      | 158021          | 120           | 36000                     | 14552         | 208573                                                      | 197455                       | 51600                                  | 18679                      | 267734   | 59161                      |
| दिसम्बर 2021 | 24302                                      | 168479          | 120           | 36000                     | 15336         | 219815                                                      | 210041                       | 51600                                  | 19623                      | 281264   | 61449                      |
| जनवरी 2022   | 28364                                      | 195585          | 120           | 36000                     | 17369         | 248954                                                      | 245300                       | 51600                                  | 22267                      | 319167   | 70213                      |
| फरवरी 2022   | 27178                                      | 187639          | 120           | 36000                     | 16773         | 240412                                                      | 235005                       | 51600                                  | 21495                      | 308100   | 67688                      |
| मार्च 2022   | 18524                                      | 127002          | 120           | 36000                     | 12225         | 175227                                                      | 159888                       | 51600                                  | 15862                      | 227350   | 52123                      |
| अप्रैल 2022  | 18210                                      | 131265          | 120           | 36000                     | 12545         | 179810                                                      | 157163                       | 51600                                  | 15657                      | 224420   | 44610                      |
|              |                                            | योग             |               |                           |               | 10052417                                                    |                              |                                        |                            | 12908954 | 2856537                    |

## (3) कोठीवाल इस्टीमेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुरादाबाद, भार 100 केवीए (आपूर्ति वोल्टेज-11 केवी)

| बिल माह      | बिल की गयी यूनिट | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |               |                        |               |        | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                                      |                             |        | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|              |                  | इनर्जी चार्जस                              | डिमाण्ड यूनिट | डिमाण्ड/डिमाण्ड चार्जस | विद्युत शुल्क | कुल    | इनर्जी चार्जस <sup>9</sup>                                  | फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जस <sup>10</sup> | विद्युत शुल्क <sup>11</sup> | कुल    |                            |
| 1            | 2                | 3                                          | 4             | 5                      | 6             | 7      | 8                                                           | 9                                    | 10                          | 11     | 12                         |
| जनवरी 2018   | 29574            | 195411                                     | 150           | 37500                  | 17468         | 250379 | 243111                                                      | 54000                                | 22283                       | 319394 | 69015                      |
| फरवरी 2018   | 9726             | 63384                                      | 75            | 18750                  | 6160          | 88294  | 79365                                                       | 27000                                | 7977                        | 114342 | 26048                      |
| मार्च 2018   | 13588            | 89669                                      | 75            | 18750                  | 8131          | 116550 | 111226                                                      | 27000                                | 10367                       | 148593 | 32043                      |
| अप्रैल 2018  | 7120             | 47286                                      | 75            | 18750                  | 4953          | 70989  | 57865                                                       | 27000                                | 6365                        | 91230  | 20241                      |
| मई 2018      | 9754             | 65384                                      | 75            | 18750                  | 6310          | 90444  | 79596                                                       | 27000                                | 7995                        | 114591 | 24147                      |
| जून 2018     | 9128             | 61084                                      | 110.8         | 27700                  | 6659          | 95443  | 74431                                                       | 39888                                | 8574                        | 122893 | 27450                      |
| जुलाई 2018   | 5532             | 36954                                      | 75            | 18750                  | 4178          | 59882  | 44764                                                       | 27000                                | 5382                        | 77146  | 17264                      |
| अगस्त 2018   | 6830             | 45807                                      | 75            | 18750                  | 4842          | 69399  | 55473                                                       | 27000                                | 6185                        | 88658  | 19259                      |
| अक्टूबर 2018 | 14475            | 95353                                      | 150           | 37500                  | 9964          | 142817 | 118544                                                      | 54000                                | 12941                       | 185485 | 42668                      |
| नवम्बर 2018  | 8238             | 55933                                      | 75            | 18750                  | 5601          | 80284  | 67089                                                       | 27000                                | 7057                        | 101146 | 20862                      |
| दिसम्बर 2018 | 5633             | 37475                                      | 75            | 18750                  | 4217          | 60442  | 45597                                                       | 27000                                | 5445                        | 78042  | 17600                      |
| फरवरी 2019   | 16074            | 106157                                     | 150           | 37500                  | 10774         | 154431 | 131736                                                      | 54000                                | 13930                       | 199666 | 45235                      |
| मार्च 2019   | 3124             | 21630                                      | 75            | 18750                  | 3029          | 43409  | 24898                                                       | 27000                                | 3892                        | 55790  | 12381                      |
| अप्रैल 2019  | 3291             | 21393                                      | 75            | 18750                  | 3011          | 43154  | 26276                                                       | 27000                                | 3996                        | 57272  | 14118                      |
| मई 2019      | 4931             | 31906                                      | 75            | 18750                  | 3799          | 54455  | 39806                                                       | 27000                                | 5010                        | 71816  | 17361                      |
| जून 2019     | 9604             | 66223                                      | 75            | 18750                  | 6373          | 91346  | 78358                                                       | 27000                                | 7902                        | 113260 | 21914                      |
| जुलाई 2019   | 4382             | 29909                                      | 75            | 18750                  | 3649          | 52308  | 35277                                                       | 27000                                | 4671                        | 66948  | 14640                      |
| अगस्त 2019   | 3351             | 22895                                      | 75            | 18750                  | 3123          | 44768  | 26771                                                       | 27000                                | 4033                        | 57804  | 13036                      |
| सितम्बर 2019 | 7968             | 53608                                      | 75            | 18750                  | 5427          | 77785  | 68262                                                       | 32250                                | 7538                        | 108050 | 30265                      |
| अक्टूबर 2019 | 8990             | 58854                                      | 75            | 18750                  | 5820          | 83424  | 77133                                                       | 32250                                | 8204                        | 117587 | 34163                      |
| नवम्बर 2019  | 9656             | 63437                                      | 75            | 20813                  | 6319          | 90569  | 82914                                                       | 32250                                | 8637                        | 123801 | 33232                      |
| दिसम्बर 2019 | 13214            | 86819                                      | 75            | 20813                  | 8072          | 115704 | 113798                                                      | 32250                                | 10954                       | 157002 | 41298                      |
| जनवरी 2020   | 13144            | 86354                                      | 75            | 20813                  | 8038          | 115205 | 113190                                                      | 32250                                | 10908                       | 156348 | 41143                      |

<sup>9</sup> 11 सितम्बर 2019 तक पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 7.90/केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.25/केवीएच की दर से इनर्जी चार्जस तथा उसके पश्चात् पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 8.32/केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.68/केवीएच की दर से इनर्जी चार्जस।

<sup>10</sup> 11 सितम्बर 2019 तक ₹ 400/केवीए/माह तथा उसके पश्चात् ₹ 430/केवीए/माह की दर से डिमाण्ड चार्जस।

<sup>11</sup> विद्युत शुल्क = (इनर्जी चार्जस + फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जस) x 7.5 प्रतिशत।



| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |               |               |                         |               | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला बिल |                            |                                       |                             |         | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्जस | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस | विद्युत शुल्क | कुल                                                         | इनर्जी चार्जस <sup>9</sup> | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस <sup>10</sup> | विद्युत शुल्क <sup>11</sup> | कुल     |                            |
| 1            | 2                                          | 3             | 4             | 5                       | 6             | 7                                                           | 8                          | 9                                     | 10                          | 11      | 12                         |
| फरवरी 2020   | 16591                                      | 109006        | 75            | 20813                   | 9736          | 139555                                                      | 143110                     | 32250                                 | 13152                       | 188512  | 48957                      |
| मार्च 2020   | 13170                                      | 86530         | 75            | 20813                   | 8051          | 115394                                                      | 113416                     | 32250                                 | 10925                       | 156591  | 41197                      |
| अप्रैल 2020  | 14701                                      | 96587         | 75            | 20813                   | 8805          | 126205                                                      | 126705                     | 32250                                 | 11922                       | 170877  | 44672                      |
| मई 2020      | 3530                                       | 23190         | 75            | 20813                   | 3300          | 47303                                                       | 29740                      | 32250                                 | 4649                        | 66639   | 19336                      |
| जून 2020     | 8704                                       | 57182         | 75            | 20813                   | 5850          | 83845                                                       | 74651                      | 32250                                 | 8018                        | 114919  | 31074                      |
| जुलाई 2020   | 10110                                      | 66421         | 75            | 20813                   | 6543          | 93777                                                       | 86855                      | 32250                                 | 8933                        | 128038  | 34261                      |
| अगस्त 2020   | 4393                                       | 28860         | 75            | 20813                   | 3725          | 53398                                                       | 37231                      | 32250                                 | 5211                        | 74692   | 21294                      |
| सितम्बर 2020 | 5340                                       | 35082         | 75            | 20813                   | 4192          | 60087                                                       | 45451                      | 32250                                 | 5828                        | 83529   | 23442                      |
| अक्टूबर 2020 | 10802                                      | 70969         | 75            | 20813                   | 6884          | 98666                                                       | 92861                      | 32250                                 | 9383                        | 134494  | 35828                      |
| नवम्बर 2020  | 8649                                       | 56826         | 75            | 20813                   | 5823          | 83462                                                       | 74173                      | 32250                                 | 7982                        | 114405  | 30943                      |
| दिसम्बर 2020 | 11466                                      | 75329         | 75            | 20813                   | 7211          | 103353                                                      | 98625                      | 32250                                 | 9816                        | 140691  | 37338                      |
| जनवरी 2021   | 16742                                      | 109994        | 75            | 20813                   | 9810          | 140617                                                      | 144421                     | 32250                                 | 13250                       | 189921  | 49304                      |
| फरवरी 2021   | 16702                                      | 109735        | 75            | 20813                   | 9791          | 140339                                                      | 144073                     | 32250                                 | 13224                       | 189547  | 49208                      |
| मार्च 2021   | 10358                                      | 68055         | 75            | 20813                   | 6665          | 95533                                                       | 89007                      | 32250                                 | 9094                        | 130351  | 34818                      |
| अप्रैल 2021  | 6956                                       | 45699         | 75            | 20813                   | 4988          | 71500                                                       | 59478                      | 32250                                 | 6880                        | 98608   | 27108                      |
| मई 2021      | 9021                                       | 59267         | 75            | 20813                   | 6006          | 86086                                                       | 77402                      | 32250                                 | 8224                        | 117876  | 31790                      |
| जून 2021     | 4169                                       | 27392         | 75            | 20813                   | 3615          | 51820                                                       | 35287                      | 32250                                 | 5065                        | 72602   | 20782                      |
| जुलाई 2021   | 7457                                       | 48992         | 75            | 20813                   | 5235          | 75040                                                       | 63827                      | 32250                                 | 7206                        | 103283  | 28243                      |
| अगस्त 2021   | 4661                                       | 30624         | 75            | 20813                   | 3858          | 55295                                                       | 39557                      | 32250                                 | 5386                        | 77193   | 21898                      |
| सितम्बर 2021 | 7106                                       | 46685         | 75            | 20813                   | 5062          | 72560                                                       | 60780                      | 32250                                 | 6977                        | 100007  | 27447                      |
| अक्टूबर 2021 | 6166                                       | 40509         | 75            | 20813                   | 4599          | 65921                                                       | 52621                      | 32250                                 | 6365                        | 91236   | 25315                      |
| नवम्बर 2021  | 4954                                       | 32549         | 75            | 20813                   | 4002          | 57364                                                       | 42101                      | 32250                                 | 5576                        | 79927   | 22563                      |
| दिसम्बर 2021 | 9224                                       | 60603         | 75            | 20813                   | 6106          | 87522                                                       | 79164                      | 32250                                 | 8356                        | 119770  | 32248                      |
| जनवरी 2022   | 9919                                       | 65166         | 75            | 20813                   | 6448          | 92427                                                       | 85197                      | 32250                                 | 8809                        | 126256  | 33829                      |
| फरवरी 2022   | 9578                                       | 62930         | 75            | 20813                   | 6281          | 90024                                                       | 82237                      | 32250                                 | 8587                        | 123074  | 33050                      |
| मार्च 2022   | 12782                                      | 83979         | 75            | 20813                   | 7859          | 112651                                                      | 110048                     | 32250                                 | 10672                       | 152970  | 40319                      |
| अप्रैल 2022  | 9293                                       | 61056         | 75            | 20813                   | 6140          | 88009                                                       | 79763                      | 32250                                 | 8401                        | 120414  | 32405                      |
|              |                                            | योग           |               |                         |               | 4479234                                                     |                            |                                       |                             | 5993286 | 1514052                    |

## (4) पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भार 250 केवीए (आपूर्ति वोल्टेज-33 केवी)

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |               |               |                         |               |         | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किये जाने वाला बिल |                                       |                             |        | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्जस | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस | विद्युत शुल्क | कुल     | इनर्जी चार्जस <sup>12</sup>                                 | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस <sup>13</sup> | विद्युत शुल्क <sup>14</sup> | कुल    |                            |
| 1            | 2                                          | 3             | 4             | 5                       | 6             | 7       | 8                                                           | 9                                     | 10                          | 11     | 12                         |
| अप्रैल 2018  | 21630                                      | 137257        | 187.50        | 45000                   | 13669         | 195926  | 173247                                                      | 75000                                 | 18618                       | 266865 | 70939                      |
| मई 2018      | 19940                                      | 126244        | 187.50        | 45000                   | 12843         | 184087  | 159642                                                      | 75000                                 | 17598                       | 252240 | 68153                      |
| जून 2018     | 20650                                      | 131371        | 187.50        | 45000                   | 13228         | 189599  | 165358                                                      | 75000                                 | 18027                       | 258384 | 68786                      |
| जुलाई 2018   | 14490                                      | 91787         | 187.50        | 45000                   | 10259         | 147046  | 115770                                                      | 75000                                 | 14308                       | 205077 | 58032                      |
| अगस्त 2018   | 38640                                      | 245491        | 187.50        | 45000                   | 21787         | 312278  | 310177                                                      | 75000                                 | 28888                       | 414065 | 101787                     |
| सितम्बर 2018 | 46080                                      | 293552        | 187.50        | 45000                   | 25391         | 363944  | 370069                                                      | 75000                                 | 33380                       | 478449 | 114505                     |
| अक्टूबर 2018 | 56740                                      | 361845        | 187.50        | 45000                   | 30513         | 4837359 | 455882                                                      | 75000                                 | 39816                       | 570698 | 133339                     |
| नवम्बर 2018  | 73030                                      | 466157        | 187.50        | 45000                   | 38337         | 549494  | 587017                                                      | 75000                                 | 49651                       | 711668 | 162174                     |
| दिसम्बर 2018 | 54210                                      | 346051        | 187.50        | 45000                   | 29329         | 420380  | 435516                                                      | 75000                                 | 38289                       | 548804 | 128424                     |
| जनवरी 2019   | 57790                                      | 369070        | 187.50        | 45000                   | 31055         | 445125  | 464335                                                      | 75000                                 | 40450                       | 579785 | 134659                     |
| फरवरी 2019   | 24780                                      | 154570        | 187.50        | 45000                   | 14968         | 214537  | 198604                                                      | 75000                                 | 20520                       | 294124 | 79587                      |
| मार्च 2019   | 37810                                      | 234299        | 187.50        | 45000                   | 20947         | 300246  | 303496                                                      | 75000                                 | 28387                       | 406883 | 106637                     |
| अप्रैल 2019  | 16730                                      | 106977        | 187.50        | 45000                   | 11398         | 163375  | 133802                                                      | 75000                                 | 15660                       | 224462 | 61087                      |
| मई 2019      | 38470                                      | 245966        | 187.50        | 45000                   | 21822         | 312788  | 308809                                                      | 75000                                 | 28786                       | 412594 | 99806                      |
| जून 2019     | 21290                                      | 136047        | 187.50        | 45000                   | 13578         | 194625  | 170510                                                      | 75000                                 | 18413                       | 263923 | 69298                      |
| जुलाई 2019   | 2450                                       | 15672         | 187.50        | 45000                   | 4550          | 65222   | 18865                                                       | 75000                                 | 7040                        | 100905 | 35683                      |
| अगस्त 2019   | 10330                                      | 65843         | 187.50        | 45000                   | 8313          | 119156  | 82282                                                       | 75000                                 | 11796                       | 169078 | 49922                      |
| सितम्बर 2019 | 1140                                       | 7296          | 187.50        | 45000                   | 3922          | 56218   | 9257                                                        | 75000                                 | 6319                        | 90576  | 34358                      |
| अक्टूबर 2019 | 510                                        | 3191          | 187.50        | 45000                   | 3614          | 51805   | 4141                                                        | 80625                                 | 6357                        | 91124  | 39318                      |
| नवम्बर 2019  | 920                                        | 6185          | 187.50        | 54375                   | 4542          | 65102   | 7470                                                        | 80625                                 | 6607                        | 94703  | 29601                      |
| दिसम्बर 2019 | 4760                                       | 31940         | 187.50        | 54375                   | 6474          | 92788   | 39465                                                       | 80625                                 | 9007                        | 129097 | 36308                      |
| जनवरी 2020   | 4650                                       | 31232         | 187.50        | 54375                   | 6421          | 92028   | 38532                                                       | 80625                                 | 8937                        | 128094 | 36066                      |

<sup>12</sup> 11 सितम्बर 2019 तक पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 7.90/केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.25/केवीएच की दर से इनर्जी चार्जस तथा उसके पश्चात् पहले 2,500 केवीएच के लिए ₹ 8.32/केवीएच एवं 2,500 से अधिक के लिए ₹ 8.68/केवीएच की दर से इनर्जी चार्जस।

<sup>13</sup> 11 सितम्बर 2019 तक ₹ 400/केवीए/माह तथा उसके पश्चात् ₹ 430/केवीए/माह की दर से डिमाण्ड चार्जस।

<sup>14</sup> विद्युत शुल्क = (इनर्जी चार्जस + फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जस) x 7.5 प्रतिशत।

| बिल माह      | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |                |               |                          |               |         | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किये जाने वाला बिल |                                        |                             |         | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
|              | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्ज्स | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्ज्स | विद्युत शुल्क | कुल     | इनर्जी चार्ज्स <sup>12</sup>                                | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्ज्स <sup>13</sup> | विद्युत शुल्क <sup>14</sup> | कुल     |                            |
| 1            | 2                                          | 3              | 4             | 5                        | 6             | 7       | 8                                                           | 9                                      | 10                          | 11      | 12                         |
| फरवरी 2020   | 3100                                       | 20794          | 187.50        | 54375                    | 5638          | 80807   | 25388                                                       | 80625                                  | 7951                        | 113964  | 33157                      |
| मार्च 2020   | 5220                                       | 34986          | 187.50        | 54375                    | 6702          | 96063   | 43366                                                       | 80625                                  | 9299                        | 133290  | 37227                      |
| अप्रैल 2020  | 4860                                       | 33283          | 187.50        | 54375                    | 6574          | 94232   | 40313                                                       | 80625                                  | 9070                        | 130008  | 35776                      |
| मई 2020      | 3950                                       | 27003          | 187.50        | 54375                    | 6103          | 87481   | 32596                                                       | 80625                                  | 8492                        | 121713  | 34231                      |
| जून 2020     | 2180                                       | 14916          | 187.50        | 54375                    | 5197          | 74488   | 17586                                                       | 80625                                  | 7366                        | 105577  | 31090                      |
| जुलाई 2020   | 2770                                       | 18969          | 187.50        | 54375                    | 5501          | 78844   | 22590                                                       | 80625                                  | 7741                        | 110956  | 32111                      |
| अगस्त 2020   | 2770                                       | 19060          | 187.50        | 108750                   | 9586          | 137396  | 22590                                                       | 161250                                 | 13788                       | 197628  | 60231                      |
| सितम्बर 2020 |                                            |                |               |                          |               |         |                                                             |                                        |                             |         |                            |
| अक्टूबर 2020 | 5100                                       | 34231          | 187.50        | 54375                    | 6645          | 95252   | 42348                                                       | 80625                                  | 9223                        | 132196  | 36944                      |
| नवम्बर 2020  | 5190                                       | 34843          | 187.50        | 54375                    | 6691          | 95910   | 43111                                                       | 80625                                  | 9280                        | 133016  | 37107                      |
| दिसम्बर 2020 | 80                                         | 544            | 187.50        | 54375                    | 4119          | 59038   | 650                                                         | 80625                                  | 6096                        | 87370   | 28332                      |
| जनवरी 2021   | 0                                          | 0              | 187.50        | 54375                    | 4078          | 58453   | 0                                                           | 80625                                  | 6047                        | 86672   | 28219                      |
| फरवरी 2021   | 11530                                      | 77170          | 187.50        | 54375                    | 9866          | 141411  | 96874                                                       | 80625                                  | 13312                       | 190812  | 49401                      |
| मार्च 2021   | 7570                                       | 50456          | 187.50        | 54375                    | 7862          | 112693  | 63294                                                       | 80625                                  | 10794                       | 154712  | 42019                      |
| अप्रैल 2021  | 2670                                       | 18238          | 187.50        | 54375                    | 5446          | 78059   | 21742                                                       | 80625                                  | 7677                        | 110044  | 31986                      |
| मई 2021      | 250                                        | 1731           | 187.50        | 54375                    | 4208          | 60314   | 2030                                                        | 80625                                  | 6199                        | 88854   | 28541                      |
| जून 2021     | 5860                                       | 40072          | 187.50        | 54375                    | 7084          | 101531  | 48793                                                       | 80625                                  | 9706                        | 139124  | 37593                      |
| जुलाई 2021   | 3550                                       | 24283          | 187.50        | 54375                    | 5899          | 84557   | 29204                                                       | 80625                                  | 8237                        | 118066  | 33509                      |
| अगस्त 2021   | 11640                                      | 79846          | 187.50        | 54375                    | 10067         | 144287  | 97807                                                       | 80625                                  | 13382                       | 191815  | 47527                      |
| सितम्बर 2021 | 2440                                       | 16735          | 187.50        | 54375                    | 5333          | 76444   | 19813                                                       | 80625                                  | 7533                        | 107971  | 31528                      |
| अक्टूबर 2021 | 2300                                       | 15405          | 187.50        | 54375                    | 5234          | 75014   | 18676                                                       | 80625                                  | 7448                        | 106749  | 31735                      |
| नवम्बर 2021  | 2710                                       | 18173          | 187.50        | 54375                    | 5441          | 77989   | 22081                                                       | 80625                                  | 7703                        | 110409  | 32420                      |
| दिसम्बर 2021 | 9360                                       | 62648          | 187.50        | 54375                    | 8777          | 125800  | 78473                                                       | 80625                                  | 11932                       | 171030  | 45230                      |
| जनवरी 2022   | 5060                                       | 33929          | 187.50        | 54375                    | 6623          | 94926   | 42009                                                       | 80625                                  | 9198                        | 131831  | 36905                      |
| फरवरी 2022   | 1130                                       | 7592           | 187.50        | 54375                    | 4648          | 66615   | 9176                                                        | 80625                                  | 6735                        | 96536   | 29921                      |
| मार्च 2022   | 4040                                       | 26962          | 187.50        | 54375                    | 6100          | 87437   | 33359                                                       | 80625                                  | 8549                        | 122533  | 35096                      |
|              |                                            |                | योग (अ)       |                          |               | 7258169 |                                                             |                                        |                             | 9884474 | 2626305                    |



| बिल माह                  | एचवी-2 के अनुसार मण्डल द्वारा प्रभारित बिल |               |               |                         |               |          | एचवी-1 (निजी संस्थान) के अनुसार प्रभारित किये जाने वाला बिल |                                       |                             |          | कम प्रभारित राजस्व (₹ में) |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|
|                          | बिल की गयी यूनिट                           | इनर्जी चार्जस | डिमाण्ड यूनिट | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस | विद्युत शुल्क | कुल      | इनर्जी चार्जस <sup>12</sup>                                 | फिक्स्ड/ डिमाण्ड चार्जस <sup>13</sup> | विद्युत शुल्क <sup>14</sup> | कुल      |                            |
| 1                        | 2                                          | 3             | 4             | 5                       | 6             | 7        | 8                                                           | 9                                     | 10                          | 11       | 12                         |
| 09.01.2018 से 09.07.2018 | 456630                                     | 2899601       | -             | -                       | -             | 2899601  | 3675872                                                     | -                                     | 275690                      | 3951562  | 1051961                    |
| 09.07.2018 से 23.04.2019 | 380180                                     | 2414143       | -             | -                       | -             | 2414143  | 3060449                                                     | -                                     | 229534                      | 3289983  | 875840                     |
| 23.04.2019 से 02.04.2020 | 936890                                     | 6370852       | -             | -                       | -             | 6370852  | 7944827                                                     | -                                     | 595862                      | 8540689  | 2169837                    |
| 03.04.2020 से 06.07.2020 | 316400                                     | 2151520       | -             | -                       | -             | 2151520  | 2683072                                                     | -                                     | 201230                      | 2884302  | 732782                     |
| 06.07.2020 से 29.01.2021 | 360700                                     | 2452760       | -             | -                       | -             | 2452760  | 3058736                                                     | -                                     | 229405                      | 3288141  | 835381                     |
| 29.01.2021 से 07.10.2021 | 753990                                     | 5127132       | -             | -                       | -             | 5127132  | 6393835                                                     | -                                     | 479538                      | 6873373  | 1746241                    |
| 07.10.2021 से 14.02.2022 | 331230                                     | 2252364       | -             | -                       | -             | 2252364  | 2808830                                                     | -                                     | 210662                      | 3019493  | 767129                     |
|                          |                                            | योग (ब)       |               |                         |               | 23668372 |                                                             |                                       |                             | 31847543 | 8179171                    |
|                          |                                            | महा योग (अ+ब) |               |                         |               | 30926541 |                                                             |                                       |                             | 41732017 | 10805476                   |

**परिशिष्ट-3.1**  
(प्रस्तर 3.1 में संदर्भित)  
**सड़क की क्रस्ट में डेस बिटुमिनस मैकडैम और बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मोटाई को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | 2               | विवरण                                                                                                           | प्राक्कलन के अनुसार | लेखापरीक्षा के अनुसार | अन्तर |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 1           |                 | 3                                                                                                               | 4                   | 5                     | 6=4-5 |
| 1           |                 | प्रति दिन वाणिज्यिक वाहन की संख्या (P)                                                                          | 847                 | 847                   |       |
| 2           |                 | वार्षिक वृद्धि (r)                                                                                              | 5%                  | 5%                    |       |
| 3           |                 | डिजाइन लाइफ (n)                                                                                                 | 10 वर्ष             | 10 वर्ष               |       |
| 4           |                 | 02 वर्षों के बाद अनुमानित यातायात (A) = $P(1+r)^2$                                                              | 934 सीवीपीडी        | 934 सीवीपीडी          |       |
| 5           |                 | लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर (D)                                                                                   | 1                   | 0.50                  |       |
| 6           |                 | वाहन क्षति फैक्टर (F)                                                                                           | 3.5                 | 3.5                   |       |
| 7           |                 | स्टैंडर्ड एक्सल की डिजाइन ट्रैफिक संचयी संख्या<br>(N) = $\frac{365[(1+r)^n - 1] \times A \times D \times F}{r}$ | 15007752            | 7503876               |       |
| 8           | क्रस्ट की मोटाई | मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए)                                                                                  | 15.00               | 7.50                  |       |
|             |                 | विद्यमान क्रस्ट की मोटाई/जीएसबी (एमएम)                                                                          | 250                 | 250                   |       |
|             |                 | डब्ल्यूएमएम (एमएम)                                                                                              | 250                 | 250                   |       |
|             |                 | डीबीएम (एमएम)                                                                                                   | 75                  | 60                    | 15    |
|             |                 | बीसी (एमएम)                                                                                                     | 40                  | 35                    | 5     |
|             |                 | योग (एमएम)                                                                                                      | 615                 | 595                   | 20    |

**परिशिष्ट-3.2**  
(प्रस्तर 3.1 में संदर्भित)  
**सड़क की अतिरिक्त क्रस्ट की मोटाई पर परिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण**

| विवरण  | निष्पादित मात्रा<br>(घनमीटर में) | वास्तविक आवश्यक मात्रा<br>(घनमीटर में) | अन्तर (घनमीटर में) | दर प्रति घनमीटर<br>(₹ में) | अतिरिक्त व्यय (₹ में) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                | 3                                      | 4 = (2-3)          | 5                          | 6 = (4x5)             |
| डीबीएम | 7828.80                          | 6263.04 <sup>15</sup>                  | 1565.76            | 9251.00                    | 14484845.80           |
| बीसी   | 4211.41                          | 3684.98 <sup>16</sup>                  | 526.43             | 10931.50                   | 5754669.54            |
|        |                                  | योग                                    |                    |                            | 20239515.34           |

<sup>15</sup> 7828.80 घनमीटर X 60 एमएम/75एमएम = 6,263.04 घनमीटर ।

<sup>16</sup> 4211.41 घनमीटर X 35 एमएम/40एमएम = 3,684.98 घनमीटर ।

**परिशिष्ट-3.3**  
(प्रस्तर 3.3 में संदर्भित)  
पर्यवेक्षण प्रभारों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | खण्ड                   | वर्ष    | प्राक्कलन संख्या | कार्य                                                                                                           | जिला | उप-योग      | 3 प्रतिशत आकस्मिकता | योग         | 1.5 प्रतिशत टी एंड पी | 31.5 प्रतिशत एए        | महा योग          | स्क्रैप और कंडक्टर को घटाकर | (धनराशि ₹ में) |             |
|----------|------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
|          |                        |         |                  |                                                                                                                 |      |             |                     |             |                       |                        |                  |                             | 13             | 14 = 12-13  |
| 1        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 4                | 5                                                                                                               | 6    | 7           | 8 = 7 का 3 प्रतिशत  | 9 = 7 + 8   | 10 = 9 का 1.5 प्रतिशत | 11 = 9 का 31.5 प्रतिशत | 12 = 9 + 10 + 11 | 13                          | 14 = 12-13     |             |
| 1        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 17               | 132 केवी एसएस, संभल से निकलने वाली 33 केवी लाइन हयात नगर (संभल) का स्थानांतरण                                   | संभल | 17455582.35 | 523667.47           | 17979249.82 | 269688.75             | 5663463.69             | 23912402.26      | 260000.00                   |                | 23652402.26 |
| 2        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 14               | 33/11 एसएस, हयात नगर से निकलने वाली 11 केवी लाइन 3 x 185 वर्ग एमएम केबल एक्सएलपीई और रोड क्रॉसिंग का स्थानांतरण | संभल | 21042112.00 | 631263.36           | 21673375.36 | 325100.63             | 6827113.24             | 28825589.23      | 0.00                        |                | 28825589.23 |
| 3        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 15               | 33/11 केवी एसएस, हयात नगर से निकलने वाली 11 केवी लाइन का स्थानांतरण                                             | संभल | 11367834.69 | 341035.04           | 11708869.73 | 175633.05             | 3688293.96             | 15572796.74      | 620000.00                   |                | 14952796.74 |
| 4        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 21               | 33/11 केवी एसएस, चौधरी सराय और सिंहपुर सनी से निकलने वाली एलटी एसएस/एलटी लाइन का स्थानांतरण                     | संभल | 5344861.76  | 160345.85           | 5505207.61  | 82578.11              | 1734140.40             | 7321926.12       | 38000.00                    |                | 7283926.12  |
| 5        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 16               | 33/11 केवी एसएस, चौधरी सराय और सिंहपुर सनी से निकलने वाली 11 केवी लाइन का स्थानांतरण                            | संभल | 15945297.86 | 478358.94           | 16423656.80 | 246354.85             | 5173451.89             | 21843463.54      | 600000.00                   |                | 21243463.54 |
| 6        | ईई-ईसीडब्ल्यूडी एमबीडी | 2016-17 | 19               | 33/11 केवी हयात नगर से निकलने वाली एलटी एसएस/एलटी लाइन का स्थानांतरण                                            | संभल | 4508807.51  | 135264.23           | 4644071.74  | 69661.08              | 1462882.60             | 6176615.42       | 38000.00                    |                | 6138615.42  |

| क्र. सं. | खण्ड                          | वर्ष    | प्राक्कलन संख्या | कार्य                                                                                                                                              | जिला   | उप-योग      | 3 प्रतिशत आकस्मिकता | योग                 | 1.5 प्रतिशत टी एंड पी | 31.5 प्रतिशत एए        | महा योग             | स्क्रेप और कंडक्टर को घटाकर | शुद्ध योग           |
|----------|-------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1        | 2                             | 3       | 4                | 5                                                                                                                                                  | 6      | 7           | 8 = 7 का 3 प्रतिशत  | 9 = 7 + 8           | 10 = 9 का 1.5 प्रतिशत | 11 = 9 का 31.5 प्रतिशत | 12 = 9 + 10 + 11    | 13                          | 14 = 12-13          |
| 7        | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 18               | 33/11 केवी एसएस, चौधरी सराय और सिंहपुर सनी से निकलने वाली 11 केवी लाइन एवं रोड क्रॉसिंग के द्वारा 33 केवी चौधरी सराय और 11 केवी केबल का स्थानांतरण | समल    | 21648324.50 | 649449.74           | 22297774.24         | 334466.61             | 7023798.89             | 29656039.74         | 0.00                        | 29656039.74         |
|          |                               |         |                  | <b>योग अ</b>                                                                                                                                       |        |             |                     | <b>100232205.30</b> |                       | <b>31573144.67</b>     | <b>133308833.05</b> | <b>1556000.00</b>           | <b>131752833.05</b> |
| 8        | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 13               | 33/11 केवी एसएस, बहजोई से निकलने वाली 11 केवी लाइन का स्थानांतरण                                                                                   | चंदौसी | 19542181.00 | 586265.43           | 20128446.43         | 301926.70             | 6340460.63             | 26770833.76         | 186000.00                   | 26584833.76         |
| 9        | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 20               | 33/11 केवी एसएस, पवसा से निकलने वाली 11 केवी लाइन का स्थानांतरण                                                                                    | चंदौसी | 21290657.30 | 638719.72           | 21929377.02         | 328940.66             | 6907753.76             | 29166071.44         | 140000.00                   | 29026071.44         |
| 10       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 22               | 33/11 केवी एसएस, पवसा से निकलने वाली 33 केवी और 11 केवी रोड क्रॉसिंग/एलटी एसएस/एलटी लाइन का स्थानांतरण                                             | चंदौसी | 3428727.00  | 102861.81           | 3531588.81          | 52973.83              | 1112450.48             | 4697013.12          | 40000.00                    | 4657013.12          |
| 11       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 23               | 33/11 केवी एसएस, बहजोई से निकलने वाली 33 केवी और 11 केवी रोड क्रॉसिंग/एलटी एसएस/एलटी लाइन का स्थानांतरण                                            | चंदौसी | 17281960.23 | 518458.81           | 17800419.04         | 267006.29             | 5607132.00             | 23674557.32         | 183040.00                   | 23491517.32         |
|          |                               |         |                  | <b>योग ब</b>                                                                                                                                       |        |             |                     | <b>63389831.30</b>  |                       | <b>19967796.86</b>     | <b>84308475.63</b>  | <b>549040.00</b>            | <b>83759435.63</b>  |

| क्र. सं. | खण्ड                          | वर्ष    | प्राक्कलन संख्या | कार्य                                                                                               | जिला   | उप-योग      | 3 प्रतिशत आकस्मिकता | योग         | 1.5 प्रतिशत टी एंड पी | 31.5 प्रतिशत एए        | महा योग          | स्क्रेप और कंडक्टर को घटाकर | शुद्ध योग    |
|----------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1        | 2                             | 3       | 4                | 5                                                                                                   | 6      | 7           | 8 = 7 का 3 प्रतिशत  | 9 = 7 + 8   | 10 = 9 का 1.5 प्रतिशत | 11 = 9 का 31.5 प्रतिशत | 12 = 9 + 10 + 11 | 13                          | 14 = 12-13   |
| 12       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 5                | 33/11 केवी एस/एस हसनपुर से निकलने वाले फीडरों के क्षेत्र में विद्युत संरचना का स्थानांतरण           | अमरोहा | 19595191.92 | 587855.76           | 20183047.68 | 302745.72             | 6357660.02             | 26843453.42      | 482000.00                   | 26361453.42  |
| 13       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 3                | 33/11 केवी एस/एस सैदांगली, हसनपुर से निकलने वाले फीडरों के क्षेत्र में विद्युत संरचना का स्थानांतरण | अमरोहा | 8768392.44  | 263051.77           | 9031444.21  | 135471.66             | 2844904.93             | 12011820.80      | 368300.00                   | 111643520.80 |
| 14       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 10               | 33/11 केवी एस/एस उझारी से निकलने वाले 11 केवी फीडर का स्थानांतरण                                    | अमरोहा | 7254018.68  | 217620.56           | 7471639.24  | 112074.59             | 2353566.36             | 9937280.19       | 138900.00                   | 9798380.19   |
| 15       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 6                | 33/11 केवी एस/एस सिहाली जागीर से निकलने वाले 11 केवी फीडर के एचटी लाइन टी/एफ का स्थानांतरण          | अमरोहा | 2043688.20  | 61310.65            | 2104998.85  | 31574.98              | 663074.64              | 2799648.47       | 9440.00                     | 2790208.47   |
| 16       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 11               | 33/11 केवी एस/एस उझारी से निकलने वाले एलटी लाइन का स्थानांतरण                                       | अमरोहा | 1480670.10  | 44420.10            | 1525090.20  | 22876.35              | 480403.41              | 2028369.96       | 18280.00                    | 2010089.96   |
| 17       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 4                | 132/33 केवी एस/एस उझारी (सैदांगली) से निकलने वाले 33 केवी हसनपुर का स्थानांतरण                      | अमरोहा | 7877785.71  | 236333.57           | 8114119.28  | 121711.79             | 2555947.57             | 10791778.64      | 297000.00                   | 10494778.64  |
| 18       | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 8                | 33/11 केवी एस/एस सिहाली जागीर से निकलने वाले 11 केवी एलटी लाइन का स्थानांतरण                        | अमरोहा | 2288429.50  | 68652.89            | 2357082.39  | 35356.24              | 742480.95              | 3134919.58       | 37200.00                    | 3097719.58   |

| क्र. सं.                                                        | खण्ड                          | वर्ष    | प्राक्कलन संख्या | कार्य                                                                                                             | जिला   | उप-योग      | 3 प्रतिशत आकस्मिकता | योग          | 1.5 प्रतिशत टी एंड पी | 31.5 प्रतिशत एए        | महा योग                     | स्क्रेप और कंडक्टर को घटाकर | शुद्ध योग    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1                                                               | 2                             | 3       | 4                | 5                                                                                                                 | 6      | 7           | 8 = 7 का 3 प्रतिशत  | 9 = 7 + 8    | 10 = 9 का 1.5 प्रतिशत | 11 = 9 का 31.5 प्रतिशत | 12 = 9 + 10 + 11            | 13                          | 14 = 12-13   |
| 19                                                              | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 12               | 33/11 केवी एस/एस सिहाली जागीर के अन्तर्गत 132 केवी गजरोला से निकलने वाले 33 केवी सिहाली फीडर का स्थानांतरण        | अमरोहा | 16232375.30 | 486971.26           | 16719346.56  | 250790.20             | 5266594.16             | 22236730.92                 | 208000.00                   | 22028730.92  |
| 20                                                              | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 25               | 33/11 केवी एसएस पर, 132 केवी गजरोला से निकलने वाली 11 केवी टाउन फीडर के एचटी/एलटी लाइन एवं प्रवर्तक का स्थानांतरण | अमरोहा | 3262504.63  | 97875.14            | 3360379.77   | 50405.70              | 1058519.63             | 4469305.10                  | 59200.00                    | 4410105.10   |
| 21                                                              | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 24               | 33/11 केवी एसएस पर 132 केवी एसएस गजरोला से निकलने वाली एचटी एवं 11 केवी फीडर का स्थानांतरण                        | अमरोहा | 8117063.90  | 243511.92           | 8360575.82   | 125408.64             | 2633581.38             | 11119565.84                 | 97600.00                    | 11021965.84  |
| 22                                                              | ईई-<br>ईसीडब्ल्यूडी<br>एमबीडी | 2016-17 | 4                | 33/11 केवी एसएस हसनपुर से निकलने वाली टाउन 2 फीडर के 11 केवी लाइन का स्थानांतरण                                   | अमरोहा | 26103464.00 | 783103.92           | 26886567.92  | 403298.52             | 8469268.89             | 35759135.33                 | 1512412.50                  | 34246722.83  |
| योग स                                                           |                               |         |                  |                                                                                                                   |        |             |                     | 106114291.92 |                       | 33426001.95            | 141132008.30                | 3228332.50                  | 137903675.76 |
| (द) (अ+ब+स) का महा योग                                          |                               |         |                  |                                                                                                                   |        |             |                     | 269736328.52 |                       | 84966943.48            | 358749316.90                | 5333372.50                  | 353415944.44 |
| (य) देय पर्यवेक्षण प्रभार कॉलम 9 के 15 प्रतिशत की दर से परिकलित |                               |         |                  |                                                                                                                   |        |             |                     |              |                       | 40460449.28            |                             |                             |              |
| (र) पर्यवेक्षण प्रभार का अधिक भुगतान (द - य)                    |                               |         |                  |                                                                                                                   |        |             |                     |              |                       | 44506494.21            | (84966943.48 - 40460449.28) |                             |              |

## परिशिष्ट-3.4

(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)

सड़क पर पानी के टैंकर की उच्च दर, पानी की लागत एवं अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित करने के कारण हुए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

| सब-ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण                                                                                                                                                                                            | इकाई     | मात्रा   | यूपी पीडब्ल्यूडी के अनुसार दर |               | लेखापरीक्षा के अनुसार दर |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | दर (₹ में)                    | मूल्य (₹ में) | दर (₹ में)               | मूल्य (₹ में) |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>                      | <b>5</b>      | <b>6</b>                 | <b>7</b>      |
| सब-ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण सभी लिफ्टों और लीडों के साथ गड्ढा से प्राप्त अनुमोदित सामग्री के साथ साइट पर परिवहन, फैलाव, आवश्यक ढलान पर ग्रेडिंग और तालिका संख्या 300-2 की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सघन किया जाना। |          |          |                               |               |                          |               |
| <b>इकाई = घनमीटर</b>                                                                                                                                                                                                            |          |          |                               |               |                          |               |
| <b>आउटपुट लिया = 100 घनमीटर</b>                                                                                                                                                                                                 |          |          |                               |               |                          |               |
| <b>(अ) श्रम</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                               |               |                          |               |
| सहायक                                                                                                                                                                                                                           | दिन      | 0.040    | 105.00                        | 4.20          | 105.00                   | 4.20          |
| मजदूर                                                                                                                                                                                                                           | दिन      | 1.000    | 100.00                        | 100.00        | 100.00                   | 100.00        |
| <b>(ब) मशीनरी</b>                                                                                                                                                                                                               |          |          |                               |               |                          |               |
| हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर 1 घनमीटर बाल्टी क्षमता 80 घनमीटर प्रति घण्टा की दर से                                                                                                                                                     | घण्टा    | 1.670    | 840.00                        | 1402.80       | 840.00                   | 1402.80       |
| ट्रिपर 10 टन क्षमता                                                                                                                                                                                                             | टन. किमी | 175x2    | 1.74                          | 609.00        | 1.74                     | 609.00        |
| लोडने और उतारने की लागत को कवर करने के लिए गाड़ी की लागत का 10 प्रतिशत जोड़े                                                                                                                                                    |          |          |                               | 60.90         |                          | 60.90         |
| दोजर 80 एचपी प्रसार के लिए 200 घनमीटर प्रति घण्टा की दर से                                                                                                                                                                      | घण्टा    | 0.500    | 2400.00                       | 1200.00       | 2400.00                  | 1200.00       |
| 50 घनमीटर की दर ग्रेडिंग के लिए मोटर ग्रेडर                                                                                                                                                                                     | घण्टा    | 2.000    | 1545.00                       | 3090.00       | 1545.00                  | 3090.00       |
| <b>6 किमी लीड के साथ पानी का टैंकर</b>                                                                                                                                                                                          | घण्टा    | 4.000    | 327.60                        | 1310.40       | 200.00 <sup>17</sup>     | 800.00        |
| वाइब्रेटरी रोलर 8-10 टन 80 घनमीटर प्रति घण्टा की दर से                                                                                                                                                                          | घण्टा    | 1.250    | 994.00                        | 1242.50       | 994.00                   | 1242.50       |
| मूल्य वृद्धि 5 प्रतिशत की दर से 2001-2002 से 2010-11 (45 प्रतिशत)                                                                                                                                                               |          |          |                               | 4012.02       |                          | 3829.23       |
| <b>(स) सामग्री</b>                                                                                                                                                                                                              |          |          |                               |               |                          |               |
| <b>पानी का लागत</b>                                                                                                                                                                                                             | कि.ली.   | 24.00    | 200.00                        | 4800.00       | 20.00                    | 480.00        |
| निजी भूमि से लिया गया मिट्टी का मुआवजा                                                                                                                                                                                          | घनमीटर   | 100.00   | 10.00                         | 1000.00       | 10.00                    | 1000.00       |
| योग (अ+ब+स)                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                               | 18831.82      |                          | 13818.63      |
| (द) ओवरहेड शुल्क 8 प्रतिशत की दर से (अ+ब+स) पर                                                                                                                                                                                  |          |          |                               | 1883.18       |                          | 1105.49       |
| (य) ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत की दर से (अ+ब+स+द) पर                                                                                                                                                                             |          |          |                               | 2071.50       |                          | 1492.41       |
| <b>100 घनमीटर की लागत = (अ+ब+स+द+य)</b>                                                                                                                                                                                         |          |          |                               | 22786.50      |                          | 16416.53      |
| <b>प्रति घनमीटर दर = (अ+ब+स+द+य) / 100</b>                                                                                                                                                                                      |          |          |                               | 227.87        |                          | 164.17        |
| <b>अंतिम दर</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                               | 216.00        |                          | 164.00        |

<sup>17</sup> 2001-02 का आधार दर।

परिशिष्ट-3.5  
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)

अनुमन्य दर से अधिक ओवरहेड प्रभाओं के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

| क्रम संख्या | कार्य का विवरण                                      | कुल लागत (श्रम + सामग्री + मशीनरी) | 8 प्रतिशत की दर से स्वीकृत ओवरहेड शुल्क | 10 प्रतिशत की दर से ठेकेदार का लाभ | दर प्रति इकाई         | वास्तविक भुगतान दर प्रति इकाई | अधिक भुगतान दर प्रति इकाई | निष्पादित मात्रा | अधिक भुगतान |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 1           | 2                                                   | 3                                  | 4 = (3 x 8 प्रतिशत)                     | 5 = (3+4) x 10 प्रतिशत             | 6 = (3+4+5)/ कुल इकाई | 7                             | 8=(7-6)                   | 9                | 10=(8x9)    |
| 1           | सड़क भूमि की सफाई एवं ग्राबिंग                      | 7589.00                            | 607.12                                  | 819.61                             | 75.13 <sup>18</sup>   | 76.00                         | 0.87                      | 35072.73         | 30474.70    |
| 2           | 1000 मीटर तक निपटान के साथ अनुपयोगी मिट्टी को हटाना | 12260.80                           | 980.86                                  | 1324.17                            | 40.46 <sup>19</sup>   | 41.00                         | 0.54                      | 20315.23         | 10957.22    |
| 3           | मूल भूमि को सघन करना                                | 34067.65                           | 2725.41                                 | 3679.31                            | 67.45 <sup>20</sup>   | 68.00                         | 0.55                      | 141917.41        | 77494.43    |
| 4           | दानेदार उप-आधार के साथ बंद दानेदार सामग्री          | 540858.55                          | 43268.68                                | 58412.72                           | 2855.73 <sup>21</sup> | 2908.00                       | 52.27                     | 37683.65         | 1969605.91  |
| 5           | वेट मिक्स मैकाडाम                                   | 546822.96                          | 43745.84                                | 59056.88                           | 2887.23 <sup>22</sup> | 2940.00                       | 52.77                     | 88731.39         | 4682778.81  |
| 6           | आरसीसी ग्रेड एम 30                                  | 75046.05                           | 6003.68                                 | 8104.97                            | 5943.65 <sup>23</sup> | 6265.00                       | 321.35                    | 24.75            | 7953.48     |
| 7           | आरसीसी ग्रेड एम 35                                  | 76311.05                           | 6104.88                                 | 8241.59                            | 6043.84 <sup>24</sup> | 6340.00                       | 296.16                    | 94.49            | 27984.62    |
| योग         |                                                     |                                    |                                         |                                    |                       |                               |                           |                  | 6807249.17  |

<sup>18</sup> कुल इकाई=120

<sup>19</sup> कुल इकाई=360

<sup>20</sup> कुल इकाई=600

<sup>21</sup> कुल इकाई=225

<sup>22</sup> कुल इकाई=225

<sup>23</sup> कुल इकाई=15

<sup>24</sup> कुल इकाई=15



परिशिष्ट-3.6  
(प्रस्तर 3.7 में संदर्भित)  
आयकर के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण  
(धनराशि ₹ में)

| निर्धारण वर्ष<br>(वित्तीय वर्ष) | कुल आय<br>ब्याज सहित | आयकर<br>स्लेब के<br>अनुसार<br>कर | सरचार्ज 15<br>प्रतिशत की<br>दर से आय<br>एक करोड़<br>से अधिक<br>होने पर | शिक्षा<br>उपकर 3<br>प्रतिशत<br>की दर से | दण्डात्मक<br>ब्याज<br>धारा 234<br>के तहत | भुगतान<br>किया गया<br>कुल कर | सरकारी<br>कोष पर<br>प्राप्त ब्याज | कुल आय<br>ब्याज आय<br>को<br>छोड़कर | आयकर<br>स्लेब के<br>अनुसार<br>कर | सरचार्ज 15<br>प्रतिशत की<br>दर से आय<br>एक करोड़<br>से अधिक<br>होने पर | शिक्षा<br>उपकर 3<br>प्रतिशत<br>की दर से | कुल देय<br>कर     | अधिक<br>भुगतान |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                               | 2                    | 3                                | 4                                                                      | 5                                       | 6                                        | 7 =<br>(3+4+5+6)             | 8                                 | 9                                  | 10                               | 11                                                                     | 12                                      | 13 =<br>(9+10+11) | 14 =<br>(7-13) |
| 2017-18<br>(2016-17)            | 29117380             | 8560214                          | 1284032                                                                | 295327                                  | 1930553                                  | 12070126                     | 7133515                           | 21983865                           | 6407660                          | 961149                                                                 | 221065                                  | 7589874           | 4480252        |
| 2018-19<br>(2017-18)            | 40403530             | 11933559                         | 1790034                                                                | 411708                                  | 845223                                   | 14980524                     | 52730630                          | -12327100                          | 0                                | 0                                                                      | 0                                       | 0                 | 14980524       |
| योग                             | 69520910             |                                  |                                                                        |                                         |                                          | 27050650                     | 59864145                          |                                    |                                  |                                                                        |                                         |                   | 19460776       |





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
एचटीटीपीएस://सीएजी.जीओवी.इन